खण्ड-138, अंक-3
बुधवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(25 अगस्त, 1954 ई0)

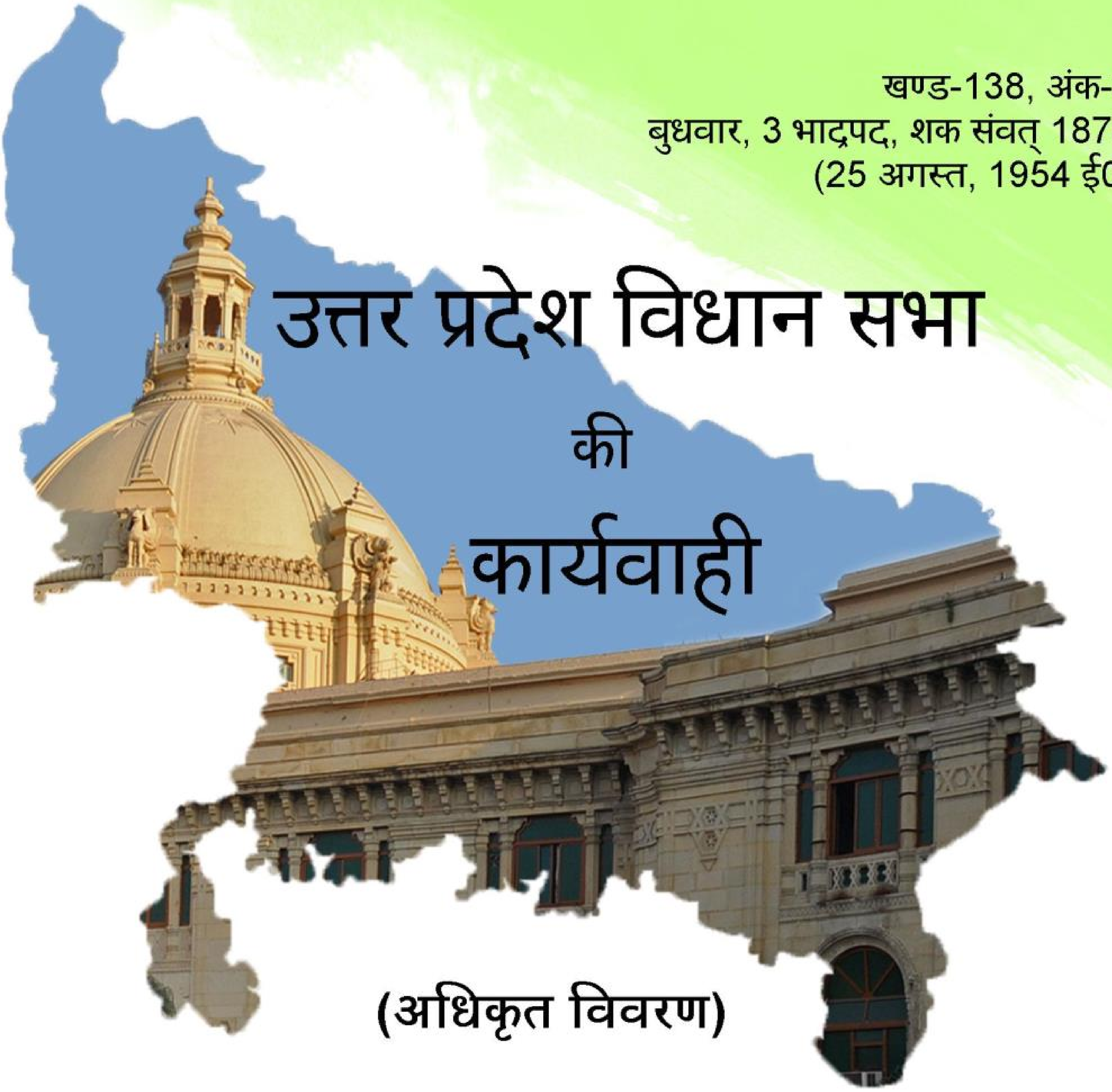

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 138 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह महाराजकुमार, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह, यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल शर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखकी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ में सफाई हवलदारों की नियुक्ति में मेहतर जाति की उपेक्षा

*१—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ में सन् १९५३-५४ में कितने सफाई हवलदार नौकर रखे गये हैं और उनमें कितने मेहतर जाति के व्यक्ति लिये गये हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—दो व्यक्ति रखे गए किन्तु उनमें मेहतर जाति का एक भी नहीं था।

बांदा तथा कर्वी अस्पतालों में रोगियों की संख्या

*२—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष बांदा तथा कर्वी अस्पताल में कितने रोगियों को दवायें दी गयीं ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—

वर्ष		नाम अस्पताल	रोगियों की संख्या
१९५३	..	बांदा	२००९७
१९५३	..	कर्वी	२८६००

कर्वी अस्पताल में प्रथम श्रेणी के डाक्टर की आवश्यकता

*३—श्री जगपति सिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने कर्वी के अस्पताल में पहले दर्जे के डाक्टर के बजाय दूसरे दर्जे का डाक्टर रखा है और इस विषय में कर्वी की जनता की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र भी सरकार के पास आया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*४—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि कर्वी के चारों तरफ ४० मील तक कोई अस्पताल नहीं है ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण स्थान में कोई प्रथम श्रेणी के अनभवी डाक्टर को रखने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। आर्थिक कठिनाई दूर होने पर पहले दर्जे का डाक्टर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री जगपति सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि कर्वी पोस्ट मार्टम की जगह है और ऐसी जगह में क्या सरकार उसको सरकारी अस्पताल करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास--इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री जगपति सिंह--सरकार कब तक विचार करने का इरादा रखती है?

श्री बनारसी दास--यह तो उत्तर के अन्दर ही लिखा गया है।

आजमगढ़ जिले में सहकारी तथा प्राइवेट भट्ठों को कोयले का वितरण

*५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या अन्न मंत्री ३१-३-५४ के प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे और इस वर्ष आजमगढ़ जिले में गत वर्ष से ही चालू प्राइवेट भट्ठों को कोयला नहीं दिया गया है?

श्री बनारसी दास--जी हां।

*६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सम्प्रति सहकारी भट्ठे और कुछ ही प्राइवेट भट्ठों को कोयला दिया जा रहा है?

श्री बनारसी दास--आजमगढ़ जिले में केवल सहकारी तथा उन्हीं प्राइवेट भट्ठों को कोयला दिया गया है जो आधारभूत वर्षों में भट्ठों का कार्य करते। जिले में ऐसे भट्ठे ३८ 'ए' श्रेणी के तथा ५ 'बी' श्रेणी के हैं।

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे प्राइवेट भट्ठे हैं जिन्हें कोयला नहीं दिया जा रहा है और जिनके कोयले के लिये आवेदन-पत्र लगे हैं?

श्री बनारसी दास--जिले में ऐसे १६ प्राइवेट भट्ठे हैं जो गत वर्ष से चालू हुये हैं और जिन्हें आधारभूत वर्षों में भट्ठे का कार्य न करने के कारण कोयले का कोटा नहीं दिया जा रहा है। इन १६ प्राइवेट भट्ठों में से केवल ६ भट्ठों के कोयले के लिये आवेदन-पत्र लगे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी और प्राइवेट भट्ठे जो इस वक्त हैं और जिन्हें सरकार कोयला देती है ये दोनों प्रकार के भट्ठे पास-पास में हैं और जो प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ये भट्ठे दूर-दूर हैं?

श्री बनारसी दास--जी हां, हो सकता है कि सहकारी और प्राइवेट भट्ठे नजदीक ही हों। जो प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं उनके बारे में मुझे निश्चित सूचना नहीं है लेकिन हो सकता है कि वे दूर हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था कर सकेगी कि जो प्राइवेट भट्ठे दूर-दूर पड़ते हैं और जिन्हें सरकार कोयला देती है उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करेगी और ऐसा प्रयत्न करेगी कि जिससे जनता को कोयला मिल सके?

श्री बनारसी दास--इस पर विचार किया जायगा कि जहां नजदीक भट्ठे नहीं हैं वहां पर सहकारी समिति द्वारा भट्ठे संगठित करने का प्रयत्न किया जाय लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार मौजूदा प्राइवेट भट्ठों को कोयला देना सम्भव नहीं है।

नारंगीवाह घाट पर नाव दुर्घटनाएं

*८--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि नारंगीवाह घाट पर दो महीने के अन्दर एक दूसरी नाव दुर्घटना अप्रैल, १९५४ में हो गई जिसमें पुल की पांच नावें डूब गयीं ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

*९--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें कितनी जानें गईं और यह दुर्घटना किस प्रकार हुई ?

श्री मोहन लाल गौतम--पानी भर जाने के कारण नावें डूब गयीं परन्तु न तो किसी की जान गई और न किसी यात्री को कोई हानि पहुंची।

*१०--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि जनता की रक्षा के लिये वह इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम--पुल दुबारा बनवा दिया गया है और ठेकेदार के विरुद्ध जिला बोर्ड कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

सप्लाई विभाग जौनपुर के छटे हुए कर्मचारी

*११--**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सप्लाई विभाग जौनपुर के छटे हुये कर्मचारी कुल कितने हैं ?

श्री बनारसी दास--६४।

*१२--**श्री बाबू नन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर सप्लाई विभाग के छटे हुये कर्मचारियों में से कितनों को स्थायी जगहें दी गईं और कितनों को अस्थायी ?

श्री बनारसी दास--३६ कर्मचारियों को अस्थायी स्थान दिये जा चुके हैं। स्थायी स्थान किसी को नहीं दिया गया।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थायी जगहें क्यों नहीं दी गयीं ?

श्री बनारसीदास--वह तो सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जहां जगहें हों उनको दी जायं इसलिये अभी तक अस्थायी स्थान मिल सके हैं। जहां मुमकिन होगा वहां स्थायी स्थान भी दिये जायंगे।

जौनपुर जिले में सीमेंट का वितरण

*१३--**श्री बाबू नन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में आजकल सीमेंट किस भांति दी जा रही है ?

श्री बनारसी दास--जिले में जितनी सीमेंट की प्राप्ति होती है वह जिलाधीश के आदेशानुसार शहरी और देहाती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वितरित होता है। नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे का कोई निर्धारित अनुपात नहीं है। नागरिक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के सीमेंट के प्रार्थना-पत्र विभागीय आदेशानुसार जांच किये जाते हैं और उसके पश्चात् उन पर जिलापूर्ति अधिकारी परमिट जारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजना की आवश्यकता को प्राथम्य दिया जाता है। विकास योजनाओं के लिए जितनी सीमेंट की आवश्यकता होती है वह जिला नियोजन अधिकारी की सलाह से अलग कर दिया जाता है किन्तु विकास कार्य तथा अन्य कार्य के लिए भी परमिट जिलापूर्ति अधिकारी ही जारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा के लिये यह अधिकारी निश्चित दिवसों पर प्रत्येक मास में दो बार तहसील कार्यालय में जाकर वहीं पर परमिट जारी करते हैं। प्रार्थना-पत्रों की जांच के लिए जिला पूर्ति अधिकारी ग्रामों के प्रधानों, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और पंचायत राज इन्स्पेक्टरों की सहायता लेते हैं।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला में नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे का निर्धारित अनुपात न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट आवश्यकता के अनुसार नहीं पहुंच पाती है। इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री बनारसी दास--जैसा कि कहा गया है इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को पूरे अधिकार हैं कि अगर ग्रामों में आवश्यकता अधिक है तो वह तमाम कोटा भी दे सकता है और ज्यादा अनुपात भी फिक्स कर सकता है और हर जिले में बिल्डिंग मेटीरियल रिसोर्सेज कमेटीज हैं, उनमें भी यह प्रश्न आ सकता है। इसलिये इस सम्बन्ध में अलग से कोई आदेश देने की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती।

अति वृष्टि तथा बाढ़ से प्रतापगढ़ जिला बोर्ड को क्षति एवं उसको सहायता

*१४--**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष अति वृष्टि तथा बाढ़ के कारण प्रतापगढ़ जिला बोर्ड के सड़कों, पुलियों, स्कूलों, भवनों आदि को बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसका अनुमान करीब ७ लाख रुपये का लगाया जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां, यह सत्य है कि विगत वर्ष अति वृष्टि तथा बाढ़ से जिला बोर्ड, प्रतापगढ़ के भवनों, सड़कों तथा पुलियों को काफी क्षति पहुंची थी।

*१५--**श्री राजाराम किसान**--क्या जिला बोर्ड प्रतापगढ़ ने इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिये सरकार को आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--बोर्ड ने केवल प्रतापगढ़ कुण्डा सड़क की मरम्मत के लिये ५०,००० रुपये के सरकारी अनुदान की मांग की है।

*१६--**श्री राजाराम किसान**--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उक्त बोर्ड को कुछ सहायता देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री मोहन लाल गौतम--इस सम्बन्ध में अनुदान देने के लिये सरकारी आय-व्ययक में कोई प्राविधान न होने के कारण बोर्ड का प्रस्ताव स्वीकृत न किया जा सका।

श्री राजाराम किसान--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सात लाख रुपये की क्षति को क्या बोर्ड बर्दाश्त कर सकता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो आंकड़े हमारे पास आये थे उनसे सात लाख का नहीं बल्कि ५ लाख ८८१ रुपये की क्षति अनुमानित की गई थी और यह तो समझने की बात है कि बोर्ड को यह क्षति काफी बोझिल मालूम होगी ?

श्री राजाराम किसान—क्या सरकार इस बोर्ड को कुछ सहायता देने के लिये विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—पिछले वर्ष असेम्बली ने खाते में कोई ग्रांट मुझे नहीं दी थी, इसलिये मजबूरी है और प्रतापगढ़ बोर्ड को कोई मदद नहीं दी जा सकती है।

बस्ती जिले में घेंघा, फीलपाव तथा हाईड्रोसील की बीमारियों की रोक-थाम का प्रबन्ध

*१७—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नवम्बर सन् १९५३ से फरवरी सन् १९५४ तक कितने हाईड्रोसील के मरीजों का आपरेशन बस्ती जिले के विभिन्न अस्पतालों में हुआ है ?

श्री बनारसी दास—९८२।

*१८—**श्री धनुषधारी पांडेय**—क्या सरकार इस बीमारी की रोकथाम करने का कोई उपाय उक्त जिले में कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस सम्बन्ध में एक योजना विचाराधीन है।

*१९—**श्री धनुषधारी पांडेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के घनघटा तथा कलवारी क्षेत्र में घेंघा, फीलपाव तथा हाईड्रोसील की बीमारी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां उसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। घेंघा की बीमारी की रोकथाम के लिये इस क्षेत्र में ५ से १२ वर्ष तक के स्कूली बच्चों को साल में दो बार पानी में आयुडीन मिला कर दिया जाता है। फाइलेरिया जो हाईड्रोसील का मुख्य कारण है इसकी रोकथाम के लिये एक योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। जब वह स्कीम सरकार के पास आयेगी उस पर विचार किया जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन स्कूलों में और किन किन संस्थाओं के द्वारा कितनी-कितनी आइयोडीन दी जाती है ?

श्री बनारसी दास—यह तो बतलाया जा चुका है कि यह साल में दो बार दी जाती है उन बच्चों को ५ साल से लेकर १२ साल तक के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स स्कूल्स में तथा अन्य स्कूलों में हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक किसी स्कूल में आइयोडीन नहीं दी गई है ?

श्री बनारसी दास—यदि माननीय सदस्य को इस प्रकार की शिकायत है तो अवश्य जांच कराई जायगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बिजली के अभाव के कारण इस बीमारी की रोकथाम में कमी पायी जा रही है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना मुझे तो नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि इस बीमारी की शिकायत बस्ती जिले की हरैया तहसील के पश्चिमी इलाके में भी है ?

श्री बनारसी दास—ज्यादातर इस बीमारी की शिकायत तो मानवर और सरयू नदी के बीच में है और कहीं तो नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार मानवर और सरयू के बीच में कोई इस किस्म का अस्पताल खुलवाने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि इस प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है और वहां से सूचना मिलने पर प्रान्तीय सरकार उसके अनुसार निश्चय करेगी।

माधोगढ़ टाउन एरिया, जिला जालौन को कुओं की सफाई तथा मरम्मत के लिये अनुदान तथा उसका दुरुपयोग

*२०—**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन १९५०-५१ में प्राविन्शियल हेल्थ बोर्ड ने कोई रकम माधोगढ़ टाउन एरिया जिला जालौन को ग्रांट के रूप में कुओं की सफाई तथा मरम्मत के लिये दी ? यदि हां, तो वह रकम कितनी थी ?

श्री बनारसी दास—जी हां। अनुदान के रूप में दी हुई धनराशि ७,६१७ रु० थी।

*२१—**राजा वीरेन्द्र शाह**—क्या सरकार माधोगढ़ टाउन एरिया जिला जालौन को दी हुई ग्रांट का उपयोग विवरण सहित बताने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—यह धन जिला बोर्ड को व्यय करने के लिये दिया गया था और अन्त में वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भेज दिया गया जिन्होंने कार्य को समाप्त करवा कर बाकी ९०५ रु० ११ आ० और व्यय का प्रमाण-पत्र इस प्रकार कि यह धन उसी कार्य में व्यय किया गया जिसके लिये यह धन दिया गया था, भेज दिया। दिये हुये धन से ९ कुओं से पानी निकलवाया गया और कीचड़ भी साफ कराई गई तथा इनमें से ६ कुओं की मरम्मत भी की गई।

*२२—**राजा वीरेन्द्र शाह**—क्या सरकार के पास कोई शिकायत उपर्युक्त ग्रांट की रकम के दुरुपयोग होने की आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट माधोगढ़ तथा स्वायत्त शासन के इंजीनियरिंग विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर ने इसके बारे में पूछ-ताछ की थी। उनकी रिपोर्ट पर संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो कुयें मरम्मत किये गये उनमें एक कुआं ऐसा भी है जिसकी मरम्मत के लिये कहा गया है कि वह मरम्मत नहीं किया गया लेकिन उसका नाम खर्चे में डाला गया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, इस प्रकार की एक शिकायत आयी है और जैसा कि प्रश्न २२ के उत्तर में कहा गया है कि उसकी जांच एस० डी० ओ० और असिस्टेंट इंजीनियर ने की है और वह अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विचाराधीन है और वह उस पर उचित कार्यवाही करेगी ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह उचित कार्यवाही क्या होगी, इसका मैं क्या तात्पर्य लगाऊं ? क्या उनको दंड दिया जायगा या उचित कार्यवाही क्या होगी, इसका क्या मतलब है ?

श्री बनारसी दास—पहले तो यही देखना है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह कहा है कि वहां के चेयरमैन टाउन एरिया और वहां के हेल्थ आफिसर ने अपने कर्त्तव्य का पालन सही नहीं किया था उनमें उन्होंने कुछ टेक्निकल दोष भी बतलाये हैं और कहा है कि इसकी जांच किसी टेक्निकल अधिकारी के द्वारा की जाय । तो इसलिये यह प्रश्न स्वशासन विभाग के अधीन है कि वह उसकी जांच करावे कि उसके बाद क्या करना उचित होगा ।

*२३—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[१५ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलरामपुर अस्पताल में रोगियों की चिकित्सा तथा उसमें स्थान की कमी

*२४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५२-५३ और १९५३-५४ में बलरामपुर अस्पताल में कितने रोगियों की (क) बाहरी मरीजों की हैसियत से, और (ख) अस्पताल में भरती करके, चिकित्सा की गयी ?

श्री बनारसी दास—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८७ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार बलरामपुर अस्पताल में बाहरी रोगियों के लिये या भीतरी रोगियों के लिये कुछ और भी धन देने का विचार कर रही है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जब-जब मांगें वहां से आती हैं तो उन पर विचार करके अधिक धन प्रतिवर्ष उस को दिया जाता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार के पास इस प्रकार की मांग या सूचना आई है कि बलरामपुर अस्पताल की एक बिल्डिंग उस काम के लिये बहुत नाकाफी है और या तो उसके लिये सेकेंड स्टोरी बना दी जाय या उस हास्पिटल का एक्सटेंशन किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो सत्य है कि बलरामपुर अस्पताल की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उस में बहुत मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता है । परन्तु नगर में और भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं, इसलिये अभी उसमें और कोई नयी इमारत बनाने या वार्ड इत्यादि बनाने की योजना सरकार के सामने नहीं है । लखनऊ में एक बड़ा मेडिकल कालेज है और किंग्स हास्पिटल, जहां आयुर्वेदिक कालिज खोला जा रहा है, उसमें आयुर्वेदिक के बेड्स भी रहेंगे । इसलिये इस बात की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि कोई और योजना अधिक बेड्स और वार्ड्स बनाने की तैयार की जावे ।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में ग्राम सभाओं को रुपया निकालने में कठिनाई

*२५—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बस्ती जिल को बांसी तहसील में किस-किस ग्राम सभा का कितना-कितना रुपया तहसील में जमा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—तहसील की गांव सभाओं का कोई धन नहीं जमा है वरन् जिला पंचायत अधिकारी के वैयक्तिक लेखे में जमा है जिस गांव सभा को जितना-जितना रुपया जिला पंचायत अधिकारी के वैयक्तिक लेखे में जमा है उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८८–३९५ पर)

*२६—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त तहसील के किस-किस ग्राम सभा ने अपना रुपया वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—बांसी तहसील की जिस-जिस गांव सभा ने रुपया निकालने के हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है उनकी सूची प्रस्तुत है । २५ गांव सभाओं को चेक द्वारा रुपया भेज दिया गया है ।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार को पता है कि गांव सभाओं को रुपया निकालने और जमा करने में कठिनाई पड़ रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर कोई ऐसी सूचना मुझे दी जायगी तो उसकी जांच कराऊंगा ।

*२७—श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[८ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के तराई भावर के कर्मचारियों को आबहवा का भत्ता

*२८—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों के तराई व भावर क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कोई आबहवा का भत्ता (Climate Allowance) मिलता है या नहीं ?

श्री बनारसी दास—आबहवा का भत्ता (Climate Allowance) खाद्य तथा रसद विभाग के उन कर्मचारियों को मिलता है जो नैनीताल जिले के तराई व भावर सरकारी (Government) स्टेटस (Estates) तथा काशीपुर तहसील में काम करते हैं ।

*२९—श्री रामप्रसाद नौटियाल—क्या यह सही है कि कोटद्वार में मई, १९५१ से सरकार ने खाद्य तथा रसद विभाग के उन कर्मचारियों का आबहवा का भत्ता बन्द कर दिया है जो जिलाधीश के मातहत काम कर रहे हैं जब कि उसी विभाग के रीजनल फूड कंट्रोलर (R. F. C.) के मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को तथा माल विभाग (Revenue Department) के कर्मचारियों को यह भत्ता लगातार मिल रहा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां । आर० एफ० सी० के मातहत कर्मचारियों का भी आबहवा का भत्ता बन्द कर दिया गया है । माल विभाग के कुछ कर्मचारियों को भत्ता मिल रहा है ।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जिला नैनीताल की तराई में काम करने वाले कर्मचारियों को आबोहवा का भत्ता दिया जाता है तो फिर गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में काम करने वाले स्टेट कर्मचारियों को यह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बनारसीदास—कोटद्वार तराई भावर क्षेत्र में शरीक नहीं है और वहां के रूल्स अलग होते हैं और हिल्स के अलग हैं । इसलिये वह उसके अन्दर सम्मिलित नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी के पास नैनीताल जिले के तराई भाबर क्षेत्र के कर्मचारियों की अनेक शिकायतें आई हैं कि उनमें से अधिक को तराई भाबर एलाउंस नहीं मिलता ?

श्री बनारसी दास—ऐसी शिकायतों की कोई सूचना नहीं है ।

पट्टी खाटली पल्ला (गढ़वाल) के अदालती सरपंच के चुनाव में विलम्ब

*३०—**श्री रामप्रसाद नौटियाल**—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पट्टी खाटली पल्ला (गढ़वाल) की अदालती पंचायत के सरपंच का चुनाव लगभग ढाई वर्ष से न करने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—दो पंचों के रिक्त पदों के उप-चुनाव न हो सकने के कारण उक्त सरपंच पद का चुनाव नहीं हुआ ।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि दो पंचों का चुनाव न होने के कारण सरपंच के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता था ?

श्री मोहनलाल गौतम—पंचायत निरीक्षक, मालूम होता है कि गलतफहमी से यह चुनाव नहीं करा सके ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार ऐसी गलतफहमी करने वाले पंचायत इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसी की पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर के अस्पताल की इमारत की दुर्दशा

*३१—**श्री मन्नी लाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर के अस्पताल की इमारत की दशा बहुत शोचनीय है ? क्या सरकार उसके जीर्णोद्धार का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह अस्पताल जिला बोर्ड का है । अस्पताल की मरम्मत के विषय में जिला बोर्ड का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

श्री मन्नी लाल गुरुदेव—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह इमारत जो अस्पताल की है वह मरहठों के वक्त की बनी हुई इमारत है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, बहुत पुरानी इमारत है ।

प्रदेश में नकली औषधियों के निर्माण को रोकने का उपाय

*३२—**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नकली औषधियों का निर्माण प्रदेश में रोकने के लिये वह क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—(१) औषधि बनाने वालों का निरीक्षण करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने ६ ड्रग्स इन्सपेक्टर (drugs Inspector) नियुक्त किये हैं जो औषधियों का निरीक्षण करते हैं और उसके नमूने जांच के लिये भेजते हैं। पांच और ड्रग्स इंसपेक्टर नियुक्त होंगे।

(२)—नकली औषधि बनाने वाले को, चालान किया जाता है तत्पश्चात् उन के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है। भारत सरकार इस विषय में ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत सजा की मियाद और बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(३)—इंसपेक्टर जनरल पुलिस ने सब सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को एक परिपत्र में आदेश दिया है कि वे सब हेल्थ आफिसरों को नकली औषधि बनाने या बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के हेतु पूर्ण सहायता दें। तथा भारत चिकित्सा संसद के उत्तर प्रदेशीय शाखा ने अपने एक परिपत्र में सब चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वे कीमती विदेशी औषधियों के खाली शीशी उनके प्रयोग के बाद फौरन तोड़ दें।

(४)—गवर्नमेंट एनालिस्ट के कार्यालय में औषधियों की जांच के लिये दो एनालिस्ट बढ़ाये गये हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नकली दवाओं के संबंध में कितने लोगों पर मुकदमे चले और उनका क्या परिणाम हुआ ?

श्री बनारसी दास—जी हां, सन् १९५२ में ८२३ सैम्पुल्स लिये गये और उसमें १३२ गलत पाये गये। ५५ का प्रासीक्यूशन किया गया जिनमें से ३० आदमियों का कंविक्शन हुआ और उन पर फाइन हुआ १९५३ में ८२७ सैम्पुल्स लिये गये, १३३ को स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं पाया गया। ९७ प्राजीक्यूशंस किये गये जिनमें से ५४ का कंविक्शन हुआ। ५,९३५ रुपया फाइन हुआ। तीन केसेज में सजायें भी हुईं, ६, ६ महीने की। एक केस के अन्दर दो महीने की सजा हुई और एक दूसरे केस के अन्दर एक महीने की सजा हुई।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो चालान हुये हैं यह ज्यादातर बेचने वालों के हुये हैं और मैन्युफैक्चर्स जो बनाते हैं नकली दवाओं को, उनके नहीं हुये हैं ?

श्री बनारसी दास—वह तो जहां कहीं भी इस तरह से सैम्पुल्स पाये गये उन्हीं का चालान किया गया है।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये निरीक्षण एलोपैथिक दवाओं के बनने को देखते हैं या आयुर्वेदिक दवाओं के बनने का निरीक्षण करते हैं ?

श्री बनारसी दास—ज्यादा शिकायत एलोपैथिक दवाओं की ही है और उसमें भी जो कीमती दवायें बाहर की होती हैं प्रायः उनका लेबुल या उनकी शीशियां लोग इस्तेमाल करते हैं। देशी दवाओं के बारे में इस प्रकार की शिकायतें नहीं थी। इसलिये इस प्रकार के सैम्पुल्स नहीं लिये गये।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन इंसपेक्टर्स की जांच के बावजूद भी यू० पी० के अन्दर कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो लगातार इस प्रकार का काम करती हैं और उनको "ब्लैकलिस्ट" नहीं किया गया है ?

श्री बनारसी दास—वह तो अभी इसीलिये इंसपेक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। जो इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं उनको देखा जायगा। जहां तक आयुर्वेदिक दवाओं का सवाल है वह ड्रग्स ऐक्ट है, उसके मातहत में वह लोग ऐसे आते नहीं ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी दवायें जो आ रही हैं उनमें कितने केसेज ऐसे पकड़े गये ।

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का अलग रेकार्ड तो नहीं है लेकिन जो दवायें बाहर की आती हैं वह काफी जगह पकड़ी गयी जो कि स्टैंडर्ड से बिलो पायी गयी है अब यह कहना कि वहां से आयी या उनकी शीशियां यहां पर गलत इस्तेमाल की गयीं यह बड़ा मुश्किल है ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि यह जो नकली दवायें बनती हैं वह बिलकुल इस तरह का केस है जैसे नकली नोट बनते हैं इनको इंस्पेक्टर्स नहीं पकड़ सकते। इनको पकड़ने का काम सी० आई० डी० पुलिस को सुपुर्द किया जाय तभी हो सकता है ?

श्री बनारसी दास—इस सुझाव के ऊपर गौर किया जा सकता है और इसमें एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है कि उनका सहयोग इसमें वांछनीय होगा। वैसे सहयोग तो वह लोग अब भी देते हैं ।

आगरा जिले में हरिजनों के लिये भवन निर्माण

*३३—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जो हरिजनों के लिये मकान बनने वाले थे वह अभी तक नहीं बने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। इस संबंध में भारत सरकार से आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा की जा रही थी। चूंकि इसके प्राप्त होने में देरी थी इसलिये प्रादेशिक सरकार ने स्वयं ७०,००० रुपया ऋण गत वित्तीय वर्ष में आगरा म्युनिसिपल बोर्ड को दिया। अब इस धन से बोर्ड ने मकान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

*३४—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि महात्मा गांधी (हीवेट) पार्क के पास मेहतरों की जो बस्ती बस गई है और जो बहुत ही गन्दी हालत में है वहां उक्त योजना के अन्तर्गत अच्छे मकान बनाने पर वे विचार करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस संबंध में स्थान का स्पष्ट निर्देश नहीं हुआ है। संभवतः उससे प्लाट संख्या ५९६ का आशय हो सकता है जो उत्तरी वजीरपुरा गेट के निकट हीवेट पार्क के उत्तर में स्थित है जहां १४ या १५ मेहतरों के मकान हैं जिनमें से आधे मकान बहुत पुराने हैं। यह भूमि कुछ लोगों की निजी सम्पत्ति है और बोर्ड के लिये इस प्रकार की भूमि पर मकान बनवाना संभव नहीं है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यह जो मकान बनाये जा रहे हैं वह अनआथोराइज्ड कांसट्रक्शन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी लीगल पोजीशन एक्स्प्लेन करना मेरे लिये मुश्किल है कि अनआथोराइज्ड कांस्ट्रक्शन के क्या अर्थ हैं। म्युनिसिपल बोर्ड खुद बना रहा है, वह कैसे अनआथोराइज्ड हैं मैं समझ नहीं सका।

श्री देवकी नन्दन विभव---अनआथोराइज्ड कांस्ट्रक्शन से मेरा मतलब यह है कि वह जमीन पर बिना कोई अथारिटी प्राप्त किये और बिना चुंगी से नक्शा पास कराये हुये यह मकान बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---कौन से प्रश्न से संबंधित है?

श्री देवकी नन्दन विभव---३४ से सम्बन्धित है।

श्री मोहन लाल गौतम---३४ में कोई मकान नहीं बनाया जा रहा है। १४, १५ मेहतरों ने मकान बना लिये थे। वह किस तरह के हैं यह प्रश्न में साफ नहीं है। प्रश्न तो यह था कि मेहतरों के मकान दुरुस्त किये जायंगे। उसका उत्तर है कि वह जमीन निजी है। इसलिये उसको खरीद कर हम उस पर मकान बनाने का विचार नहीं रखते हैं। जो मेहतरों के मकान बने हुये हैं वह अनआथोराइज्ड हैं या नहीं। इसकी मुझे जांच करानी होगी।

नगरपालिका एटा को निर्माण कार्यों के लिये धनराशि

*३५---**श्री चिरंजी लाल जाटव** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका एटा को सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितने रुपये की धनराशि निर्माण कार्यों के लिये दी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम---१९५२-५३ में कुछ नहीं परन्तु वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में ३०,००० रुपये का अनुदान सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया था।

श्री चिरंजी लाल जाटव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रु० कौन कौन सी सड़कों पर व्यय होगा?

श्री मोहन लाल गौतम---सड़कों का विस्तार हमारे सामने नहीं आता। हम तो एक रक़म दे देते हैं। सड़कों के लिये म्युनिसिपल बोर्ड खुद ही तय करता है।

पंचवर्षीय योजना के अधीन जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में अस्पतालों का निर्माण

*३६---**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन जिला गोंडा में तहसील तरब गंज में वह कितने अस्पताल बनाने जा रही हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आवश्यकतानुसार प्रत्येक क्षेत्र में अस्पताल खोले जायेंगे। संख्या समय पर निर्धारित होगी।

*३७---**श्री गंगा प्रसाद** (अनुपस्थित)---[८ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

शहर फतेहपुर के वाटर वर्क्स के लिये सहायता

*३८---**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहर फतेहपुर के वाटर वर्क्स के लिये इस साल भी सरकार द्वारा पिछले साल की भांति कुछ रुपया दिया जायगा?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*३९—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—अगर हां, तो कब तक और कितना रुपया दिया जायेगा?

श्री मोहन लाल गौतम—जून, १९५४ में बोर्ड को २,००,००० रुपया दिया भी जा चुका है।

भ्रष्टाचार के अपराध में सप्लाई विभाग से निकाले गए कर्मचारी

*४०—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष कितने सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पचास।

भिखारियों के सम्बन्ध में यू० पी० आर्फनेजेज़ एंड विडोज़ होम कमेटी की सिफारिशें

*४१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार २५ मार्च, १९५३ के प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि U. P. Orphanages and Widows Home के विषय में वह कब तक विधेयक प्रस्तुत करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—विधेयक का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परन्तु इसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में अभी कुछ समय लगेगा।

*४२—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि भिखारियों के विषय में U. P. Orphanages and Widows Home Committee की जो सिफारिशें सन् १९५१ में उसे प्राप्त हुई थीं, वे क्या हैं और उन पर वह क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—U. P. Orphanages and Widows Homes की भिखारियों के सम्बन्ध में सिफारिशें छपी हुई रिपोर्ट के प्रश्न ११ पर दी हुई हैं जिसके आवश्यक उद्धरण नत्थी किये जा रहे हैं।

बालभिक्षुक के लिये कानपुर में एक अनाथालय खोलने का प्रस्ताव आर्थिक कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित न हो सका।

भिखारियों के लिये कानपुर और लखनऊ के एक एक Work House खोलने की योजना विचाराधीन है जिसके संबंध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुष्ठ पीड़ितों के सहायतार्थ सरकार वर्तमान संस्थाओं को भरसक आर्थिक सहायता दे रही है।

गोरखपुर जिले में कुछ Mobile Leprosy Units भी चालू किये गये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्फनेज और विडोज होम कमेटी की स्थापना कब की गई थी?

श्री मोहन लाल गौतम--इस कमेटी की रिपोर्ट छप गई है और ये सब आंकड़े उसमें दिये हुए हैं।

जच्चा-बच्चा और शिशु कल्याणकारी कार्यों की स्थापन

*४३--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनाइटेड नेशन्स इन्टर नेशनल चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फंड की सहायता उत्तर प्रदेश में जच्चा-बच्चा और शिशु कल्याणकारी कार्यों की कहां कहां स्थापना हुई है ?

श्री बनारसी दास--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९७-३९८ पर)

*४४--श्री राम हेत सिंह--उक्त स्थापना केन्द्रों के प्रति कैसी प्रगति रही है तथा जनता का ऐसे केन्द्र खुलने के प्रति क्या रुख रहा है ?

श्री बनारसी दास--विश्व स्वास्थ्य संगठन संघ तथा यूनीसेफ की सहायता से १३५३-५४, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में २०० जच्चा-बच्चा केन्द्र खुलने थे। १९५३-५४ में ६५ केन्द्रों के खुलने के आदेश भेजे गये जिसमें ४८ स्थानों के लिये कर्मचारी नियुक्त किये गये। ४३ स्थानों में कार्य आरम्भ हो गया है और ५ स्थानों से अभी सूचना नहीं आयी है। शेष १७ स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं के उपलब्ध होने पर उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी।

जनता इस प्रकार खुलने वाले केन्द्रों का स्वागत करती है और प्रदेश में कहीं पर भी इन केन्द्रों के खुलने का विरोध नहीं हुआ है।

श्री राम हेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन ४८ जच्चा-बच्चा केन्द्रों तथा विश्व कल्याणकारी केन्द्रों के खुलने की म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज को छोड़ कर शेष देहातों में खुलने की संख्या क्या है ?

श्री बनारसी दास--ये तो सब कहीं पर कायम किये गये हैं।

श्री राम हेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि स्वास्थ्य संगठन और चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड की ओर से इन केन्द्रों के खुलने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना धन व्यय करने का भार लिया है ?

श्री बनारसी दास--जहां तक हमारी इस योजना का सवाल है २०० केन्द्रों के अन्दर २/३ सहायता वहां से मिलेगी और १,३ सहायता यहां से मिलेगी, बाद को सारा भार प्रदेशीय सरकार को वहन करना पड़ेगा।

*४५--श्री राम हेत सिंह--[१५ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

नैनीताल में कैंसर इन्स्टीट्यूट खोलने का विचार

*४६--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार ने नैनीताल में कैन्सर इन्स्टीट्यूट खोलने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो उपर्युक्त इन्स्टीट्यूट कब तक खुल जायेगा ?

श्री बनारसी दास--अभी योजना पर कतई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, इसके पहले कि मैं प्रश्न पूछूं मैं यह जानना चाहता हूं कि यह "कतई निर्णय" का क्या अर्थ है। बिल्कुल निर्णय नहीं लेना है या फाय-नली निर्णय नहीं लेना है।

श्री बनारसी दास--अभी तक फायनल कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नैनीताल में प्रेस प्रतिनिधियों को बतलाया था कि एक कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय किया जा चुका है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने प्रेस प्रतिनिधियों से इस संबंध में बातें की होंगी तो यह कहा था कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। और किन कारणों से विचार कर रही है वे कारण भी मैंने माननीय सदस्य को स्वयं बतलाये थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस कैंसर इन्स्टीट्यूट के खोले जाने में जे० के० कानपुर ने कुछ सहायता देने का बचन दिया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह सत्य है। श्री पद्मपत सिंहानिया से एक इस प्रकार के इन्स्टीट्यूट खोलने के सिलसिले में मैंने बात की थी और उन्होंने सरकार को यह बचन भी दिया था कि यदि इस प्रकार का इन्स्टीट्यूट खोला गया तो वह पूरी-पूरी सहायता करेंगे और जो कुछ धनराशि उसमें व्यय होगी उसको वह सरकार को देंगे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कैंसर इंस्टीट्यूट के खुलने पर हर साल एडीशनल एक्सपैण्डीचर क्या होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रेकरिंग एक्सपेन्डीचर कुछ ज्यादा नहीं होगा। कैंसर इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के सम्बन्ध में २,३ साल पहले अनुमान जो हमारे विभाग ने बनाया था वह अनुमान ११ लाख रुपये का बजट में था जो कि पहले वर्ष में व्यय होगा। उसके बाद ५० हजार रुपया प्रतिवर्ष रेकरिंग खर्चे के रूप में व्यय होगा।

श्री शिव कुमार शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ लोगों का यह मत है कि नैनीताल में कैंसर इन्स्टीट्यूट खुलने से देश के धनिकवर्ग का ही लाभ होगा और ग़रीबों को लाभ नहीं होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह विषय थोड़ा विवादग्रस्त बन गया है। जब नैनीताल में कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने के ऊपर विचार हुआ उस समय डा० भाटिया जो हमारे प्रदेश के एक विख्यात फिजिशियन हैं वह वहां पर मौजूद थे और हमने वहां रेमजे होस्पिटल उनको दिखाया और उनका मत लिया। उन्होंने अपना मत इस हक़ में दिया कि वहां रेमजे होस्पिटल में कैंसर इस्टीट्यूट खुल सकता है और खुल जाना चाहिये। रेमजे होस्पिटल से वह फायदा भी नहीं उठा पाते हैं और जनता को उससे उतना फायदा भी नहीं मिलता है जितना कि हम खर्चा उस पर प्रति वर्ष कर रहे हैं। उनके मत को मानकर और उस कमेटी के मत को मान कर जो कमेटी हमारे लेजिस्लेचर की "स्टैंडिंग कमेटी" है, यह निर्णय किया कि हम रेमजे होस्पिटल में जो कि नैनीताल में स्थापित है कैंसर अस्पताल खोलें। उसके बाद जब इलाहाबाद और लखनऊ के अखबारों में यह समाचार छपा तो वहां से कुछ लोग मुझसे मिलने आये और उन्होंने अपना जो मत प्रकट किया वह डा० भाटिया के मत से भिन्न था। इसलिये सरकार को इस पर निर्णय करने में दुविधा मालूम हुई। जहां तक श्री पद्मपत सिंहानिया का धन देने का प्रश्न है और उन्होंने जो अपना धन देने का बचन दिया था उस सिलसिले में उन्होंने यह लिखा है कि वह धनराशि जो इस कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिये देने को कहा है वह अभी हाई कोर्ट के झगड़े में पड़ी हुई है, किन्तु वह उस बचन को पूरा करेंगे जैसे कि वह मुकदमा खत्म हो जायगा। कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिये जो ५ या ७ लाख रुपये की आवश्यकता है वह उसको देंगे। इसलिये नैनीताल में खुलने के बारे में जो हमने विचार किया था उस विचार के ऊपर क़तई निर्णय करने में दिक्क़त पैदा हो गयी। इसलिये अभी तक हमने अंतिम निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं किया।

वी० सी० जी० का टीका लगाने की योजना

*४७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार "वी० सी० जी०" लगाये जाने की अस्थायी योजना को स्थायी करने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और वह अभी इस संबंध में कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर सकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बी० सी० जी० को स्थायी करने के सम्बन्ध में क्या क्या रुकावटें उनके सामने हैं ?

श्री बनारसी दास—अभी तो यह योजना चल रही है और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आया इसका स्थायी करना हमारे लिये उचित होगा या नहीं। वैसे यह योजना बराबर बढ़ायी जा रही है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय इसके ऊपर विचार कर लिया जायगा कि इसको स्थायी किया जाय या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बी० सी० जी० योजना के अनुसार कितने जिलों में काम हो रहा है और उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त हमारे यहां केवल ९ यूनिट्स काम कर रहे हैं और एक एक यूनिट्स के अन्दर ६ टेक्नीशियन्स होते हैं और अभी हाल ही में हमने इन यूनिट्स को बढ़ाने का निश्चय किया है कि बजाय इन ९ के १७ यूनिट्स कर दिये जांय और टेक्नीशियन्स की तादाद भी ६ के बजाय १२ कर दी जाय। इस समय प्रदेश में वह काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और प्रदेश में जहां कहीं भी आवश्यकता होती है हम उनको भेजते रहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बड़ी म्युनिसिपैलिटीज में बी० सी० जी० का एक टेक्नीशियन परमानेंट तरीक़े पर रखने की आवश्यकता समझती है ?

श्री बनारसी दास—जैसे मैंने अभी निवेदन किया, १७ यूनिट्स का फ़ैसला किया गया है और उसके द्वारा प्रदेश में किस तरह से काम होगा, इसका कार्यक्रम निश्चित किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बी० सी० जी० के फ़ायल्स क्या बाहर से ही आते हैं ?

श्री बनारसी दास—हमारे देश में नहीं बनते, बाहर से ही मंगाये जाते हैं।

ग्रामों में सीमेंट के वितरण की व्यवस्था

*४८—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रामों में मकानों के लिये सीमेंट वितरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री बनारसी दास—ग्रामों में सीमेंट के वितरण की व्यवस्था का विवरण विभागी परिपत्र दिनांक २० जून, १९५० ई० के अनुच्छेद ४ और ५ में दिया गया है, जिसका उद्धरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९९ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय परिपत्र, जो २० जून, सन् ५० को भेजा गया, इस पर अमली रूप से काम हो रहा है या नहीं ?

श्री बनारसी दास—इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आयी है, कि अमली रूप से काम नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि आज भी गांव के लोगों को इंजीनियर के दस्तखतों और नक्शे बगैर सीमेंट नहीं मिलता है ?

श्री बनारसी दास—इस सम्बन्ध में निश्चित आदेश है कि ग्राम के लिये इंजीनियर के दस्तखत या नक्शे की आवश्यकता नहीं है। अगर २५ बोरी से ज्यादा की आवश्यकता है तो सिविल सप्लाई अफसर उसे वैरीफाई कर सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या देहात में सीमेंट का वितरण अदालती पंचायतों द्वारा कराने की सोच रही है ?

श्री बनारसी दास—अगर ५ बोरे से कम की आवश्यकता है तो पंचायत के प्रधान की सिफारिश से मिलेगा और उससे ज्यादा के लिय वहां के सरपंच का काउंटरसाइन होना जरूरी है और उसके ज्यादा के लिये २५ बोरी तक पंचायत इंसपेक्टर के द्वारा दरख्वास्तें आवेंगी।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या यह सम्भव है कि ग्राम-क्षेत्र से जानकारी रखने वालों की एक कमेटी बनायी जाय जो सीमेंट वितरण में वहां के अधिकारियों को सहयोग दे ?

श्री बनारसी दास—यह तो और भी ज्यादा स्थानीय है कि ग्राम सभा के अधिकारियों और अदालती पंचायत के अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वह वितरण करें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा के प्रधान और सरपंचों को अधिकार केवल सिफारिश का दिया गया है और परमिट सप्लाई आफिस से ही बनाये जाते हैं ?

श्री बनारसी दास—यह सही है। लेकिन यह भी आदेश है कि सप्लाई अफसर हफ्ते में एक दिन जाकर तहसील में वितरण करें।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या देहात के लोगों को तहसील पर आने में दिक्कत होने की शिकायत सरकार के पास आयी है और क्या यह मुमकिन है कि यह प्रबन्ध पंचायती क्षेत्रों में ही हो जाय ?

श्री बनारसी दास—हां, लोग यह समझकर कि सप्लाई आफिस से ही सीमेंट मिलता है वहां आ जाते हैं।

कारपोरेशन बिल को सदन के समक्ष लाने की तिथि

*४९—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कारपोरेशन बिल सदन के समक्ष कब तक आ जायेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कार्य में विलम्ब न हो।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वर्ष में भी यह बिल सदन के सामने आ जायगा या नहीं ?

श्री मोहन लाल गौतम---प्रयत्न किया जा रहा है ।

*५०---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---[७ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को भत्ता देने की योजना

*५१---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि म्युनिसिपैलिटी टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के अध्यक्षों को कुछ भत्ता देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आयी है कि गरीब वर्ग को अपने कर्त्तव्य पालन में इस कारण से दिक्कत हो रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---मुझे इस समय याद नहीं है कि इस तरह की कोई शिकायत आयी हो ?

प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल

*५२---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने और कहां कहां प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) के अस्पताल अथवा क्लिनिक्स हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अभी तक प्रदेश में कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल या क्लीनिक नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि इस प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सालय कितने हैं और सरकार की ओर से भविष्य में कोई सहायता दिये जाने का विचार है ?

श्री बनारसी दास---यह उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि प्रांत में कितने ऐसे चिकित्सालय हैं । हां, यह विचारणीय प्रश्न है कि प्राकृतिक चिकित्सालयों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया जाय और उनको कितनी सहायता दी जाय ।

दावतों में अतिथियों की संख्या पर प्रतिबन्ध

*५३---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या दावतों में खाने वाले लोगों की संख्या पर अब भी प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह)---हां, ऐसी दावतें में जिनमें नियंत्रित खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाय अतिथियों की संख्या पर प्रतिबन्ध अब राज्य के केवल नगरपालिका क्षेत्र में ही लागू हैं ?

२---उक्त प्रतिबन्ध अखिल भारतीय आधार पर भारत सरकार द्वारा नियमत किए जाते हैं तथा इस राज्य में भी भारत सरकार के आज्ञानुसार ही लागू हैं । उन्होंने अब तक राज्य सरकार को नगरपालिकाओं से ये प्रतिबन्ध हटाने का अधिकार नहीं दिया है ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कि इस प्रांत में खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है तो क्या प्रांतीय सरकार भारत सरकार से दावतों पर से प्रतिबन्ध उठाने का अनुरोध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी हुई थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने दूसरे प्रांतों में भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रक्खे हैं इसलिये उसके यह आदेश हुए कि यहां भी वे प्रतिबन्ध जारी रहें।

चित्रकूट में यात्रियों के इलाज तथा उनकी सेवा-शुश्रूषा का प्रबन्ध

*५४—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चित्रकूट में जहां हजारों यात्री प्रतिवर्ष तीर्थ करने आते हैं रोगियों के इलाज तथा उनकी सेवा-शुश्रूषा का क्या प्रबन्ध है ?

श्री बनारसी दास—वहां एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालय है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कितना स्टाफ और बैड्स है ?

श्री बनारसी दास—वहां केवल आउट-डोर पेशेंट्स की व्यवस्था है, इनडोर पेशेंट्स की व्यवस्था नहीं है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इनडोर पेशेंट्स के लिये कोई भवन मिल जाय, जैसे ही भवन मिल जायगा बैड्स की व्यवस्था की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ स्टेशन से बन्दरों का निर्यात

१—**श्री बाबू नन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बन्दर लखनऊ स्टेशन से रेलवे द्वारा भेजे जा रहे हैं वे कहां पर और क्यों भेजे जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—उत्तर प्रदेश सरकार ने बन्दरों को बाहर भेजने का कोई आयोजन नहीं किया। रेल द्वारा बन्दर क्यों और कहां भेजे जा रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है, इन प्रश्नों का उत्तर केन्द्रीय सरकार ही दे सकती है।

२—**श्री बाबू नन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितने बन्दर लखनऊ शहर से पकड़ कर बाहर भेजे गए ?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले की बांसी तहसील के उत्तरी भाग में कुओं की मरम्मत तथा सफाई के लिये अनुदान

३—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**—क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९५२-५३ में प्राविंशियल हेल्थ बोर्ड ने कोई रकम बस्ती जिले की बांसी तहसील के उत्तरी भाग को जहां पर कि मलेरिया आदि बीमारियां बराबर रखती हैं ग्रांट के रूप में कुओं की सफाई तथा मरम्मत के लिये दी ? यदि हां, तो वह रकम कितनी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

एक गांव वाली ग्राम पंचायतें

४—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांत भर में कुल कितनी गांव पंचायतें ऐसी हैं, जो केवल एक ही गांव की हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रदेश भर में कुल ७,८३४ गांव पंचायतें ऐसी हैं जो केवल एक ही गांव की हैं।

५—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी गांव पंचायतें ऐसी हैं जिनकी जन-संख्या तीन हजार से अधिक है ?

श्री मोहन लाल गौतम—९८६ गांव पंचायतें ऐसी हैं जिनकी जन-संख्या तीन हजार से अधिक है।

खीरी जिले में सिंगाही कलां तथा ओयल को टाउन एरिया बनाने पर विचार

६—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार को कस्बा सिंगाही कलां तथा ओयल, जिला खीरी को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में जिलाधीश खीरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां ।

७—**श्री जगन्नाथ प्रसाद**—यदि हां, तो सरकार का कब तक इन कस्बों को टाउन एरिया घोषित करने का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिलाधीश का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन कस्बों को टाउन एरिया घोषित कर ही दिया जायगा ।

सिंचाई कर के विरुद्ध आन्दोलन से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब सिंचाई कर के विरुद्ध आंदोलन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार होगा।

दर्शक दीर्घा में हुई हुल्लड़बाजी के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सामने भेजने के लिए प्रस्ताव

*__श्री महावीर प्रसाद शुक्ल__ (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रार्थनापत्र दिया है । मैं यह प्रस्ताव आपकी अनुमति से प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजने के लिये रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप पढ़ कर सुना दें। वह मेरे पास पहुंच चुका है। मैं भी आपको उसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—"गत २३-८-५४ को पूर्वान्ह में इस विधान सभा की बैठक के समय दर्शक दीर्घाओं में जो प्रदर्शन हुआ, नारे आदि लगाए गए तथा सदन के कार्य-सम्पादन में अव्यवस्था और बाधा उपस्थित की गयी तथा ऐसा करने वाले दर्शकों को कुछ सदस्यों द्वारा जो प्रवेश पत्र दिये गए इससे इस सदन की विशेष मान हानि हुयी है तथा सदन द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारियों का उल्लंघन (दुरुपयोग) हुआ है। अतएव मेरा प्रस्ताव है कि यह मान हानि का प्रश्न इस सदन की विशेषाधिकार समिति के पास उसकी जांच तथा प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए भेजा जाय ।"

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मुझे इस प्रस्ताव पर एतराज है।

श्री अध्यक्ष--वह प्रस्ताव मेरे पास पहुंच चुका है । सदन की इत्तला के लिये मैंने उनको पेश करने के लिये कह दिया । उसकी कापी मुझे मिली थी इसलिये मैंने आज्ञा भी दे दी । चूंकि एक समिति कल सदन ने मुकर्रर करने का निश्चय किया है तो उस सदन की समिति की जबतक जांच न पूरी हो जाय और उसकी सिफारिशें सदन के सामने न आ जायं तब तक यह प्रश्न स्थगित रहेगा और उसमें जो समय व्यतीत होगा वह इस प्रश्न को उठाने में बाधक न होगा । इसलिये मैंने फैसला दे दिया है कि वह प्रश्न आज उठाया नहीं जा सकता । इसलिये मैं उसे ले नहीं रहा हूं ।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, अभी-अभी मुझे एक तार मिला है । वह आपको भी मिला होगा ।

श्री अध्यक्ष--मुझे नहीं मिला है ।

श्री राज नारायण--इस में लिखा है । "Astonished to read Statement demonstrators Refused to give the names Absolutely false police took names twice I with Karunesh Rangnath Gyanendra Dharamvir and six other young Socialist members raised slogans againt special powers act urging Its withdrawal and Sampurnanand Resignation all Spontaneous no Intention to disrespect house I Amounts to Contempt Ready to face Consequences Rajni kant Verma."

श्री अध्यक्ष--इसको हाउस में पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री राज नारायण--मैं श्रीमन् यह कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप यह तार मेरे पास भेज दें । मैं देख लूंगा..... ।

श्री राज नारायण--मैं आप के पास इसे भेजे देता हूं । इसमें उन लोगों ने लिखा कि हम लोग कानसिक्वेनसेज बीयर करने (फल भोगने) को तैयार हैं ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, २४ तारीख के नेशनल हेरल्ड में एक स्टेटमेंट छपा है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं, इस वक्त अखबार के स्टेटमेंट पर वादविवाद नहीं हो सकता मेरे पास भी वह स्टेटमेंट आ चुका है और जो कुछ भी कार्यवाही मुझे अपने दफ्तर से करना है वह मैंने शुरू कर दी है, इसलिये इस पर इस वक्त बहस नहीं हो सकती ।

सिंचाई कर के विरुद्ध आन्दोलन से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज जो वाद विवाद होगा उस में स्वभावतः कई लोग भाग लेना चाहेंगे और यह मुनासिब होगा कि उस तरफ के माननीय सदस्यों को काफी समय मिले और गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब देने का काफी मौका रहे । इसलिये उचित होगा कि भाषणों के लिए समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि मेरा जैसा आदमी ही खड़े हो कर सारे का सारा समय न ले ले ।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--मैंने तो कल ही इच्छा जाहिर की थी और मेरे कामरोको प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से यह बात आयी थी कि कोई दिन

[श्री राज नारायण]

मुकर्रर कर दिया जाय । सरकार खुद अपनी तरफ से तैयार नहीं थी । हमें अपनी बात कहने का समय मिलना चाहिये । और जितना समय सरकारी पक्ष के लोगों को मिले उतना समय हमें अवश्य मिलना चाहिये । यह न हो कि उस पक्ष के लोगों को ही अधिक समय मिल जाय । क्योंकि होता यह है कि मंत्रिगण तो अपने टाइप्ड स्टेमेंट दे देते हैं और उससे उन का प्रोपेगेण्डा हो जाता है और हमारा प्वाइंट आफ व्यू कोई नहीं समझ पाता । इसी चीज की तरफ मैंने कल भी जोर दिया था और आज भी आप के चेम्बर में जो बातचीत हुयी उस में भी मैंने निवेदन किया था कि जितना समय सरकारी पक्ष को मिले उतना समय हमें भी मिलना चाहिये और अपने समय में हम और संयुक्त दल आपस में बाचीत कर के तय कर लेंगे कि कौन कितना समय ले, लेकिन यह न हो कि गवर्नमेंट पक्ष के लोग ही ज्यादा समय ले लें ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, अनुपात से समय बांट दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--इतनी तो सभी की राय है कि समय बांट दिया जाय । अब हर एक मेम्बर के लिये क्या समय हो, इस में थोड़ा सा नियंत्रण करना ही पड़ेगा । कुछ लोग किसी दल विशेष की तरफ से इस पर काफी तैयारी किये हुए हों उन्हें कुछ समय अधिक दिया जा सकता है । इसी तरह से मंत्रियों का भी सवाल दूसरा है, उनको टीका-टिप्पणी के आधार पर अपना जवाब देना होता है, इसलिये उन को समय देना अपने जिम्मे रखता हूं । इनके अलावा और सदस्यों के लिये कोई नियंत्रित समय बांध लिया जाय और सब को उसी हिसाब से समय दिया जायगा । नेताओं के लिये अधिक समय दूंगा और दल विशेष के एक दो सदस्यों को अगर वह चाहेंगे तो कुछ अधिक समय दिया जा सकता है । कुल ४ घंटे का समय है और ४०० सदस्य हैं । इतने समय में बहुत से सदस्य बोल ही नहीं सकते । इसलिये डेढ़ घंटे में मुख्य विरोधी दल के वक्ता अपना समय स्वयं बांट लें और जो व्यक्ति उन की तरफ से बोलें वह अपने बीच में तय कर लें कि कितना समय लेंगे । आध घंटे का समय संयुक्तदल के लोग ले लें और बाकी समय मंत्री और बहुमत दल के जो लोग हैं उनमें बांट दिया जायगा । किसी एक या दो आदमी जिनको वह कहेंगे उनको अधिक समय दिया जायगा बाकी लोगों को १० मिनट से अधिक नहीं मिलेगा दोनों ही पक्षों के एक-एक या दो सदस्यों को वह समय मिलेगा । तो मुझे राजनारायण जी बता देंगे कि कौन चार या पांच सदस्य उनकी ओर से बोलेंगे और जैसा वह चाहें डेढ़ घंटे के बीच में सब मिला कर बोलने का तय करे और संयुक्त दल के लोग आध घंटे के बीच में जो बोलना चाहें उनका नाम बता दें । यह मैं दल के हिसाब से नहीं बता रहा हूं बल्कि व्यक्ति के हिसाब से समय दूंगा । आप उन लोगों की सूची दे दें जो बोलेंगे तो मैं उस हिसाब से फैसला कर दूंगा । मैं समझता हूं कि यह तरीका ठीक होगा । माननीय गृह मंत्री जी को कोई इसमें आपत्ति तो नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष (श्री झारखंडे राय के खड़े होने पर)--आप किसी में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको शामिल बहुमत दल में कर लूंगा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक निवेदन इस सम्बन्ध में और करना था । कामरोको प्रस्ताव तो हमने प्रस्तुत किया था और हमको बहुत सी शिकायतें थीं तो आपकी बड़ी कृपा हो यदि इसकी शुरुआत हमी करें । हम अपने तमाम प्वाइन्ट्स को रख दें और माननीय मंत्रीगण उनको सुनकर जवाब देना चाहें तो दे दें । यह ज्यादा अच्छा होगा । क्योंकि सरकारी पक्ष की तरफ से बहुत प्रचार हो चुका है और विरोधी पार्टी की तरफ से प्रचार करने का कोई साधन नहीं है और इसलिये वह नहीं हो सका है ।

श्री अध्यक्ष--इस सदन के द्वारा तो प्रचार हुआ नहीं। अगर प्रचार हुआ भी होगा इस विषय के ऊपर तो पार्टियों की तरफ से बाहर हुआ होगा और इस प्रकार दोनों पार्टियों को पूरा अधिकार था। अब किस का प्रचार कम हुआ और किसका अधिक यह कहने को तो मैं तैयार नहीं हूं। सदन के द्वारा अभी विचार हो रहा है और उसमें काफी समय दिया जा रहा है और उसमें आप मानेंगे कि संख्या के अनुपात से या जो रोजाना का तरीका है कि एक सदस्य को इधर से बोलने की इजाजत मिलती है तो दो या तीन आदमियों को उधर से बोलने के लिये कहता हूं तो इस अनुपात से भी अब आज अधिक समय दिया गया है। तो ऐसी अवस्था में इसका डर नहीं होना चाहिये कि किसका कितना प्रचार होता है बल्कि इसके ऊपर विश्वास रखना है कि भाषण किस प्रकार के होते हैं। जो भाषण प्रचार के योग्य होते हैं उनको अखबार वाले और जनता ले ही लेती है। तो विचारपूर्ण और जिनका प्रचार हो सके ऐसे भाषण देने की कृपा सदस्य करें। मैं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। आज का दिन चूंकि सरकारी दिन में से लिया गया था इसलिये प्रथा के अनुसार यही हो सकता है कि सरकार विवाद शुरू करेगी। यदि माननीय विरोधी दल के नेता की यह इच्छा थी कि वह शुरू करें तो किसी असरकारी दिन इसको रख देना चाहिये था और इस प्रकार अन्य असरकारी दिन की भांति वह शुरू करते लेकिन अगर सरकारी दिन कोई विवाद का विषय रखा जाय तो इसका मतलब यही है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया कि वह उस विषय के विचार के लिये वह दिन देती है और इसलिये वह अपना स्पष्टीकरण पहले दे दिया करती है। तो यह नियमानुसार है कि पहले सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सरकारी दिन दिया जाय। और यही प्रथा उचित भी मालूम होती है, इसलिये मैं सूचना मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपना भाषण प्रारंभ करें।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मैं आपका हृदय से अनुगृहीत हूं कि इस प्रश्न पर जो विचार इस आदरणीय सदन में होने जा रहा है उसमें मुझे आपने यह अवसर प्रदान किया कि मैं सरकार की ओर से इस प्रश्न को जो स्थिति है उसका कुछ स्पष्टीकरण करूं।

सिंचाई की दरों में वृद्धि सन् १९५३-५४ के बजट में की गयी, जो इस आदरणीय सदन के द्वारा स्वीकृत किया गया। एक अप्रैल सन् १९५३ से सिंचाई की वे दरें लागू हैं जो आज इस प्रदेश में वर्तमान हैं। फिर सन् १९५४-५५ के बजट में भी बढ़ी हुयी सिंचाई की दरों से जो आमदनी इस सार्वजनिक कोष में होगी उसका उल्लेख उस बजट में भी किया गया है और इस माननीय सदन के द्वारा वह बजट भी स्वीकार किया गया। पिछले कुछ महीनों से इस प्रश्न पर एक बड़ा भारी विवाद खड़ा करने की चेष्टा की गयी। सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इस विवाद का सूत्रपात किया गया और फिर समाचार पत्रों के स्तम्भों में, सभा मंचों के द्वारा तथा और भी जितने साधन उपलब्ध हो सकते थे उन सब का उपयोग करके इस प्रश्न को एक विवाद का स्वरूप प्रदान किया गया। जहां तक किसी एक नीति के विरुद्ध अपने मत को प्रकट करने की बात होती है, वहां तक, मान्यवर, लोकतंत्र की व्यवस्था में उस के लिये स्थान रहता है। इस सदन के भीतर हो अथवा इस सदन के बाहर, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, किसी भी राजनीतिक दल को, जनतंत्र की व्यवस्था में यह अधिकार प्राप्त है और विधान के द्वारा उसका यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी सरकार की नीति के सम्बन्ध में अपने मत को अभिव्यक्ति करे और अपने मतभेद को प्रकट करने का अवसर पाये। यदि यह विवाद श्रीमान्, केवल मत-मतान्तर और मतभेद तक ही सीमित रहा होता तो उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में स्थापित लोकतंत्र में उस के लिये स्थान मौजूद है परन्तु जब मतभेद और मत-मतान्तर किसी एक परिधि को पार करके आगे होता है तो वह स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मेरी नम्र सम्मत्ति में अपने विचारों को जहां प्रकट करने का सर्वथा अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है और जहां विचारों की स्वतंत्रता, लिखने और भाषण करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, वहां कार्य करने की स्वतंत्रता (फ्रीडम आफ एक्शन) के लिये गुंजाइश नहीं रहा करती। कार्य

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करने की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जो सिद्धांत जो निर्णय जो कानून जो नीति जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा स्वीकृत हो और अपनाई जाय उस नीति के विरुद्ध यद्यपि अपने मत को प्रकट करने का अधिकार सबको है, पर उस नीति, उस कानून, उस विधि और उस विधान का उल्लंघन करके आगे जाना मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की व्यवस्था के मूल पर ही आघात करना होता है।

मैं नम्रतापूर्वक आपके सामने अपना यह विरोध प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे कर के आगे जाना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की व्यवस्था के मूल पर ही आघात करना होता है। प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की गयी, एक विषय जो विधान सभा के द्वारा निर्णित हुआ और एक नीति जो यहां अपनायी गयी और जिसका परिचालन और कार्यान्वित करने का कार्य सरकार के ऊपर डाला गया, उस नीति का विरोध इस सदन में और इसके बाहर भी हुआ। अच्छा ही हुआ, कोई हर्ज नहीं है। परन्तु उस नीति का उल्लंघन करके कायदे और कानून का उल्लंघन करके और न केवल स्वयं उल्लंघन करके परन्तु सामूहिक और सार्वजनिक रूप से सारे प्रदेश में, जनता में इसके उल्लंघन की भावना फैलाने की जो चेष्टा की गयी, मेरे विचार में वह एक ऐसा प्रयास है जिसका प्रतिरोध करना न केवल सरकार का प्रत्युत उस प्रत्येक व्यक्ति का धर्म हो जाता है जो यह विश्वास करता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था का परिचालन, उसकी पुष्टि उसी स्थिति में है जब कोई स्वच्छंद कार्य करने की अनुमति किसी व्यक्ति को न प्रदान की जाय। और खेद होता है तब जब इस प्रकार के आंदोलन को सत्याग्रह की संज्ञा प्रदान की जाय। इस प्रदेश में जो सरकार जनता द्वारा स्थापित है उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। उसके हाथ में अविच्छिन्न सत्ता वर्तमान है, वह इस प्रदेश की स्वामिनी है, उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह जैसे चाहे शासन की व्यवस्था बनाये, जैसे लोगों को चाहे शासन का संचालन करने के लिये नियुक्त करे और जब चाहे उसका परिवर्तन करे। ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही हो और जब जनता के हाथ में अधिकार समर्पित हो, उसमें जनता के बनाये हुए कानून को तोड़ने की पद्धति, प्रणाली और नीति मेरी दृष्टि में बड़ी घातक सिद्ध होती है। कोई भी सरकार जो स्थापित हो देश में उसका आरंभिक कर्तव्य यह हो जाता है कि वह शांति और व्यवस्था की रक्षा करे, उस नीति का परिचालन करे जिस नीति को कार्यन्वित करने का अधिकार और आदेश उसे विधान सभा और जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हुआ हो। यदि किसी सरकार के सम्मुख कानून तोड़ने और कानून तोड़ने के लिये उभाड़ने की चेष्टा की जायगी तो वह सरकार अशान्ति और अव्यवस्था उत्पन्न करने का खतरा देखते हुए इस प्रकार के प्रयास को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। यदि वह ऐसा करे तो वह अपने आरंभिक कर्तव्य से और जो उत्तर-दायित्व उसके ऊपर है उससे विरत होती है और उसके ऊपर इस प्रकार का अभियोग लगाया जा सकता है कि उसने अपने आरंभिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। ऐसी स्थिति में मैं तो यही निवेदन करूंगा कि लोक-तंत्र की व्यवस्था के लिये कानून तोड़ना एक ऐसी घातक नीति है जो यदि परिचालित की जाय तो वह बाध्य करती है सरकार को स्वयं बल का प्रयोग करने के लिये और किसी भी सरकार को कानून की रक्षा के लिये यदि किसी का प्रयोग करना पड़े तो यह किसी न किसी समय स्वयं लोक-तंत्र के लिये अहितकर सिद्ध हो सकता है। वह लोग जो अपने को लोकतंत्र का समर्थक कहते हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कोई ऐसी परिस्थिति समाज में उत्पन्न न होने दें जिसके कारण किसी भी जनतान्त्रिक सरकार को किसी भी सरकार का बल का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को, जो कि घातक प्रवृति समझी जा सकती है, प्रोत्साहन देना और उसे सत्याग्रह की संज्ञा प्रदान करना भी कोई बड़ी उचित बात न थी। सत्याग्रह मंत्र के द्रष्टा और विधाता स्वयं महात्मा गांधी ने एकाधिक बार यह कहा है कि सत्याग्रह एक ऐसा शस्त्र है जो कि बड़ा इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट है। आर्म्ड रिबैलियन का उन्होंने शस्त्र विद्रोह से भी अधिक प्रबल अपने सत्याग्रह को एक श्रेणी प्रदान की थी और सत्याग्रह का उपयोग किया था। एक ऐसी शासन सत्ता के विरुद्ध जो अनुत्तरदायी थी, जो शस्त्र के बल पर इस देश पर शासन कर रही थी, जो जनता के प्रति किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं थी, जिसके ऊपर लोकमत का

प्रभाव नहीं था, जिसे हटाने की कोई शक्ति भी जनता को प्राप्त न थी। ऐसी सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना लेकर अग्रसर होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है और गांधी जी ने उस अधिकार का प्रयोग किया। पर ऐसे देश में जहां की व्यवस्था का संचालन जनता के हाथों में हो, क्या कभी किसी प्रकार ऐसी अराजकता की मनोवृत्ति तथा विद्रोह की मनोवृत्ति को उत्पन्न करने की चेष्टा का समर्थन कोई ऐसा व्यक्ति, जो समाज के विकास का, देश के विकास का, राष्ट्र की पुष्टि का समर्थक है, कर सकता है। मान्यवर, यह सब किया गया। यह किस लिये किया गया यह भी आज इस सदन को विचार कर लेना चाहिये। किया गया यह कह कर कि सिंचाई की दरों में सरकार की ओर से वृद्धि की गयी और उसके विरुद्ध सारी जनता को उभारने की चेष्टा की गयी कि तुम सिंचाई का रेट न दो। मैं आपसे नम्रतापूर्वक पूछता हूं कि क्या इस देश का वह जन-समाज जो सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज स्वाधीन हुआ है राजनीतिक दलों और उसके नेताओं से इसी प्रकार की शिक्षा की अभिलाषा रखता है। किसी व्यक्ति को यह शिक्षा देना कि तुम सरकार का पानी तो लो पर सरकार का रेट न दो, यह किस प्रकार की शिक्षा है? यह वही शिक्षा है कि रेल पर तो यात्रा करो पर रेल का टिकट मत खरीदो और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना है कि जिसके लिये इस आदरणीय सदन के सम्मुख उस शब्द का प्रयोग न करना ही अच्छा होगा। किसी भी वस्तु का उपयोग जो सार्वजनिक हो कर लें और उसके एवज में जो सरकार का पावना हो वह न दें यह एक ऐसे प्रकार की शिक्षा है जिसमें यदि हमारे प्रदेश के जन समाज की ओर दीक्षा की जायगी तो इस देश की सरकार चाहे, वह किसी भी राजनैतिक दल के हाथ में क्यों न हो, एक घंटा नहीं चल सकेगी। यह खतरनाक बातें हैं जिनके ऊपर आज इस सदन के माननीय सदस्यों को और इस सदन के बाहर की हमारे प्रदेश की जनता को गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सिंचाई की दर में वृद्धि क्यों की गयी, किस कारण वह वृद्धि आवश्यक हुयी और उसका विरोध करने के लिये जो प्रयास किया गया वह किस प्रकार अनुचित है, इस पर मैं आपकी आज्ञा से संक्षेप में अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहता हूं।

इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते कि हमारे प्रदेश के किसान बड़े गरीब हैं। यह गरीबी हमारे उत्तराधिकार में हमें अपनी पराधीनता से प्राप्त हुयी है। उत्तर प्रदेश के किसान एक लाख से अधिक गांवों में करोड़ों की संख्या में निवास करते हैं और पिछले डेढ़ सौ वर्षों में उनके छप्परों में अकाल और भूखमरी नर्तन करती रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रदेश के किसान का स्तर पराधीनता के काल में गिरा है और आज हमने जब उस पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया तो हमारी यह भी कल्पना हुयी थी, हमने यह सोचा था, यह स्वप्न देखा था कि इस प्रदेश का किसान और इस प्रदेश की जनता और सारे भारतीय राष्ट्र का जीवन स्तर जो गिरता चला जा रहा है उसे यदि रोका न गया तो यह देश बड़े भारी विनाश के गर्त में चला जायगा और उसके उत्थान के मार्ग में विदेशी सत्ता की जो रुकावट थी उसे हटाना, उससे संघर्ष करना हमारे लिये अनिवार्य था। उसी स्वप्न को लेकर हमने संघर्ष किया। सौभाग्य से देश को स्वाधीनता प्राप्त हुयी। देश की स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद क्या यह आवश्यक नहीं हो गया कि हम अपने देश के किसानों की स्थिति और उनकी अवस्था में जो एक वरासत के रूप में हमें प्राप्त हुयी अपनी पराधीनता से आमूल परिवर्तन करें। क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि जब हमने अपनी स्वाधीनता प्राप्त की तो इस देश की भूख और दारिद्रय, इसकी गरीबी और इसका नंगापन जड़ से मिटा दिया जाय? क्या इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि किसानों के ऊपर जो बोझ लदा हुआ है, अपनी कमाई का भोग करने में जो उन्हें रुकावट पड़ रही है वह तमाम रुकावटें मिटा दी जायं। क्या इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि इस प्रदेश की तीन चौथायी जन-संख्या जो गांवों में निवास करती है उसके जीवन को ऐसा बनाया जाय जो मनुष्य जीवन के उपयुक्त हो और भारतीय राष्ट्रीयता के अनुकूल हो और स्वाधीनता की सीम में उच्चता और श्रेष्ठता का प्रवर्त्तक हो? यदि यह बात सत्य है तो यह आवश्यक हो गया कि इस विषय पर विचार किया जाय कि इस परिस्थिति में परिवर्तन कैसे हो। महात्मा गांधी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जी ने सिखाया था कि वास्तविक भारत हमारे गांवों में निवास करता है और सदा उनकी यही नीति रही कि हमारे देश की राजनीति गांवों में उन्मुख हो। ऐसी ही उनकी राजनीति थी। आज इस प्रदेश में जिसकी जनसंख्या गांवों में रहती है और जिसका मुख्य साधन सिवाय खेती के और कोई दूसरा नहीं है और जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खेती के विकास पर ही निर्भर करती है और जिस प्रदेश का इतना बड़ा जनसमूह गांवों में पड़ा दुख भोग रहा हो उस प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद क्या इसके सिवाय और कोई दूसरा प्रयास होना चाहिये था कि हम ऐसी योजनाओं का परिचालन करें जिनके द्वारा हम अपने यहां के करोड़ों किसानों, नर-नारियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक क्रांति उत्पन्न कर दें।

मेरी दृष्टि में इससे बढ़कर कोई दूसरा काम इस प्रदेश के सेवकों के सम्मुख नहीं था और मैं आपके सम्मुख नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके ऊपर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, गणतंत्र की स्थापना के बाद, पहली बार शासन सूत्र का उत्तर-दायित्व आया था और इसको संभालने के लिये जिन लोगों को रखा गया उनके सम्मुख यही चरम लक्ष्य था कि हम अपने प्रदेश के किसानों की इस परिस्थिति को बदल दें। आज से दो, चार, पांच वर्ष पहले, हममें से जो लोग गांवों में काम करते रहे हैं, उनको ज्ञान है कि ५–७ वर्ष पहले हमारे किसान जब कभी हम गांवों में जाते थे तो एक विचित्र प्रकार की मांग करते थे कि हमें सताया जा रहा है, इस अनाचार से हमें बचाया जाय, हमारी बेदखली रोकी जाय, बकाया लगान रोका जाय, इजाफा लगान रोका जाय और हमें खेतों से निकाला जा रहा है, उसे रोका जाय। यही उनकी मांगें हुआ करती थीं। हम जब कभी गांवों में जाया करते थे तो किसानों की यही मांगें हुआ करती थीं और किसानों की बड़ी भारी भीड़ हम लोगों के चारों ओर खड़ी हो जाया करती थी।

देश का शासन सूत्र संभालने के बाद प्रदेश की सरकार ने इस परिस्थिति में विशाल परिवर्तन करने की चेष्टा की। जमींदारी लुप्त हुयी, किसान भूमिधर हुए, उनके हाथ पैरों के बंधन खुले, उनके ऊपर जो सैकड़ों वर्षों से बोझ लदा हुआ था वह हटा उनका स्वाभिमान जागा, उनमें विश्वास और आस्था जागी और उन्हें परिस्थिति से जागने के लिये उन्हें एक प्रेरणा मिली। जो लोग अब गांवों में जाते हैं किसानों के जीवन से सम्पर्क स्थापित करने अथवा उनकी सेवा की भावना से, वह एक ही मांग पाते हैं और वह मांग यह होती है कि हमारी खेती की स्थिति की उन्नति करो ताकि हमारी भूमि से अधिक अन्न उत्पन्न हो और हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में विकास हो। यही एक मांग है।

मैं नहीं जानता कि हमारे दूसरे माननीय सदस्यों को क्या अनुभव है और मुझे भी अपने प्रदेश के विभिन्न जिलों में तथा विभिन्न गांवों में घूमने का अवसर प्राप्त होता है और मैं देखता हूं कि जहां जायं वहां ही, एक ही मांग होती है और वह यह कि हमारी कृषि की उन्नति करो, क्योंकि वह आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिये आकुल हैं, सचेष्ट हैं और वही एक मात्र कामना उनके हृदय में है जिसे वह आपके सम्मुख अभिव्यक्त करते रहते हैं। जमींदारी का बोझ जो उसके कंधों पर सैकड़ों वर्षों से लदा हुआ था वह आज दूर हुआ, वह अपनी भूमि का स्वामी हुआ, उसे सैकड़ों वर्षों के बाद स्वामित्व प्राप्त हुआ। जिस स्वामित्व का अपहरण ब्रिटिश काल में हुआ था, उस स्वामित्व और प्रभुता को प्राप्त करने के बाद वह अपनी आर्थिक स्थिति के विकास के लिये सचेष्ट हों और अग्रसर हों। ऐसी परिस्थिति में जब हम यह देखते हैं कि इस प्रदेश की जीविका का मुख्य साधन कृषि है, जब हम यह देखते हैं कि इस प्रदेश के निवासी करोड़ों की संख्या में गांवों में निवास करते हैं, जब हम यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रकृतरूप एक लाख गांवों में विभाजित है और जब हम देखते हैं कि आज का किसान अपने जीवन के स्तर को उन्नत करने के लिये सचेष्ट है, क्योंकि अब भी वह गिरा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से वह पीड़ित है, ऐसी स्थिति में इस प्रदेश के लिये और विशेष कर उन लोगों के लिये, जिन्होंने देश की स्वाधीनता प्राप्त

करने में कुछ थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया है, सिवाय इसके और कोई मार्ग नहीं है कि हम किसानों के जीवन को उन्नत करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की चेष्टा करें और आज इस आदरणीय सदन के समस्त माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रदेश की सरकार, जिस सरकार को उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी योजनाओं पर दृष्टिपात करें। वह योजनायें आज गांव की तरफ अभिमुख हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि इस प्रदेश की भूमि की उर्वरता में अधिक से अधिक, जहां तक सम्भव हो सके, उन्नति कर दें। उसकी सारी योजनाएं आज इस दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। हमारी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य केवल यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा करोड़ों आदमियों के जीवन के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करें और प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करेगा श्रीमन्, कि खेती की उन्नति की पहली शर्त, प्रथम सोपान, सिवाय जल के दूसरा नहीं है। समस्त कृषि भूमि जल से परिपूरित है, तभी उससे उन्नत प्रकार की उपज और नये प्रकार की खेती उत्पन्न की जा सकती है। जिस भूमि को जल प्राप्त नहीं है, जो असिंचित है, उसकी उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास एक ऐसा प्रयास है जिसकी सफलता शायद सदिग्ध रहेगी। किसान इस विषय से अच्छी तरह से परिचित है और अच्छी तरह से जानता है। यही कारण है कि आप की पंचवर्षीय योजना में एक बड़ी भारी संख्या और उस योजना का एक बड़ा भारी भाग सिंचाई के साधनों की वृद्धि के लिये रखा गया है।

आज हमारी यह योजना जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, उसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो कार्य हो रहे हैं, उन पर मैं दृष्टिपात करने की प्रार्थना इस माननीय सदन के सदस्यों से करना चाहता हूं। इस प्रदेश का कोई भाग नहीं है, कोई दिशा नहीं है, उत्तर हो या पश्चिम, दक्षिण हो या पूर्व, जिस दिशा में इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा सिंचाई के साधनों के विस्तार की चेष्टा न हो रही हो। पांच वर्षों की हमारी योजना में इस प्रदेश के सरकार ने करीब ३१ करोड़ से अधिक व्यय करने का निश्चय किया। आज हमारे प्रदेश का जीवन एक नया भरोसा और आस्था उत्पन्न कर रहा है। जिन देहातों और गांवों में सिंचाई के साधन प्रस्तुत किये जाते हैं, वहां के लोगों का उत्साह, उनके हृदय में उठती हुई आस्था और उनके चेहरे पर भरोसे से के आप चिह्न देखें। हमें उसे देखने का कुछ अवसर प्राप्त होता रहा है। आज इस प्रदेश में सन् १९४६ से लेकर सन् १९५२ के बीच में पश्चिम के हमारे कुछ जिलों में हजार से अधिक नल कूप बनाये जा चुके हैं। सन् १९५२ से १९५६ के बीच में हमने इस प्रदेश में दो हजार से अधिक नलकूपों के निर्माण की योजना प्रचालित की है। आज हमारे वे इलाके जहां की भूमि कल तक संतप्त थी, जहां के किसान भूख के लिये भोजन तक नहीं पाते थे, खेती के अभिसिंचन की चेष्टा तो दूर, उन जिलों में आज ट्यूब-वेल और उनकी नालियों का जाल आप बिछा हुआ पावेंगे। ये दो हजार नलकूल आप के पूर्वी इलाकों में और कुछ पश्चिमी इलाकों में और इस प्रदेश के मध्य के भाग में भी होंगे हमारी वह योजना पूरी तरह से अग्रसर हो रही है। एक-एक नलकूप के निर्माण पर जो व्यय होता है उसे इस माननीय सदन के सदस्य भली भांति जानते होंगे। पर नलकूपों तक ही हमारी यह योजना सीमित नहीं है। आज ऐसे क्षेत्रों में जहां कि पानी न होने के कारण प्रतिवर्ष नहीं तो प्रति दूसरे, तीसरे वर्ष सारे अंग्रेजी राज्य के जमाने में अकाल पड़ता था, इतिहास जिसका साक्षी है, उस बुन्देलखंड के इलाके में, भूमि आज हरित की जा रही है। करोड़ों रुपये लगा कर वहां बांध बनाये जा रहे हैं। उनसे लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। आज वहां हमारे तीन-चार बांध बन कर तैयार हो गये, ललितपुर का, सपरार का, रंगवा का और अर्जुन का, ये तमाम बड़े-बड़े बांध बन कर तैयार हो गये हैं। रंगवा के द्वारा बांदा में, अर्जुन के द्वारा हमीरपुर में और ललितपुर और सपरार के द्वारा झांसी और जालौन के इलाकों में सिंचाई होगी। वहां की लाखों एकड़ जमीन सिंचित होने जा रही है। माताटीला के महती योजना पर आप दृष्टिपात करें जिस पर इस प्रदेश की सरकार ४ करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है और जिस योजना को सन् ५६ में पूर्ण करने की चेष्टा हम कर रहे हैं। उस योजना के द्वारा न केवल बुन्देलखंड के ४ लाख एकड़ जमीन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की सिंचाई होगी प्रत्युत विन्ध्य प्रदेश का वह भू-भाग जो आज भी खंखड़ है, जहां पानी के अभाव में लोगों को पीने तक के लिये जल नहीं मिलता है, उस भू-भाग के और मध्यभारत के भी हजारों एकड़ की सिंचाई हम करेंगे। करोड़ों रुपये जो बुन्देलखंड के ऊपर इस पंचवर्षीय योजना के भीतर खर्च करने हम जा रहे हैं उसके पश्चिम में आप चलें तो गंगा की नहर का विकास किया जा रहा है, उसकी क्षमता दो हजार क्यूसेक्स और बढ़ायी जा रही है, यमुना की नहर का विकास किया जा रहा है। शारदा की नहर को हम बहुत दूर तक बढ़ा चुके हैं। प्रतापगढ़ और जौनपुर में नयी नहर बन रही है और बड़ा भारी बांध जिसे आप शारदा सागर कह सकते हैं, बना कर उसमें शारदा के जल को एकत्रित कर के समस्त उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश को जो शारदा की नहर प्रणाली से सिंचित होता है, और अधिक जल देने की व्यवस्था की जा रही है।

ये तमाम योजनायें बड़ी-बड़ी योजनायें हैं। इनके अलावा ३० छोटी-छोटी योजनायें चल रही हैं। 'पूरब के इलाकों' की कोई छोटी से छोटी नदी ऐसी नहीं, कोई छोटा से छोटा नाला ऐसा नहीं जिसके एक-एक बूंद जल का उपयोग करने की चेष्टा हम न कर रहे हों, यह चेष्टा न कर रहे हों कि उनके द्वारा हम वहां की खाकी और असिंचित भूमि को सिंचित कर देने में सफलता प्राप्त करें। ये महती योजनायें उन तमाम छोटी योजनाओं के अलावा हैं जिनके द्वारा हजारों की तादाद में पक्के कुयें हम बनवा रहे हैं, सहयोग समितियों के जरियें से ट्यूबवेल्स बनवा रहे हैं तथा छोटे मोटे बांध और ड्रेनेज के काम हो रहे हैं। ये सब इनसे अलग हैं और ३१-३२ करोड़ रुपया इन चार-पांच वर्षों के अन्दर हम इन्हीं के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस माननीय सदन के सम्मुख यह कहने में कि इस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के विभाग को सिंचाई के कार्य का जितना भाग दिया गया था, उस भार को, उस कार्य को एक बड़ी सीमा तक पूर्ण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और हमें पूरा विश्वास है इस बात का कि पंच वर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही हम अपनी इन सारी योजनाओं को पूर्ण कर लेंगे। मैं नम्रतापूर्वक इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि ये योजनायें पिछले पांच वर्षों में धीरे-धीरे विकसित होती गई हैं। वह पंचवर्षीय योजना जिसे सन् ५२ में हमने शुरू किया था उसके स्वरूप को देखें और आज सन् ५४ में उसके स्वरूप को देखें तो उसमें आप को बड़ा भारी विस्तार मिलेगा। प्रतिदिन नये क्षेत्रों की नयी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये नये-नये कार्य किये जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश अपनी समस्त साधना और अपनी समस्त शक्ति के द्वारा उन्हें परिपूर्ण करने में संलग्न है। अभी-अभी कल मान्यवर, इसी सदन में जो प्रश्नोत्तर हुये उनमें यह निवेदन किया गया कि दो-तीन नयी नहरें, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ के जिलों के लिये जिनकी क़रीब-क़रीब एक करोड़ रुपये की हैसियत हो जायगी, आरम्भ की जा रही हैं। ये बरसात के बाद ही आरम्भ होंगी। आगरा और मथुरा के जिलों की सिंचाई के लिये हिंडन नदी के ऊपर एक बड़ा भारी बांध बांधने की एक नयी योजना एक करोड़ रुपये की अभी ली जा रही है। और वह सारा प्रश्न सरकार के सक्रिय विचार के अधीन है। मुझे यह आशा है कि आगरा-मथुरा के क्षेत्र में जहां पर पानी का अभाव है, जहां पर कूपों में खारी पानी होने के कारण पीने का पानी भी नहीं मिलता, उनकी पीड़ा का एक बड़ी सीमा तक निराकरण करने में हम सफल होंगे। ये तमाम योजनाएं हमारे सम्मुख हैं और उन पर करोड़ों रुपये इस प्रदेश की जनता का, इस प्रदेश की सरकार द्वारा जिसको जनता ने ही निर्वाचित किया है, खर्च किये जा रहे हैं, और इसमें मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति जो दुराग्रह का आश्रय न लेगा तथा यह स्वीकार करेगा कि एक ही यह विभाग नहीं है इसके जैसे अनेक विभाग इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, सामाजिक जीवन, और व्यक्तिगत जीवन का कोई आवश्यक अंग ऐसा नहीं है जिसको यह योजना स्पर्श करने की चेष्टा न कर रही हो। यहां तो केवल आंशिक सिंचाई के प्रश्न को ही सामने रखा गया है। आज जो ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, उनके लिये बिजली की आवश्यकता है। बिना बिजली के ट्यूबवेल्स चल नहीं सकते और जो बिजली के कारखानों को

स्थापित करने की महती चेष्टा हुई है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली के कारखानों का जाल बिछ रहा है जिस पर कोरोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पथरी पावर स्टेशन, शारदा पावर स्टेशन हमारे दो बिजली के कारखाने हैं। मैं आप से निवेदन कर रहा था कि ये करोड़ों रुपये बिजली के कारखानों पर व्यय किये जा रहे हैं। सारे प्रदेश में, पथरी से, सुहावल से, मऊ से, गोरखपुर से, तमाम क्षेत्रों से वह बिजली प्रदान होगी जो कि न केवल हमारे ट्यूबवेल्स और खेती के काम में आयेगी प्रत्युत सार्वजनिक जीवन, और गांव के जीवन के विकास में बड़ी सीमा तक सहायक होगी।

मैं नम्रतापूर्वक आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम योजनाओं को परिचालित करते हुये जो सब से बड़ी आवश्यकता पड़ सकती है वह यह पड़ सकती है कि इन योजनाओं के परिचालन के लिये धन प्राप्त हो। यह स्वीकार करते हुये कि इस प्रदेश का किसान गरीब है मैं इस माननीय सदन के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि और विशेष कर उन लोगों से जो आज सिंचाई की दरों का विरोध करने के लिये एक प्रकार की विचित्र नीति ग्रहण किये हुए हैं, कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि सारी योजनायें पूरी की जायं और एक पैसा उनके ऊपर खर्च न किया जाय? और बिना धन के ही सारा तिलस्म और चमत्कार हमारे प्रदेश के जीवन में आ जाय। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश की जनता को, समस्त भारतीय राष्ट्र को, हममें से प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे इस प्रदेश से प्रेम है, इस देश की स्वतन्त्रता से, प्रेम है, उसे यह निर्णय करना होगा कि हम अपनी राष्ट्रीय जीवन का विकास करना चाहते हैं, उसे एक नया स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, उसके जीवन के स्तर को उठाना चाहते हैं, उसके दुःख व्यथा और दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं, अथवा इस समस्त राष्ट्र को, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को उसी परिस्थिति में रखना चाहते हैं जिस परिस्थिति में आज दो सौ वर्षों से पड़ा हुआ था। यह एक बड़ा प्रश्न है जिसका निर्णय हमको, इस राष्ट्र को करना होगा। जहां तक इस प्रदेश की सरकार का संबंध है, इधर जो बैठे हुए हैं उनका संबंध है और जिस संस्था से वह सम्बन्धित है उसका सम्बन्ध है, हमने अपना रास्ता चुन लिया है, कि हम इस देश की दरिद्रता के दुःख को मिटाये बिना चैन लेने वाले नहीं हैं। हमने अपना मार्ग चुन लिया है। जिस भारत की स्वतन्त्रता के प्राप्त करने के लिये हम सचेष्ट हुए और जिस भारत की स्वतन्त्रता को गांधी जी के चरणों के प्रताप से प्राप्त किया उस भारत के अंक से, उसकी धरती से, उसके भूखेपन और नंगेपन को मिटाये बिना हम अपने यज्ञ की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। आज इस प्रदेश की सरकार ने और उस दल ने, जिससे यह संबंधित है, यह निश्चय कर लिया है। मैं इतना और निवेदन कर दूं कि हमारे प्रदेश का किसान यह भली भांति जानता है कि उसे यदि अपने दुख और दरिद्रता को मिटाना है तो सरकार की योजनाओं में उसको सहायता प्रदान करनी है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मैं उन क्षेत्रों में गया हूं जहां की नहर के रेट बढ़ाये गये हैं वहां के किसानों से मिला हूं और मैं जानता हूं कि उनमें इस बात का पूरा भरोसा है और आज वे अपनी आंख से देख रहे हैं कि इस प्रदेश की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिये जो योजना आज प्रचालित हो रही है उसमें उनका कल्याण निहित है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार की सहायता करना ही एक उचित उपाय है। यही कारण है, मान्यवर, बावजूद इसके कि इतना प्रोपोगेंडा के और प्रचार के हमारे सूबे में नहर रेट की वसूली ८९ परसेंट हो चुकी है। किसान सरलता से वसूल किये जाने वाली रक़म अदा कर रहा है और यदि उसके ऊपर कोई बोझ पड़ रहा है तो वह बहादुरी के साथ उस बोझ को उठाने में संलग्न है। वह जानता है कि उसे अपने जीवन के २०० वर्ष दुख और दर्द में बिताने पड़े हैं। वह समझता है कि आज किया हुआ यह त्याग उसके जीवन को और आने वाली उसकी संतति के जीवन को सुख देने वाला है और यही कारण है कि आज वह हमारी इन योजनाओं की पूर्ति के लिये जो कुछ हम उससे मांग कर रहे हैं उसे वह पूरा करने के लिये लगा हुआ है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस अवसर पर एक दो बातें और कह कर आप की आज्ञा से अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैंने आप का बहुत सा समय ले लिया। इस रेट के सम्बन्ध में जो विवाद खड़ा किया गया उसमें बहुत सी बातें कही गईं। कहा यह जाता है कि इस सरकार ने प्राफिट मोटिव से ये रेट्स बढ़ाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं नम्रतापूर्वक, मान्यवर, इससे बड़ी बेबुनियाद और निराधार बात दुनियां में दूसरी हो नहीं सकती। यह बिल्कुल ग़लत है कि इस सरकार ने किसी प्राफिट मोटिव से नहर के रेट बढ़ाये हैं। प्राफिट मोटिव क्या हो सकता है उस सरकार के लिये जो संकल्प कर के आई हो कि देश की जनता का हित हो। उसका अगर कोई प्राफिट मोटिव हो सकता है तो यही हो सकता है कि इस प्रदेश की जनता अपने पैरों पर खड़ी हो। उसका स्वाभिमान जगे, अपने सामूहिक विकास और समाज के कल्याण और उत्थान के लिये वह स्वयं कष्ट उठाना सीखे और इस देश को नया स्वरूप प्रदान करे जिसमें उसकी स्वाधीनता परिपुष्ट हो और उसके बीच में इतनी दौलत आये कि वह भारत के सम्मान और गौरव की रक्षा करने में सफल हो सके। सिवा इसके और कोई प्राफिट मोटिव हो नहीं सकता। अगर आप इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि सन् १९४७-४८ और १९४८-४९ में इस प्रदेश के सिंचाई विभाग को ५० लाख रुपये का घाटा हुआ है। कोई भी सिंचाई का विभाग या सिंचाई कार्य की योजना जिसमें सार्वजनिक धन लगा हो और जिसके संचालन में सरकार इस प्रकार का घाटा उठाये तो वह अधिक दिनों तक प्रचालित नहीं हो सकता और अगर प्रचलन रुकेगा तो प्रदेश के लाखों और करोड़ों किसानों के जीवन को गहरा धक्का लगेगा। अतएव यह आवश्यक है कि सार्वजनिक धन जिन चीजों पर लगा हो उनमें सरकार घाटा न उठाये। सन् १९४८ के बाद जो सरचार्ज लगाया गया उसके द्वारा जो बचत हुई है, उस पर अगर दृष्टिपात करें तो सन् ५० से लेकर सन् ५४ के बीच में किसी भी वर्ष इस प्रदेश की सरकार को खर्चा वगैरह निकालने के बाद डेढ़ करोड रुपये से अधिक की बचत नहीं हुई। आज जब ३०, ३५ करोड़ की योजना आप चला रहे हैं और जब उन योजनाओं को चलाने के लिये धन की आवश्यकता हो और थोड़ा बहुत धन आप उन्हीं से मांगे जो यह चाहते हैं कि उनकी असिंचित भूमियों का सिंचन होने लगे या सिंचन बढ़ जाय तो क्या इसको किसी तरह से अनुचित कहा जा सकता है या यह कहा जा सकता है कि यह प्राफिट मोटिव है। यह प्राफिट मोटिव ढाई-तीन करोड़ से अधिक होने वाला नहीं है बावजूद एनहेंसमेंट के, जब कि १ अरब ३० करोड़ की योजना को प्रचालित कर रक्खा है तो उसमें अगर ढाई-तीन करोड़ की रक़म ली जाती है तो वह जनता के हृदय में प्रेरणा प्रदान करती है कि उसने उसमें हिस्सा लिया, बटवारा लिया और यह कि ऐसी बड़ी योजनाओं की पूर्ति से सारे प्रदेश और समाज का कल्याण होने वाला है। नहरों के रेट के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में जो भूमि ऐसी है जिसमें सिंचन होता है और जिसको सिंचाई का साधन प्राप्त है और जो भूमि ऐसी है कि जिसको सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, उसकी उपज के सम्बन्ध में बड़ा विवाद किया गया। यह भी विवाद किया गया कि निजी तौर पर जो सिंचाई की जाती है उसमें और सरकारी साधनों से जो सिंचाई की जाती है उसमें कहां तक भेद है। निजी तौर पर जो सिंचाई की जाती है उसके लिये कहा गया कि कम खर्चा पड़ता है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसमें किसी विवाद और किसी आंकड़े के जोड़ने से यह काम चलने वाला नहीं है इसलिए कि वह आंकड़े मौजूद हैं जिनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं आप से यह निवेदन करूं कि यह व्यवहारिक ज्ञान की बात है। आप किसी गांव में चलिये ऐसे इलाके में जहां पर नहरी इलाका है और उस इलाके गांव वालों के लिये जहां पर सिंचाई होती है और उसी गांव के बगल के इलाके में जहां पर सिंचाई नहीं होती है वहां के लोगों से भी मिलिये। उन दोनों लोगों से मिलें और पूछ लें कि क्या अन्तर है। तब आप को मालूम हो जायगा कि इसमें कितना भेद है। मैं आप की आज्ञा से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं अभी पिछले दिनों मथुरा जिले में था, वहां पर नौगांव की एक सभा में मुझे जाने का मौका मिला। उस गांव के थोड़ी

दूर नहर है और थोड़ी दूर नहीं है। उस सभा में एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और कहने लगा कि हम चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द पानी मिले नहीं तो हमारी नस्ल खत्म हो जायगी। मैंने उनसे पूछा कि भाई नस्ल कैसे खत्म हो जायगी बिना पानी के, तो उसने जवाब दिया कि मेरे ६ बेटे हैं सब के सब झोपड़ी में रहते हैं और हमारी बगल में ही जहां पर नहर से पानी किसान को मिलता है वहां पर लोगों के पक्के मकान हैं और अच्छे जानवर हैं और हम लोगों को पानी न मिलने से हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, और ६ बेटे हैं, किसी की शादी नहीं हुई है सब बूढ़े हो गये हैं तो अगर पानी नहीं मिला तो हमारी नस्ल इस प्रकार से नष्ट हो जायगी। यह स्पष्ट है कि दोनों में, सिंचित और असिंचित में कितना भेद होता है, उसको आप जा कर देखें। जो लोग खेती करते हैं अपने चरस या रहट से सिंचाई करते हैं उनकी एक एकड़ भूमि पर कितना खर्च होता है। और नहर से जो पानी लेते हैं या ट्यूबवेल से जो पानी लेते हैं उन पर कितना खर्च होता है। इनके आंकड़ों की आवश्यकता हो तो दीजिये परन्तु मैं कहता हूं कि आप गांवों में चल कर पूछें कि जो लोग निजी तौर पर रहट या चरस से पानी लेते हैं और सिंचाई करते हैं, उसका कितना खर्चा पड़ता है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कई गुणा अधिक खर्चा, ४ गुना, ५ गुना और ६ गुना अधिक खर्चा पड़ जाता है अपने निजी साधन से एक एकड़ की सिंचाई करने में नहरों के सिंचन की अपेक्षा यह अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। आज हमारे प्रदेश में ४ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें खेती हो रही है और हम इस प्रयत्न में हैं कि अधिक से अधिक भूमि सरकारी साधन के द्वारा सींची जाय। सन् १९५१-५२ तक ७०,७१ लाख एकड़ भूमि अधिक से अधिक सींची गयी। पहले सालों में यह भूमि ६० लाख एकड़ से अधिक कभी नहीं बढ़ी। इधर ४,५ सालों में ७०,७१ लाख एकड़ भूमि में अधिक सिंचाई हुई है। ४ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है और सरकारी साधन से ७१ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है और यदि उस सिंचाई को भी इसमें जोड़ दिया जाय जोकि निजी तरीके से होती है तो आज यह सब मिल कर जो सरकारी साधन और गैरसरकारी साधन से होती है। वह १ करोड़ ४ लाख एकड़ भूमि तो जोकि अधिक से अधिक है जिसमें सिंचाई होती है जोकि कुल खेती की भूमि का २५ फीसदी से अधिक नहीं हुआ। इसलिये उस रकबे का जिसमें आज खेती होती है उसका ७५ फीसदी भाग आज सिंचन के बिना खाली है और जिसको आज सिंचाई की आवश्यकता है। जिस समय सन् १९५६ में ये योजनायें पूरी होंगी तो हमारे पास सिंचाई के साधन इतने उपलब्ध हो जांयगे कि जिनसे १ करोड़ ४ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई उन साधनों के द्वारा होने लगेगी जिनको पूर्ण करने के लिये आज इस योजना का संचालन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सिंचाई की दर की वृद्धि को एक बड़ा भारी भयानक रूप प्रदान करने की चेष्टा करना और न केवल ऐसी चेष्टा ही करना बल्कि अपने पांडित्य और विद्वत्ता का उपयोग करके विवाद उत्पन्न करना उचित नहीं है। विद्वत्ता जब विवाद के लिये होती है तो "विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीड नाय" कोई अच्छी बात नहीं हुआ करती है। वह तो "ज्ञानाय, दानायचरक्षणाय" ही होनी चाहिये। आज इतना बड़ा विवाद खड़ा करना और उसके द्वारा हमारी योजनाओं के रथ के आगे पत्थर बखेरना मैं समझता हूं कि सामूहिक रूप से इस प्रदेश की जनता की प्रगति के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना है।

मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये हमने भी एक स्वप्न देखा और हम उस दिन की आशा किये बैठे हैं कि जब भिक्षुक या नंगानाम का या गरीबनाम का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश और देश में नहीं रहेगा। जब प्रदेश का बच्चा-बच्चा शिक्षित होगा और हम सफलता पूर्वक बड़ी महामारियों का उन्मूलन करने में कामयाब होंगे। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि जनसमाज के हृदय में अविश्वास या नउम्मीदी पैदा की जाय। प्रत्युत आवश्यकता इस बात की है कि उसके हृदय में यह भाव भरा जाय कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। इस प्रदेश की समस्याओं को हल करने के लिये इस प्रदेश के ही लोगों को त्याग और बलिदान करने की आवश्कता है। उसी प्रकार जिस प्रकार त्याग और बलिदान करके हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं हर माननीय सदस्य से और अपने प्रदेश की जनता से कि आज वह अवसर प्राप्त हुआ है हमको, जबकि हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन को एक स्वरुप प्रदान कर सकते हैं और भारत के नये इतिहास की रचना में सफल हो सकते हैं। जन समाज के हृदय में नवीन भाव भरना चाहिये और उसके स्वाभिमान को जगाना चाहिये जिससे वह अपने बंधन को तोड़ने में सफल हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय मुझे प्रदान किया।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, ऋग्वेद मण्डल द्वितीय सूक्त २३, मंत्र १२ यह है--

अदेवेन मनसा यो रिषण्यति शासामुग्रो
मन्यमानो जिघांसति ।
बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो निकर्म
मन्युं दुरेवस्य शर्धतः ।।१२।।

घमंडी और उग्र शासक अपनी दुर्बुद्धि से यदि प्रजा नाश करने में प्रवृत हो तो उसका विरोध करना चाहिये जिससे उसका उत्साह नष्ट हो जाय।

(हंसी और शोर)

श्री अध्यक्ष--मैं फिर यह आशा करता हूं कि जिस खामोशी से अभी भाषण सुना गया और दूसरी ओर से उस पर कोई शोर या मजाक नहीं हुआ, वही भावना बनी रहे तो इसमें शान्ति बनी रहेगी। नहीं तो उत्तेजना बढ़ सकती है।

श्री राज नारायण--"राज्ञः सत्त्वे असत्त्वे वा विशेषो नोपलक्ष्यते ।
कृषीबल विनाशे तु जायते जगतो विपत्।"

राजा रहे या न रहे, इससे विशेष भेद नहीं पड़ता है लेकिन अगर किसान का विनाश हुआ तो जगत पर विपत्ति टूट पड़ती है।

श्रीमन्, भारतीय गौरव और लोकतांत्रिक परम्परा की मर्यादा की रक्षा के लिये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और वचनबद्ध हैं। हमने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति का नाश किया। जिस भावना उत्साह को लेकर हमारे नौजावानों नें फांसी की रस्सी को चूमा और हमारी माताओं की गोदें सूनी हुई और जिस उत्साह और उमंग को लेकर हमारें मासूम बच्चे संगीन की नोंको पर लुके और यदि सरकार उसी उत्साह और उमंग से विकास और उत्थान की भावना को नष्ट करती हो तो हमारा क्या कर्त्तव्य है, इसी पर मैं आपकी सेवा में थोड़े में विनम्र निवेदन करना चाहूंगा।

जब जीवन सरिता का सारा स्रोत सूख रहा हो, जब जीवन दीपशिखा बुझ रही हो, जब कांग्रेस सरकार का शोषक तथा हिंसक पंजा गरीब किसानों पर मजबूती के साथ अपना जोर जमाता जाता हो, उस समय हमारा क्या कर्त्तव्य है? हम मानते है कि २०० वर्ष की गुलामी के बाद हमने पूज्य बापू के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। उन्होंने हमें सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। सत्याग्रह का अस्त्र अपने घर से आरम्भ होकर विश्व की समस्याओं तक लागू होता है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य पर आग्रह करना होता है, सत्य के लिये हठ करना-सत्य की ओर अग्रसर होना, सत्य के लिये प्रयत्नशील होना एक दुष्कर कार्य को लेकर खड़ा होना है।

अब मैं आपको मंत्री जी के भाव प्रधान भाषामय जगत् से निकाल कर तथ्य प्रधान जगत् की ओर ला रहा हूं और अब मैं तथ्यों को आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। जिस समय यह सिंचाई रेट बढ़ा तब सिंचाई रेट बढ़ाने पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण आरम्भ किया था वह इस प्रकार है --

"इस तरह ३ करोड़ ३० लाख रुपया इस बढ़ोत्तरी से मिलेगा। इस रुपये से एक फंड डेवेलपमेंट फंड के नाम से स्थापित किया गया है। जो विकास पर खर्च किया जायगा।

यह बढ़ोत्तरी टैक्स नहीं है। ये एक सर्विस का मुआविजा है। एक चीज की जो खरीदने वाले को दी जाती है, कीमत और बढ़ जाने पर भी गरां नहीं है। इसके बढ़ाने के कारण ये हैं :--

१--सिंचाई की शरहों के ऊपर इस समिति के पहले जिसका उल्लेख अभी किया जा चुका है जो कमेटियां शरहों की जांच पड़ताल पर बैठी हैं उनकी यह राय रही है कि सिंचाई के बदले में पैदावार का दसवां हिस्सा ले लेना कोई बेजा और गरां बोझा डालना नहीं है।

२--खाकी जमीन यानी जिसको पानी न मिलता हो और सिंचाई वाली जमीन की उपजाव की काबलियत में बहुत बड़ा अन्तर है।

३--नहर या ट्यूबवेल से पानी लेने के मुकाबिले में मामूली कुयें या तालाब वगैरह से सिंचाई करने में जो खर्चा होता है उसमें निसबत १:२ या १:३ की है।

४--१९४८ ई० में जब कि यह समिति बिठाई गयी थी इस वक्त के मुकाबिले में जब कि पुरानी शहरें लगायी गयी थीं पैदावार की कीमत तकरीबन पांच गुना थी और जो शरहें पहिले पहल बनाई गयी थीं, ये कीमतें अब भी उनसे कई गुना ज्यादा हैं।

श्रीमान् जी इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक वाक्य में मैं साहस के साथ इस बात को कह सकता हूं कि यह जो रेट्स बढ़ाये गये हैं ये आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मानवीय जितनी भी मान्यतायें हैं, सबके प्रतिकूल और सबके विरुद्ध गरीब किसानों का शोषण करने वाला यंत्र है। जो स्पेशल पावर्स ऐक्ट लागू हुआ है उसके बारे में भी यदि एक वाक्य में आपकी सेवा में निवेदन करूं तो यही कहूंगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति और सुसंस्कृत जगत् के लिये एक कलंक है और जिस प्रदेश की जनता ऐसे स्पेशल पावर्स ऐक्ट का विरोध नहीं करती उसमें जीवन शेष नहीं है।

हमें यह देखना होगा कि सिंचाई की दरें आज कितनी हैं। सिंचाई की दरों को श्रीमन्, अगर पहली अप्रैल सन् ५३ को और सन् ४८ में जो दरें थीं उनको देखा जाय तो वे इस प्रकार से मालूम होंगी। मैं उनको एक-एक करके पढ़ता जाऊंगा माननीय सदस्य उनको नोट कर लें। वे इस प्रकार हैं--

"शारदा कैनाल में चावल जहां ६ रु० फी एकड़ था सन् ४८ से पहले वहां पहली अप्रैल, १९५३ को १४ रु० हो गया। गेहूं का रेट जहां ५ रु० था वहां १२ रु० हो गया, शुगर केन यानी गन्ना जहां १५ रु० था वहां ३२ रु० हो गया। गंगा कैनाल में जहां चावल ६ रु० था वहां १४ रुपया हो गया, शुगर केन जहां १३ रु० था वहां ३२ रु० हो गया। बुन्देलखंड में सन् ४८ से पहले जहां तम्बाकू का रेट फी एकड़ ४ रु० था वहां १२ रु० हो गया, शुगर-केन ७ रु० से १६ रु० हो गया। बिजनौर में गेहूं ढाई रु० से १० रु० हो गया और चावल साढ़े चार रु० से १० रु० हो गया, शुगर केन साढ़े चार रु० से १६ रु० हो गया और कर्मनाशा में तमाम फसलों के लिये डेढ़ रुपये की जगह ३ रु० ६ आना हो गया।"

यह नहर बनाने का काम श्रीमन् वर्तमान कांग्रेस सरकार ने ही आरम्भ नहीं किया है, बल्कि बहुत प्राचीन काल से नहर बनाने का काम शुरू हुआ है। जब-जब जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं और जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर अकाल का सामना करने के लिये सरकारें या जिनके लिये जो जिम्मेदारी रहती है वे लोग वहां की जनता के विकास के लिये और उनके सुख व सुविधा के लिये नहरें खुदवाते हैं। पहले हम बहुत दूर अगर न जायं और हम १९२३ और उसके बाद की इधर की दुनिया को देखें तो भी समझ सकते हैं कि पहले जो साम्राज्यशाही और विदेशी तथा अंग्रेजी सरकार थी वह किन कारणों को सामने रख कर टैक्स लगाती थी, कैसे लगाती थी और उसके सामने क्या उसूल होता था। अगर हम देखें तो मालूम होगा कि दो तरह के कैनाल हैं, एक तो प्रोडक्टिव (उत्पादक) और दूसरे अनप्रोडक्टिव (अनुत्पादक) कैनाल हैं जिन पर दो तरीके से टैक्स लगते थे। मैं बड़ी नम्रता के साथ इस सरकार से पूछना

[श्री राजनारायण]

चाहूंगा कि उसने उत्पादक कैनाल और अनुत्पादक कैनाल में कोई अन्तर रखा है ? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्षेत्र हैं उनके बीच जो अन्तर था उसको इस वर्तमान सरकार ने मिटा दिया है। इसमें क्या औचित्य है ? इसका कोई औचित्य आज तक सरकार की ओर से नहीं रखा गया है। मालूम होता है कि केवल लच्छेदार शब्द और बाग्जाल में सारे सदन का समय नष्ट करना ही हमारा काम है। मैं पूछना चाहता हूं कि शारदा कैनाल और गंगा कैनाल के रेट को एक समान क्यों कर दिया गया है। गंगा कैनाल प्रोडक्टिव है और शारदा कैनाल अनप्रोडक्टिव है मगर दोनों को एक साथ कर दिया गया है। बुन्देलखंड में ४ रु० से १२ रु० ४ आ० रेट कर दिया गया है और बिजनौर में जैसा कि मैंने आपको पढ़ कर बतलाया कि २ १/२ रु० से १० रु० कर दिया गया है। अब इन तमाम वृद्धि के समर्थन में सरकार कहती है कि इधर जो गल्ला और खेती से पैदा होने वाला सामान है उसका दाम बढ़ गया है, इसलिये हमने नहर का रेट बढ़ा दिया है। तो इसको देखने के लिये हमको पहले के कुछ तथ्यों की ओर भी जाना पड़ेगा। सन् २३ में श्रीमन्, नहरों का रेट प्रथम युद्ध के बाद तय हुआ। सन् २३ से लेकर सन् ४६ तक एक समान रेट रहा। सन् ४८ में वृद्धि हुई। हमें देखना है कि सन् २३ में गेहूं का क्या भाव था, राइस (चावल) का क्या भाव था और आज क्या भाव है। यह बिलकुल सीधा-साधा हिसाब है और इसीलिये हमारे माननीय पूज्य आदरणीय कृपलानी जी ने कहा कि सरकार अपनी हठवादिता छोड़े और वह कोई एक ऐसी कमेटी बनावे जो देखे कि सरकार ने जो नहर का रेट बढ़ाया है वह जायज और उचित है कि नहीं है। वह इतना निर्दोष सुझाव था जिसको किसी भी सभ्य सरकार को मानने में हिचक नहीं हो सकती। सन् २३ में श्रीमन् गेहूं ६ रु० १२ आ०, चावल ८ रुपया और १९५४ में गेहूं १२ रु० ८ आना और चावल १६ रुपया आठ आना मन है। आप देखें कि सन् २३ के जो पहले के रेट्स नहर के थे उनमें कुछ वृद्धि सन् २३ में हुई। क्योंकि उस समय कुछ मंहगाई आ गयी थी और सन् १९२३ में जो कीमत बढ़ी थी वह १२५ प्रतिशत बढ़ी थी। जब गल्ला का इतना रेट बढ़े तो नहर के रेट में जो वृद्धि हुई वह केवल २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक हुई यानी जब १२५ प्रतिशत गल्ले का भाव बढ़ा तो २५ से ५० प्रतिशत के अन्दर ही वृद्धि हुई। उसी समय अगर आप देखें कि सन् ३१ से ३९ के बीच में जो गल्ले की औसत कीमत है वह है २ रु० ११ आना ८ पाई फीमन, गेहूं ४ रु० ८ आना ५ पा०, चावल ३ रु० १० आ० ६ पा०। तो इस सरकार ने जो पहले की मान्यता थी, जो पहले की सरकार ने रेट बढ़ाया था, जहां १२५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां २५ से ५० प्रतिशत नहर का रेट बाड़ाया था मगर इस सरकार ने तिगुनी और चौगुनी वृद्धि कर दी, जब कि गल्ले की कीमत में केवल दुगुनी वृद्धि हुई है। जहां सन् २३ में ६ रुपया थे, वहां सन् ५४ में १६ रु० १२ आ० और १२ रुपया ४ आना हो गये। ढाई गुना तक बढ़ाया गया है।

अगर यह सरकार अपने सब गलत कामों को उचित समझती है और न्यायसंगत समझती है तो हमारे पास जनशक्ति के सिवा और कोई साधन नहीं है। अपने बजट के भाषण में माननीय मंत्री जी ने कुयें और नहर के रेट में १ और २ का अन्तर बताया था लेकिन जब इधर बहस हुई तो सिंचाई मंत्री जी ने ४ और ५ का अन्तर बताया ; ऐसे आंकड़ों की जगलरी (जादूगरी) में समझता हूं कि सरकार के लिये उचित नहीं है और न ऐसे आंकड़ों की जगलरी में समय नष्ट होना चाहिये। हमें इस विषय में बैठकर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये।

अगर हम गौर से देखें तो डाक्टर गोयस्कर ने अपनी रिपोर्ट में साबित किया है कि कुंए की सिंचाई से पैदावार ज्यादा होती है और अगर आंकड़े देखे जायं तो कुयें की सिंचाई से जहां एक एकड़ में १५ मन होता है वहां नहर की सिंचाई से एक एकड़ में १३ मन पैदा होता है लेकिन यह सरकार क्या समझती है, उसके लिये उसकी तरफ से सफाई आनी चाहिये क्योंकि ऐसी बातें कही जाती हैं जो समझ में नहीं आतीं। जो यहां पर कमेटियों के बारे में चर्चा हुई है उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि सन् ४८ की रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उस की चर्चा माननीय मंत्री जी बार-बार करते हैं। उसमें क्या है और वह क्यों सदन में नहीं आती ?

जब उसका रिफ्रेंस (विवरण) दिया जाता है तो वह पब्लिश (छपती) क्यों नहीं की जाती, क्या डर है ? तो श्रीमन्, यह कमेटी सन् १९३९ में बैठी थी। उसने ५ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक कर रखने की बात कही है। उसने कहा कि अगर बढ़ाना हो तो उत्पादन कीमत का १/२० और १/१० के अन्दर नहर के रेट्स का टैक्स लिया जा सकता है मैक्सिमम। मगर यह सरकार मैक्सिमम, अपने लिये मान लेती है, फिर उसके ऊपर जनता के ऊपर चाहे जो मुसीबत आ पड़े उसके लिये सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

अब जहां तक उत्पादन का सवाल है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि १९४६ और ४७ के बाद आजतक इस सरकार ने इगेटेड और अनइर्रीगेटेड फी एकड़ यानी सींची जाने वाली जमीन और न सींची जाने वाली जमीन पर फी एकड़ में कितना पैदा होता है उसकी कोई रिपोर्ट, कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट नहीं दी। अगर आप देखें तो सन् १९४६-४७ से पांच वर्ष पहले तक की जो पैदावार है उसका जो ऐग्रीगेट है अगर उसको आप देखें तो इर्रीगेटेड (सिंचित भूमि) में १२.८ मन धान और १३.४ मन गेहूं और अनइर्रीगेटेड (असिंचित) में ९.७५ मन धान और ९.१५ मन गेहूं, यह पैदावार जो कि रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उनमें पाया जाता है। इसके बाद जो कम्बाइण्ड रिपोर्ट है, सरकार की ओर से एक कम्बाइण्ड रिपोर्ट निकली है इर्रीगेटेड और अनइर्रीगेटेड को मिला करके उसको देखा जाय और उसका हिसाब लगाया जाय तो गेहूं ८ मन फी एकड़ का परता पड़ता है और धान ९ मन फी एकड़ का परता पड़ता है यानी पैदावार घट गई। पहले अनइर्रीगेटेड में जहां गेहूं ९.१५ मन था वहां अब गेहूं इर्रीगेटेड और अनइरीगेटेड दोनों को मिलाकर ८ मन फी एकड़। जहां पहले इरीगेटेड में १३.४ मन फी एकड़ था वहां यह दशा है कि ८ मन फी एकड़। फिर किस आंकड़े को प्रस्तुत करके माननीय मंत्री जी समझते हैं कि विकास हुआ है ? किस विकास की वह चर्चा करते हैं, कैसा सर्वांगीण विकास यह है।

अब इन बातों से हम बिल्कुल श्रीमन्, इस निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि सरकार के सामने और कोई मान्यता नहीं है यह मनमाने तरीके से, जैसे भी हो सके एक बात कर देती है और उस बात को कर देने के बाद फिर उस कदम के उठ जाने के बाद उससे पीछे जाने में और अपनी गलती को स्वीकार करने में उसके सामने उसके सम्मान का सवाल हर वक्त खड़ा हो जाया करता है। तो इस संबंध में हम श्रीमन् केवल इतना ही कह सकते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय तो सरकार ने जो नहर का रेट बढ़ाया है, वह निहायत अनुचित है और निहायत ही जनता के हित के विरुद्ध है। कहा जाता है कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे किस चीज का विकास होगा। बेकारी का विकास हुआ है, गरीबी का विकास हुआ है। योजनाओं की बड़ी-बड़ी चर्चायें होती हैं। पंचवर्षीय योजना आदि-आदि की, लेकिन जिस योजना से जिस योजना के मातहत बेकारी का विकास हो, गरीबी बढ़ती हो तो वह योजना योजना नहीं है। उस योजना को खत्म कर देना चाहिये। जब जनहितकारी योजनायें बनेंगी तभी काम चल सकता है, अन्यथा नहीं। माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि वह जब-जब, जिस-जिस जिले में जहां-जहां गये हैं, किसानों ने उनसे पुकार की, उनका आह्वान किया कि सरकार नहरें खुदवाये, लेकिन मैं पूछता हूं कि कितना पानी उन्होंने पहुंचाया। जो नहरें खोदी भी गयीं उसका जो कुलाबा है, उसके जरिये से कितना पानी दिया जाता है, जहां पहले जितने पानी में १ हजार एकड़ जमीन सींची जाती थी वहां आज उतने ही पानी से आप ढाई, तीन और चार चार हजार एकड़ तक जमीन सिंचवाते जा रहे हैं। मगर श्रीमन् यदि कोई बुद्धिविभ्रम जन्य भ्रांति में विचरण करने का आदी ही हो जाय तो उसमें हमारा क्या दोष है ?

अब, श्रीमन्, आपकी सेवा में मैं उन घटनाओं को रखना चाहता हूं जो घटनायें कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट को लेकर इस सूबे में हो रही हैं जिनको लेकर इस सरकार ने एक कोहराम पैदा कर रखा है। जहां तक स्मरण की बात है सफाई के साथ मुख्य मंत्री जी को स्मरण होगा कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट जिस समय लगाया गया था उस समय महात्मा गांधी जी के क्या भाव थे ? गांधी जी ने साफ-साफ कहा कि जनता का टैक्स न देना और उसको देने से इन्कार करना जरूरी हो

[श्री राजनारायण]

जाता है जिस टैक्स को वह समझती है कि आनिरेबिल है और जिस टैक्स को वह बरदाश्त नहीं कर सकती है, उसको वह न दे। उस ऐक्ट को चिन्तामणि जी ने नाम दिया मार्शल ला माइनस दि नेम (बिना नाम का फौजी कानून)। ब्लैक ला लोगों ने इसका नाम दिया था। वही ब्लैक ला ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत का निकाल करके इस सरकार ने लागू कर दिया और अब इसके बारे में श्रीमन्, हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी चल रहा है, फैसला भी होगा। मगर जस्टिस देसाई का मत, जो सबके सामने आ चुका है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक इल्लीगल ऐक्ट है (गैरकानूनी कानून)।

श्री अध्यक्ष--अधिनियम के लीगैलिटी और इल्लीगैलिटी का प्रश्न इस समय नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता था कि लोकतंत्र की बहुत चर्चा होती है, जनतंत्र की बहुत दुहाई दी जाती है लेकिन यह क्या जनतंत्र है, क्या लोकतंत्र है? जनतंत्र का एक सीधा-साधा उसूल है कि सरकार जनता की हो, जनता द्वारा हो और जनता के लिये हो। "Government of the people, government by the people and government for the people." मैं सरकार को अधिक से अधिक इतना ही मानने के लिये तैयार हूं कि वह जनता के द्वारा चुनी गई है। चाहे वह गलत आयी या सही, सीधी आयी या टेढ़ी मगर अब तो आ गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सरकार जनता के लिये नहीं है, जो सरकार जनता के फायदे के लिये अपनी एक नीति नहीं अपना सकती वह सरकार न तो लोकतंत्र की मान्यताओं को मानती है और न वह लोकतंत्र की परम्पराओं को चलाती है। लोकतंत्र की परम्पराओं को, अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि डैमोक्रेसी के क्या माने हैं: "Democracy stands for a peaceful method of political change, and as such it stands for the right of the majority or the representatives of the majority, to rule, as well as, the right of the minority to try, by every peaceful means to convert the majority." तो डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि जो मेजारिटी पार्टी है, उसका जो दुशासन है, जो कुशासन है उसको रोकने का तोड़ने का हर शान्तिमय तरीके से अधिकार माइनरिटी को होता है और यह लोकतंत्र में, जनतंत्र में सर्वमान्य सिद्धांत है। मगर हमारे माननीय मंत्रीगण एक अजीब सिद्धांत निकाल रहे हैं। वह सोचते हैं कि जनतंत्र में सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं, जनतंत्र में सविनय अवज्ञा का कोई स्थान नहीं। मैं सफाई के साथ कहता हूं कि जनतंत्र में सविनय अवज्ञा का स्थान रहेगा और सत्याग्राह का स्थान रहेगा और मैं समझता हूं कि वह जनतंत्र, जनतंत्र नहीं है जिसमें कभी जब आवश्यकता महसूस हो तो शांतिपूर्ण तरीकों से शासन वर्ग को बदलने का अधिकार जनता को न हो।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप अभी कुछ समय और लेंगे।

श्री राज नारायण--जी हां, मैं करीब १५ मिनट का समय और लूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप जलपान के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राज नारायण--श्रीमन्, अगर देखा जाय तो एक तरीके से ६ गुनी नैट रेवेन्यू इस बढ़ी हुई नहर की दर के अनुसार सरकार की बढ़ गई है। सन् १९४८-४९ में जहां ८५,४१,९२७ रुपया थी वहां १९५४-५५ में ५,१५,१२,४०० के करीब है। जो इसका बढ़ोत्तरी खर्च सर्विसेज पर हुआ है उसमें सर्विसेज कैपेसिटी केवल गंगा कैनाल पर बढ़ी है जो कि खर्च के लिये १:९ के बराबर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सब तरह से अगर देखा जाय तो कहीं से भी माननीय सिंचाई मंत्री के नहर के बढ़े हुये रेट के औचित्य को साबित कर सकने में पूर्णतः असफल हुये हैं।

अब श्रीमन्, कहा जाता है कि सरकार चुनकर जनता द्वारा आयी। वह जनता पर टैक्स बढ़ा दे मगर कोई उसका विरोध न करे। क्या जनतंत्र का यही सिद्धांत है? मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि हिन्दुस्तान के गरीब किसान जो कि दो एकड़ से कम जमीन रखते हैं जिनका प्रतिशत ७५ है तो जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है और जिनके जीवन निर्वाह का कोई दूसरा साधन नहीं है, वही उसी दो एकड़ में से वह बढ़ा हुआ सिंचाई का रेट दें, उसी में से बढ़ी हुई मालगुजारी दें, उसी में से ग्रामपंचायत टैक्स दें, उसी में से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स दें, उसी में से इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जैसे लोहा, कपड़ा, सीमेंट वगैरह इस सबका खर्चा दें तो कहां से वह पायेंगे अब गरीब किसानों को पेइंग कैपेसिटी (कर देने की क्षमता) नहीं रह गई। अगर इतना टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो कैसे दिया जायगा और जनता में क्षमता न हो, उस पर टैक्स बढे और जो बढ़े हुये टैक्स का कोई विरोध करे, उसके लिये आन्दोलन खड़ा करें तो जनतंत्र की दुहाई दी जाती है। मैं तो समझता हूं और मैं समझता हूं कि जो भी जनतंत्र के मानने वाले होंगे, उनको मानना पड़ेगा, कि जनता अपनी शक्ति से बाहर जब काम हो तो उसको करने से इंकार करे तभी जनतंत्र की मर्यादा सुरक्षित हो सकती है जब कि सदन के माननीय सदस्य बैठकर सरकार के गलत कदम को यहाँ पर रोक सकें। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि कितने टैक्स बढ़ गये, उनको बारबार एक एक करके गिनाने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी कहें कि विकास के लिये कौन सी तजबीज है। मिल मालिकों को ले लीजिये इसके बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने कई बार बयान दिया कि १० करोड़ रुपया चीनी मिलमालिकों को कमवा दिया है। आज किसान का गला काट कर, गन्ने का दाम घटा कर उनका गला कट रहा है। फिर ऐसी बातों के रखने से कि जनता समझ सके कि सरकार के पास साधन नहीं है, द्रव्य नहीं है, इसलिये सरकार टैक्स लगा रही है, यह कहां तक उचित है? मैं कहता हूं कि उसके पास द्रव्य है, अपार द्रव्य है सच्चे मानों में अगर विकास-योजना कार्यान्वित करनी है तो उसके लिये बुद्धि चाहिये। द्रव्य की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी है। बुद्धि को ठीक करें तो अनेक साधन निकलेंगे। आज रैशनेलाइजेशन की स्कीम से एक करोड़ रुपये का मिल मालिकों का फायदा होगा। जितनी भी स्कीमें आ चुकी है, उनसे भी ज्यादा फायदा होगा। मैंने कोई टोटल आंकड़े यहां नहीं रखे हैं। मगर रैशनेलाइजेशन से न कपड़े के दाम मे कमी होगी, न मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, न उनके काम के घंटों में कमी होगी। जहां पूंजी है, वहां पर सरकार टैक्स बढ़ाने की बात सोचती नहीं। हां, गरीब किसान पर सरकार सब कुछ बात करने की सोचा करती है। मैं ज्यादा तो आंकड़ों के फेर में नहीं जाऊंगा हमारे सम्मानित सदस्य अब और इसके बारे में प्रस्तुत करेंगे। मगर मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्वयं स्वातंत्र संग्राम में हिस्सा लिया है। उनके जीवन का भी कुछ हिस्सा जेल में बीता है। जिस समय जेल में गृह मंत्री रहते थे तो श्री सम्पूर्णानन्द में कौन सी प्रतिभा थी जिससे उनके लिये जेल में सारी सुविधायें प्राप्त होती थीं। ए क्लास की सुविधायें मिलती थीं, हमारे इस सदन के भूतपूर्व सदस्य सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह उन्नाव में सी क्लास में हैं। अभी इसी सदन के एक और सदस्य गजेन्द्र सिंह भी सी क्लास में रखे गये। श्रीमन् हमारे माननीय रामनरेश सिंह जी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री है, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके है उन्होंने भी अपना जीवन "सी" क्लास में बिताया है। श्री सम्पूर्णानन्द जी जरा वह जमाना देखें जब वह गृह मंत्री नहीं थे, पुलिस मंत्री नहीं थे, श्रम मंत्री नहीं थे, उनके साथ अंग्रेजी हुकूमत, साम्राज्यशाही हुकूमत जो कही जाती है वह कैसा सलूक करती थी। क्या उससे भी गन्दा सलूक करेंगे तब भी जनतांत्रिक परम्परा पर चलने का गर्व करेंगे? मैं सरकार को याद कराना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आन्दोलन चला था उस समय माननीय लालबहादुर शास्त्री जी गृह मंत्री थे। उन्होंने उनके लिये एक स्पेशल क्लास खोली थी। मैं भी उस स्पेशल क्लास का कैदी रह चुका हूं काशी विश्वविद्यालय के आन्दोलन के सिलसिले में दो महीने तक मैं जेल में रहा था। तो जो एक साम्प्रदायिक संस्था थी वह तो उन तमाम सुविधाओं को जेल के अन्दर प्राप्त कर सकती है, लेकिन आज माननीय गृहमंत्री वही सुविधायें अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दी को देने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उनकी सरकार का पाया हिल रहा है, उनकी खामियों के कारण आज उनको

[श्री राजनारायण]

तो निर्मल चन्द्रिका में, प्रफुल्ल मल्लिका में, कोकिल की कोकिली में ही आनन्द आता है, लेकिन आज अपने प्रान्त में ऐसे भी लोग हैं जिनको वहां आग ही आग दिखाई पड़ती है। यह क्रांति की चिनगारी है, जो प्रज्ज्वलित होगी। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की क्या परम्परायें हैं। मैं आपको श्रीमन् पंच मानता हूं। आप हमारे इस सदन के अध्यक्ष हैं। मैं आपको केवल इसी सदन के घेरों में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस सदन के सदस्यों को आगरा के जिले में, अरदाया में, जो वहां की वस्तुस्थिति है उससे स्वयं अवगत करायें।

हमारे आचार्य कृपलानी ने अभी आगरा और मथुरा के बारे में कहा है। अलगूराय शास्त्री जो उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के जनाब सदर हैं उनको ही मान दें, माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन को ही मान दें, ये वहां जाकर अपना बयान दें कि क्या औरतों की सारियां नहीं खींची गईं। श्रीमन्, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। आगरे में पुलिस जाती है, जाते ही किसानों को डंडे मारती है, जब किसानों काजन समूह बढ़ता है तो पुलिस भाग जाती है फिर जाकर आंसू गैस का प्रयोग होता है। गांव में, श्रीमन् आपने कभी ब्रिटिश साम्राज्यशाही के जमाने में आंसू गैस का प्रयोग सुना है। अरदाया शहर नहीं है, वहां औरतें हैं, बच्चे हैं जो बाहर पाखाने पेशाब के लिए जाते हैं। मगर यह सरकार आज उनको घरों में बन्द करके बाध्य करती है पेशाब के लिये, पाखाने के लिये और फिर भी यह सरकार दावा करती है लोकतंत्रीय पद्धति पर चलने का। मैं तो चाहता था कि माननीय कमलापति जी के मुखार बिन्दु से जो सुन्दर शब्द निकल रहे हैं उनको घंटों सुनता रहूं मगर कोई तत्व नहीं मिला। ९६ जानों की यह लिस्ट है और २१ दिन के अन्दर ये जानें गईं। चार आदमियों की जानें तो उसी दिन गई जिन दिन की अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। एक स्त्री थी, उसके बच्चा हुआ था, जच्चा बच्चे के साथ चारपाई पर लेटी थी, पुलिस घुसती है और उसकी चारपाई को उलट देती है, बच्चा गिर पड़ता है और उसका प्राणान्त हो जाता है। ऐसी सरकार जो छोटे-छोटे बच्चों के कत्ल की जिम्मेदार है उस सरकार को पलटने के लिये तथा उस सरकार के गलत काम को रोकने के लिए आन्दोलन खड़ा करने का गर्व प्राप्त है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को और हमें। श्रीमन्, प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे आह्वान पर साहस के साथ कदम बढ़ाया है। मैं माननीय कमलापति जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा कि जनमत का समर्थन नहीं है, किसे कहते हैं जनमत का समर्थन ? पूज्य बापू के नेतृत्व में आन्दोलन हुआ हमारे मुल्क में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से कितने लोग जेलों में गये ? एक एक जिले को ले लीजिये, कितने लोग जेलों में गये, सन् १९४२ के जमाने को छोड़ दीजिये। कुछ जिलों में इस नहर कर विरोधी मोर्चा में करीब २७ आदमी से ऊपर आदमी जेलों में गये। इसके विरोध में इतने साथी जेलों में चले जायं और माननीय कमलापति जी यही कहें कि आपके साथ जनसमर्थन नहीं है तो यह क्या बात हुई। एक किसान रोता हुआ आपके पास आया कि माननीय पंडित जी हमें पानी सिंचित करें, हमें पानी से सजीव करें। तो क्या उसका खून चूस कर सिंचित कीजियेगा यह सरकार किसान के खून को चूसकर पानी से सिंचित करने वाली सरकार है, तो इसको जनता कब पसन्द करेगी ? यानी कभी पसन्द नहीं करेगी।

मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि हमने तिजलापुर के संबंध में माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमें पूरी घटना का वर्णन दीजिये और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की और तिजलापुर में जो एक चमार की जान गई उसको उन्होंने छिपाया नहीं और लिखा कि एक जान गई। वहां पर तहसीलदार, अमीन और अन्य सरकारी कर्मचारियों के रहते हुये भी उस चमार पर इतनी मार पड़ती है कि उसका प्राणांत हो जाता है औरमारने वाले भाग जाते हैं। लेकिन बाद को उनके ऊपर कार्यवाही होती है और बाद में हमें यह सुनाई पड़ता है कि कुछ कांग्रेस वालों की रिकमेंडेशन पर वह बहाल कर दिये गये। वह बहाल किये गये या नहीं, उसकी जान गई। उसकी मार से जान गई ऐसा हमें मालूम है। इसमें जिनका भी अपराध है, यदि उनको दण्ड नहीं मिलता, तो क्या सरकार, मुख्य मंत्री या गृह मंत्री जुम्मेदार नहीं हैं ?

श्रीमन्, हम यह कहते हैं आप से कि इसी सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बैठाई जाय।

श्रीमन् दो मिनट का हमारा समय बढ़ा दिया जाय और हमारे जो अन्य माननीय सदस्य हैं उनके समय से काट लिया जाय।

हां, तो मैं यह कह रहा था कि इसी सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बैठाई जाय। यहां पर थोड़े से नारे लगाये जाते हैं, थोड़े से नौजवान नारे लगा देते हैं, जो सरकार का स्पेशल पावर्स ऐक्ट है जिसने प्रांत भर में खुराफात मचा रखी है, एक तूफान बदतमीजी बरपा कर रखी है, उससे यदि कुछ नौजवान उत्तेजित होकर कुछ नारे लगा देते हैं तो उसके लिये तो कमेटी बिठा दी जाती है। लेकिन जहां हमारी माताओं और बहिनों की साड़ी खिंचती जाती है, बहू-बेटियों की इज्जत लूटी जाती है वहां कुछ नहीं किया जाता है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक निष्पक्ष कमेटी इस सदन के सदस्यों की बैठायें, जो इस बात की जांच करे कि इस सरकार ने, जुल्मी सरकार ने, नालायक सरकार ने अपने प्रांत की जनता के ऊपर क्या आफत ढा रखी है।

श्रीमन्, मिर्जापुर का बहुत बड़ा कांड है। उसका क्या हुआ। उन पर गलत मुकदमा चला और वापस हुआ फिर दूसरा मुकद्दमा चला उनके अधीन जो थोड़ी सी दफायें रह गयी हैं कि पुलिस के रास्ते में दस्तन्दाजी की गई। अब भी श्रीमन् कहा जाता है कि तुम माफीनामा लिख दो, तुमको सरकार से माफी दिलवाकर बरी करा दिया जायगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकारी मंत्रियों को भी मालूम है। मैं माफीनामे की बात दावे के साथ कह सकता हूं कि क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कोई नेता है जिसके लिये वह कह सकते हों कि उसने माफी मांगी है। माफी मांगने वाले तो थे आपके डाक्टर महमूद, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे और उनके अलावा अन्य और लोग भी थे जिन्होंने सही मानों में माफी मांगी। मैं भी उनमें से बहुत से लोगों को जानता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके किसी का नाम न लें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका आदेश शिरोधार्य है। इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस माफी की बात का जिक्र बार-बार न किया जाय, क्योंकि इससे देश का नैतिक पतन होता है, नैतिक ह्रास होता है और सरकार के कर्मचारी जो इस प्रकार से माफी की बात करते हैं वह भी बन्द करना चाहिये। मैं इसलिये कहता हूं कि मैं तो एक भुक्तभोगी हूं। आप लोकतंत्र, लोकतंत्र चिल्लाते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं, मैं माननीय कमलापति जी को ही पंच मानता हूं और वह चले जायं कानपुर और वह देखेंगे कि उनके लोकतंत्र को लूटने का कैसा नंगा नाच वहां हो रहा है। जब कि स्वतंत्रता से चुनाव भी नहीं हो सकता है तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि लोग इस गलत धारणा को अपने अन्दर से निकाल दें। आज जबकि स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव भी नहीं करने दिये जाते हैं और गंदे से गंदे कानून बनाये जाते हैं और उस पर सरकार चाहती है कि जनता नत-मस्तक हो जाय तो, वह कैसे होगी? वह जनता नत मस्तक हो सकती है जो पूज्य बापू के आदेशों को न मानने वाली होगी, जो गांधी के मार्ग पर न चलने वाली होगी, लेकिन वह जनता जो कि अपने अधिकारों को लेकर बड़े से बड़े पहाड़ों को भी ढहा देने के लिये तैयार है, जो न्याय को लेकर बड़े से बड़े अन्याय को रोकने के लिये तैयार है वह गलत कानूनों के आगे कभी भी अपना मस्तक झुकाने के लिये तैयार नहीं होगी।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आचार्य कृपलानी जी ने जो मथुरा की स्त्रियों के चीर अपहरण के बारे में समाचारपत्रों में बयान दिया है उसके लिये सरकार ने एक सरकारी जांच बिठाई है। मुझे मालूम नहीं है कि उसकी क्या फाइंडिंग (जांचफल) होगी। लेकिन एक निष्पक्ष कमेटी क्यों नहीं बिठाई गई। क्या इस संबंध में श्रीमती सुचेता कृपलानी जी को पत्र लिखा गया कि सरकारी कमेटी वहां इंक्वायरी करने के लिये जा रही है, इसलिये आप भी अपना सबूत दें।

[श्री राजनारायण]

क्या सरकार यह करेगी ? लोकतंत्र की जड़ में गरम पानी देकर सारे देश को हिंसा के नरक कुंड में ले जाने की जो सरकार की नीति है उससे हमें तुलसीदास की चौपाई याद पड़ती है :

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।"

यानी ऐसे राजा को जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है जो प्रजा को कष्ट दे उसको नरक में ले जाना अच्छा है। जब इतना उग्र कदम उठेगा उस दिन सच्चे माने में लोकतंत्र पल्लवित होगा और फूलेगा, फलेगा।

†महाराजकुमार बालदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात है, मुझे कुछ हद तक अनुभव है, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ज्ञात हो गया होगा ट्रावंकोर कोचीन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मंत्रिमंडल स्थापित होने के बाद प्रजा सोशलिस्ट भाइयों को भी अनुभव हो गया होगा कि अनईजी लाइज दि हेड दैट वियर्स दि क्राउन अर्थात् अधिकार वाला व्यक्ति निश्चित नहीं रहता।

आन्दोलन का प्रचार करना सरल है। श्रमदान के लिये जनता का उत्साह बढ़ाना सरल नहीं। हजरतगंज की गली में एक समूह के सामने इन्कलाब-जिन्दाबाद की आवाज पुकारने वाले बहुत से मिल जायेंगे। हमारी सरकार ने सिंचाई कर लगाया, उचित था या अनुचित, इस पर इस सदन में बहस हो चुकी है। सिंचाई कर के संबंध में मेरे मित्र श्री त्रिपाठी जी और उनके साथियों ने एक आन्दोलन चलाया। आया आन्दोलन सफल हुआ या नहीं, इसके संबंध में माननीय कमलापति जी ने एक विचार प्रकट किया। उच्च स्वर में राजनारायण जी ने उसका खंडन किया। कहीं भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। यदि हमारे मंत्री महोदय माननीय कमलापति जी, यह कहते हैं कि आन्दोलन हुआ ही नहीं, तो मेरा कहना कि वह झूठ कहते हैं एक गुस्ताखी होगी। यदि मैं यह कहूं कि त्रिपाठी जी एक अन्धविश्वास में चल रहे हैं, यह मेरी तरफ से एक इम्प्यूडेंस (अनादर की बात) सी होगी। मैं इतना ही कह कर इस बात को छोड़ देता हूं कि इस पर अवश्यमेव त्रिपाठी जी की ओर से एक विशफुल थिंकिंग होनी चाहिये। अवश्यमेव आन्दोलन हुआ। अवश्यमेव सिंचाई कर लगाने से जनता को और किसानों को दुख पहुंचा। प्रश्न यह नहीं है कि उन को दुख पहुंचाया या नहीं। सरकार के सामने जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि इस कर का लगाना उचित था या नहीं और जो उससे भी महत्व-पूर्ण विषय है वह यह है कि क्या इस कर की वसूली के संबंध में जैसा कहा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है या नहीं ?

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह साफ है कि यदि कर की वसूली ९५ प्रतिशत हो जायगी तो जो आन्दोलन उठाया गया है वह असफल रहा। मैं नम्रतापूर्वक यह अर्ज करूंगा कि यह कोई सबूत नहीं। मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के भाषण को सुन कर या उनसे मीठे स्वर वाले भाषण और भाषण देने के तरीके को सुन कर कोई किसान प्रभावित न हुआ होगा और न होता। मगर उसने फिर भी दिया। तो वह इस लिये नहीं कि वह कमलापति जी के भाषण से प्रभावित हुये हों, बल्कि केवल इसलिये कि हमारे माननीय पूजनीय, गृहमंत्री जी के विभाग की जो भयंकर शक्ति है उस से डर कर उन्होंने यह कर सरलता और शांतिपूर्वक देना, बनिस्बत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आन्दोलन में भाग लेने के, बेहतर समझा। इसलिये यह कहना कि ९५ प्रतिशत स्थानों में कर वसूली हो चुकी है इसलिये इस आन्दोलन का महत्व नहीं, मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय के महत्व को गिराना और घटाना होगा।

इसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न जो उठता है वह यह कि जहां आन्दोलन हुआ उस आन्दोलन को दबाने के लिये या कर वसूली के संबंध में जो कार्रवाई सरकार ने की और जो इस संबंध में स्पेशल पावर्स ऐक्ट, एक पुराने कानून का प्रयोग किया, क्या वह आवश्यक था, क्या वह उचित था ? क्या किसी और कानून या किसी और तरीके से वह समस्या दूर नहीं की

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकती थी। जहां तक स्पेशल पावर्स ऐक्ट के प्रयोग करने का संबंध है, मैं समझता हूं कि इस संबंध में सरकार ने एक भूल की। यह तो एक मानी हुई बात है स्पेशल पावर्स ऐक्ट को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र जनता ने जिसको कि अभी स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रगट करने का अवसर मिला है, कभी पास नहीं किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। टेहरी-गढ़वाल एक रियासत थी। वहां बहुत से कानून ऐसे थे जो अब वर्तमान विचारानुसार अनुचित गिने जाते है। मर्जर होने के पश्चात् उनको फौरन रद कर दिया गया। बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया, मैं इस कानून को उसी कैटेगरी में डालूंगा। यह एक पुराना कानून, एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष वातावरण का सामना करने के लिये बनाया गया था। यदि सरकार यह समझती हो कि इस कानून के लिये भी जनता उनके साथ है, और जनता उन पर भरोसा रखती है और जनता इस कानून का भी साथ देने के लिये तैयार है, तो यह उनकी भूल है। मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि जब कि हमारे स्वशासन मंत्री ने इतनी सरलतापूर्वक पंचायत राज का खंडन कर दिया है जब कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय इतनी सरलतापूर्वक शिक्षा में एक प्रकार अजीब आन्दोलन चलाने वाले हैं तो मैं नहीं समझ पाता कि एक ऐसे कानून के लिये भी माननीय मंत्री महोदय एक इसी तरह की स्वीकृति क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। जिस कानून में यह लिखा हो कि यदि एक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट किसी एक शख्स पर शुबहा करे, यानी किसी एक शख्स की सकल उसको पसन्द न हो तो उसको वह गिरफ्तार कर सके, मैं समझता हूं कि आजकल के जमाने में ऐसा कानून होना और ऐसे कानून के पीछे हमारी जनतंत्र राज्य प्रणाली पर विश्वास रखने वाली सरकार का भरोसा रखना, एक बहुत ही अनुचित बात है। इस संबंध में इतना ही कहकर कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट का प्रयोग करना मैं एक बहुत ही अनुचित कदम समझता हूं, मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं।

जहां तक कि हमारे माननीय श्री राजनारायण जी ने कहा कि जनता उनके साथ हर एक विषय पर है और जनता के ही नाम पर उन्होंने जो कुछ किया वह किया यानी उनके दल ने या संस्था ने किया, यह मैं नहीं मान सकता। यदि आप गौर से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस आन्दोलन में जिन्होंने भाग लिया है, वे किसान नहीं है जिनके ऊपर हमारे सिंचाई मंत्री महोदय ने कर लगाया है, वे नहीं है। मुख्यकर और विशेषकर वे सदस्य है जो कि उनकी एक नयी संस्था है, उसके एक अंग हैं जिसका प्रदर्शन अभी कुछ ही दिन पीछे इस भवन में भी दिखाई पड़ा और उनके और साथी उनके साथ इसमें है। मैं यह नहीं मानता कि इसमें किसान का उतना हाथ है या उनका उतना हाथ है जितना कि हमारे राजनारायण जी कहते है।

मैंने शुरू ही में कह दिया था कि इसको एक आब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देखना है। माननीय मंत्री जी कहते है कि जनता के लिये बहुत से उपयोगी काम किये गये है साथ ही साथ उन्होंने एक वाक्य कहा कि जनता की ओर से जो कर से वसूल होगा उससे इस सरकार के न तो कोष को ही कुछ अधिक लाभ होगा और न ही कार्य के होने में कुछ सरलता या सहायता पहुंचेगी। यदि यह बात सही है तो मैं नहीं समझता कि इस जमाने में इस बात पर ध्यान देते हुये कि आजकल कृषि के पदार्थों के भावों में जो एकाएक परिवर्तन हुआ है क्या इस कर का जो बोझ किसानों के ऊपर पड़ेगा उस बोझ को वह किसान उठा पायेगा। हम सबको यह मालूम है कि अनाज का भाव एक दिन कहां था और आज कहां से कहां पहुंच चुका है। इस प्रकार का जो परिवर्तन कृषि संबंधी भाव में होगा वह होता ही रहेगा मगर इस बात पर विचार करना सिंचाई मंत्री महोदय के लिये आवश्यक है कि आखिर इस कर से किसान जनता पर कितना बोझ पड़ रहा है। हिसाब और आंकड़े लगाना बड़ा सरल है। माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ अपने विभाग के संबंध में कहा उस पर मैं पूरा विश्वास करता हूं और विश्वास करते हुये मैं उनको और उनके विभाग को बधाई देता हूं। कि सिंचाई के सम्बन्ध में इतना कार्य हुआ। किन्तु साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में मुझे शुबहा है कि क्या जितना खर्च हो रहा है, क्या किसान उसका पूरे तौर से

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

फायदा उठा रहे हैं ? क्या यह सही है कि जब किसान पानी मांगता है, काफी समय ऐसा पाया जाता है कि किसान को पानी नहीं मिलता ? यदि यह बात सही है तो एक तरफ ऐसी परिस्थिति होना और दूसरी तरफ उनके ऊपर कर लगाया जाना, यह मैं समझता हूं कि कुछ हद तक एक अनुचित बात है। इसी प्रकार एक और भी अड़चन हमारे सामने पैदा होती है कि यदि किसान को जो सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं दी जा रही हैं उनकी वह पूरी युटिलिटी नहीं कर पा रहा है तो फिर सरकार का क्या कर्तव्य हो जाता है कि एक तरफ उसको यह सुविधाएं दी जा रही हैं कि वह अपनी जमीन के उत्पादन को बढ़ाये, पानी का साधन उपयुक्त रूप से रखा जा रहा है और किसान उसके लिये अवश्य धन्यवाद देगा। किन्तु बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि किसान के लिए यह एक असम्भव सी बात बना देते हैं कि उन तमाम सुविधाओं का वह पूर्ण रूप से लाभ उठा पाये। इस सम्बन्ध में चौधरी चरणसिंह का विभाग भी आता है, परन्तु उसकी यहां चर्चा करना उचित नहीं। किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जब तक सरकार की कृषि सम्बन्धी नीति एक स्तर पर और इस प्रकार से स्थिर नहीं हो जाती तब तक किसान के ऊपर बोझ बढ़ाना एक अनुचित कदम होगा।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है और अधिकतर मैं कह भी चुका हूं। अन्त में मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि हालांकि केवल यहीं नहीं किन्तु और जगह भी इस बात की इच्छा प्रगट की गयी है कि एक प्रकार की कमेटी स्थापित की जाय जो कि इस विषय पर निष्पक्ष रूप से जांच करे। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा मौका है और मेरा विश्वास है कि शायद राजनारायण जी भी यह न कहेंगे यद्यपि मुझे उनकी तरफ से कहने का कुछ अधिकार नहीं, किन्तु जहां तक मैं समझ पाया जिस प्रणाली से हम चल रहे हैं यदि पहले सरकार की तरफ से एक फैक्टुअल रिपोर्ट आये, इसकी इकोनामिक साइड में क्या बातें हमारे सामने आती हैं, कितना कर वसूल हो रहा है. जिनसे कर लिया जा रहा है, उनकी वास्तव में कितनी उन्नति हो रही है और इस प्रकार की सब बातें सदन के सामने पहली बार सरकार की तरफ से आएं क्योंकि जब कि यह विषय एक बड़े रूप में चर्चा का विषय बन गया है, मैं समझता हूं कि इस पर ढील देना या इस पर आंख मूंदना सरकार के लिए शोभा की बात नहीं होगी। जो सुझाव मैंने दिया है उससे कम से कम सरकार की तरफ से हमारे सामने एक फैक्टुल रिपोर्ट आ जायगी और मैं यहां पर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज अधिकांश रिपोर्ट जो हमारे सिंचाई मंत्री महोदय और सूचना विभाग से आती है उन पर मैंने अपनी ओर से बारम्बार शंका प्रगट की है। सूचना विभाग द्वारा छपे हुए साहित्य में प्रोपोगेंडा के अलावा बहुत कम विषय उस पर मिलता है। इसलिये एक फैक्टुअल रिपोर्ट हो, जिससे हमको स्पष्ट रूप से उसकी इकोनामिक बैक ग्राउंड मालूम हो सके। साथ ही साथ वास्तविक जो उन्नति हुई है, यह नहीं कि पानी पाने के पश्चात् सिंचाई करने की सुविधा, किन्तु उन्नति में प्रगति का एस्टीमेट किया गया हो, उससे प्रभावित होना गलत होगा, यह हमारे सामने आ जाय तब फिर हम यह सही रूप से देख जायंगे कि आया इस कर का लगाना किसान जनता के ऊपर बोझ बढ़ाना है या जैसा सिंचाई मंत्री ने कहा कि यह केवल एक तरीका देना था जिससे वह भी समझ लें कि उन्होंने भी इस प्रगति और उत्थान के कदम पर अपनी हतुल सहायता भी दी। कहना बहुत सरल है लेकिन अगर वास्तव में उसका यही असर होता है कि उनके ऊपर कोई बोझ न पड़े, केवल एक प्रकार का उनकी तरफ से एक सहायता का रूप रहेगा तो मैं समझता हूं कि इस सिंचाई कर के सम्बन्ध में अधिक कहना अनुचित और अनावश्यक होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मुझे सब से पहले आपकी सेवा में अपनी एक कठिनाई निवेदन कर देनी है। माननीय राजनारायण जी को मुझसे

यह शिकायत तो रहती ही है और आपके सम्मुख कई बार वह कह चुके हैं कि मैं इस सदन के सम्मुख गलत आंकड़े पेश किया करता हूं लेकिन उन शिकायतों के अलावा एक शिकायत उनको और भी मुझसे हो गई है और वह यह कि इस सदन में उन्होंने यह कहा था कि परिपूर्णानन्द की आदत हो गई है कि हमारे विरोधी पक्ष के व्याख्यानों के उपरान्त वह कह दिया करते हैं कि मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। तो ध्यान पूर्वक सुनना जब एक शिकायत हो तो मैं आज आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आज के उनके प्रवचन को मैंने कतई ध्यान पूर्वक इसलिये नहीं सुना कि मुझे उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं दिखाई दी। मुझे उनके भाषण को सुनकर ब्रिटिश न्यायालय की एक घटना याद आई। एक वकील साहब अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और पैरवी करने के बाद जब वह बैठ गये तो दूसरा वकील जब अपने पक्ष की पैरवी करने लगा तो वह दो चार बार हाथ पैर इधर उधर हिला कर बैठ गया। न्यायालय ने पूछा कि तुमको कुछ नहीं कहना है तो उसने कहा कि पहले वकील साहब महोदय ने अपनी पैरवी में कोई बात नहीं कही, केवल हाथ पैर हिला दिये और मैंने भी उसी के जवाब में अपने हाथ पैर चला दिये और कोई तर्क पेश नहीं किया। अगर न्यायालय अब चाहता है कि मैं कोई तर्क दूं तो उसे निवेदन किये देता हूं।

माननीय राजनारायण जी भी १९२२--२३ के आंकड़ों में फंस गये और मुझे आश्चर्य होता है कि १९२२-२३ के जमाने के नहर के मामले को लेकर १९५३-५४ के मामले से तुलना कैसे की जाती है। १९२२-२३ का वह जमाना था जब कि हमारे प्रदेश का १३ करोड़ ३१ लाख का बजट बना था और १३ करोड़ ४२ लाख रुपये खर्च किये थे। उस १९२२-२३ में उस सरकार ने उस १३ करोड़ ४२ लाख रुपयों में से ६ करोड़ ४८ लाख रुपया केवल सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया था। उस सरकार के उस जमाने में नहर की आमदनी थी ८८ लाख ८९ हजार रुपये और इतनी आमदनी नहर से होने पर उस सरकार ने नहर के कांस्ट्रक्शन पर ७ लाख १ हजार रुपये खर्च किये और सब मिला कर ५५ लाख रुपये का खर्च था और आज इस प्रदेश की सरकार को ५२-५३ और ५३-५४ में नहर के महकमे से करीब ३ करोड़ २७ लाख रुपये की आमदनी है और १९५३-५४ में इस सरकार ने नहर के महकमे से ६ लाख ६६ हजार रुपये की आमदनी का तखमीना लगाया था। मुझे आश्चर्य होता है, श्रीमन्, कि माननीय राजनारायण जी ने कुछ तो प्रशंसा की होती कि इतनी आमदनी करने वाली सरकार ने ६ करोड़ ६६ लाख में से ४ करोड़ २७ लाख रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर और ३ करोड़ ७ लाख रुपया मिसलेनियस एक्सपेंसेज पर रक्खा यानी आमदनी से भी १ करोड़ रुपया ज्यादा और उस वक्त ८८ लाख की आमदनी में से केवल ७ लाख रुपया खर्च करना--इन दोनों का अनुमान अगर वह लगा लें तो उन्हें हमारे प्रदेश की इस सरकार की प्रशंसा ही करनी चाहिये। लेकिन माननीय राजनारायण जी ने ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। इस मौके पर माननीय राजनारायण जी ने कुछ कानपुर का भी जिक्र किया। करों के सिलसिले में मैंने अपने कानों से उनके दल के लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनीं जिनको कहने में मुझे संकोच मालूम होता है। चुनाव के सम्बन्ध में यहां तक कहा गया कि अगर उनके सदस्य को पार्लियामेंट में भेजा जायगा तो वह सदस्य बिक्री कर माफ करा देगा। जो दल ऐसी बातें कर सकता है वह कर के विषय में हमसे कुछ कहने का साहस करे, यह आश्चर्य की बात है। मैं नहीं जानता कि माननीय राजनारायण जी विश्वनाथन साहब को किस दल का व्यक्ति समझते हैं। विश्वनाथन साहब ने, आंध्र की समाजवादी पार्टी के प्रधान ने बजट की तकरीर में यह कहा था कि आन्ध्र के लिये जरूरी है कि टैक्स बढ़ाया जाय और उसमें उन्होंने जल के ऊपर ही टैक्स बढ़ाया--और यह समाजवादी मंत्री ने ही टैक्स बढ़ाया था। मैं समझता हूं कि मैं ग़लत कह रहा हूं या सही इसको माननीय राजनारायण जी ज्यादा जानते होंगे। मैं जानना चाहता हूं अपने किसानों के हिमायती समाजवादी भाइयों से कि किसानों पर

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

कामर्शियल बेसिस पर खेती की उपज पर किसने टैक्स लगाया? वह लगाया श्री विश्वनाथन साहब ने जिसको मुझसे अधिक माननीय राजनारायण जी जानते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि श्री नटराज पिल्लई जो कि ट्रावंकोर कोचीन के वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम ऐसे कर लगायें कि जिससे केवल हमको ही लाभ न हो बल्कि भारत सरकार को भी लाभ हो। उन्होंने यह कहा था कि हमारे सामने जो आज परिस्थिति है उसमें हमको कर लगाना जरूरी है। यह किसने कहा था? यह कहा था समाजवादी सरकार के एक मंत्री ने। हम तो लोकतंत्र के मानने वाले नहीं हो सकते। लोकतन्त्र के मानने वाले तो वह हो सकते हैं। जो बहुमत के सदस्य की दया की भीख पर अपना शासन चलाते हैं और जनतन्त्र की सरकार वह होती है, जो अल्पमत में रह कर अन्य लोगों के आश्रित होकर अपना शासन चलाती है तो फिर जनतान्त्रिक हमारी सरकार कैसे हो सकती है? हमारे सामने तो प्रदेश की समस्यायें हैं और हमको कुछ गौरव है और वह इस बात का गौरव है कि आज जहां तक उत्तर प्रदेश की आबपाशी का सम्बन्ध है आज यह उत्तर प्रदेश समूचे भारत में सब से आगे है। यदि आंकड़े देखे जायं तो यह मालूम पड़ सकता है। आंकड़ों के द्वारा कहा जाता है कि पंजाब में सब से ज्यादा आबपाशी होती है। जितनी भूमि में खेती पंजाब में होती है उसका ३४.६ प्रतिशत आबपाशी के अन्दर आता है। उत्तर प्रदेश में २५.७ प्रतिशत भूमि में आबपाशी होती है, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाय तो पंजाब में १ करोड़ ३८ लाख एकड़ भूमि में खेती होती है और उत्तर प्रदेश में ४। करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है तो उसका २५ प्रतिशत आबपाशी के अन्दर आता है। तो यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर एक आदमी को इस बात का गौरव होना चाहिये कि इन मामलों में हम कितने आगे बढ़े हैं। १०, १५ प्रतिशत भूमि में प्राइवेट तौर पर निजी तरीके से आबपाशी का प्रबन्ध है, वह हिस्सा अलग है। इसके अलावा उत्तर-प्रदेश में हजारों नलकूप बनाये गये हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार की सहायता शामिल है। वास्तव में मिलान किया जाय तब मालूम हो सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। प्राइस इन्डैक्स की बात कहना तो आसान है, लेकिन मैं माननीय राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि एक आस्ट्रेलियन इकानामिस्ट मि० काल्विन क्लार्क हैं वह किस दल के हैं इस बात को वह अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने भारत के विषय में छानबीन की है या नहीं की है इसको भी वह खूब जानते होंगे। अगर वह इस बात की छानबीन करेंगे तो उनको ऐसी चीजें मालूम पड़ेंगी कि विदेशी विशेषज्ञों ने हमारे देश के करों के भार की छानबीन की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतवर्ष में जितने लोग असेम्बली या पार्लियामेंट में वोट करते हैं उनमें ९९ फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डाइरेक्ट टैक्सेशन का भार नहीं पड़ता है। यही नहीं मैं अपने मित्र को पुनः यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट में बहुत-सी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। उसमें बड़े-बड़े समाजवादी नेता हूं, उसमें बड़े-बड़े कम्यूनिस्ट नेता हैं। उसमें ३ जुलाई सन् १९५२ ई० को वहां श्री सी० डी० देशमुख ने भाषण दिया था और उसमें उन्होंने यह कहा था कि भारतवर्ष में कितने ऐसे आदमी हैं जिनके उपर डाइरेक्ट टैक्सेशन का भार पड़ता है। उन्होंने बतलाया था कि हिसाब लगाया जाय तो शायद १ फीसदी पर पड़ता है। माननीय राजनारायण जी को मालूम होगा कि हमारे देश में ८७.६७ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनको लोअर क्लास के पक्ष का कहा जाता है और जिनको अपर क्लास का कहा जाता है उनकी संख्या १२.४ फीसदी है जो कि ८७ फीसदी कर देते हैं। तो अब आप बतलाइये कि कौन-सा तखमीना बनाया जाय जिससे यह लोक कल्याणकारी राज्य हो सके। यह कहना बहुत आसान है कि यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। सन् १९२२-२३ और १९५३-५४ के आंकड़ों का

राजनारायण जी ने मुकाबला किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वह साहित्य पढ़ते तो हैं लेकिन अपने दल का साहित्य नहीं पढ़ते। मैं कहूंगा कि अगर वह अशोक मेहता का ही लेख पढ़ लें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि इस प्रकार से प्राइसेज के ब्योरे में जाने से कितनी उलझन पड़ जाती है। वह ऋग्वेद के विद्यार्थी हैं, पर मैं ऋग्वेद का विद्यार्थी तो हूं नहीं लेकिन मैं कम से कम किसी दूसरे का पढ़ाया हुआ मंत्र तो यहां नहीं उपस्थित कर सकता।

एक बहुत बड़ी बात यह कही जाती है कि एक इम्पार्शल कमेटी बैठा दी जाय। कि फलां आन्दोलन से बाहर निकलने के लिये यह अच्छी तरकीब है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी से कि यह सही है या नहीं कि एक कांग्रेस के विरोधी दल के नेता ने उनको एक सलाह दी थी जब कि माननीय राजनारायण जी अच्छे स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे। ऐसा क्यों न किया जाय कि एक उपनिर्वाचन इस बात पर करा दिया कि मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी तो अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय होंगे और वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यवान वह क्षेत्र होगा जहां राजनारायण जी जैसे सदस्य हों। मैं तो छोटी हैसियत का आदमी हूं। यह जरूर है कि हम दोनों बनारस के रहने वाले के नाते एक दूसरे को समझते भी काफी हैं। तो श्रीमन्, ऐसा हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र से त्यागपत्र दे दें और इस मसले पर हम और वह वहां से चुनाव लड़ लें या यह भी हो सकता है कि वह हमारे क्षेत्र में आवें। हम त्यागपत्र दे दें और वहां से वह केवल इसी मसले पर सब आन्दोलन स्थगित कर चुनाव लड़ लें। जैसा वह अपने लिये मजबूत समझें वैसा करलें। हम दोनों तरह से तैयार हैं। मैं तो बहुत दूर क्षेत्र से आया हूं और इतने दूर से कि जहां मुझे अभी सब लोगों ने देखा भी नहीं है, जहां का ५० हजार एकड़ का रक़बा बाढ़ से कट गया है और जहां के लोग यह कहें कि वहां तो बाढ़ आ रही है और मैं यहां बैठा हूं। मैं कहता हूं कि वह अपने १० हजार स्वयंसेवकों को वहां ले जावें और साथ ही साथ अपने दल के बड़े से बड़े नेता आचार्य कृपलानी और डाक्टर लोहिया को मेरे विरुद्ध खड़ा कर दें और मैं चुनाव लड़ने के लिये तैयार हूं। हमारे क्षेत्र में नहर निकलने वाली है और टैक्स लगने वाला है और बाढ़ से हम पीड़ित हैं। उनके सामने यह बहुत बड़ा मसला होगा। इस मसले को लेकर वह अपनी समूची सेना लेकर हमारे क्षेत्र में आवें। मैं उनको दावत देता हूं और फैसला हो जायगा कि वास्तव में किसान क्या चाहता है आया वह राजनारायण जी के साथ है या हमारे साथ है। वह यह टैक्स देना चाहता है या नहीं? इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राजनारायण—एक तो, श्रीमन्, कानपुर के बारे में जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधि भेजने से हम टैक्स माफ करा देंगे, यह बिल्कुल निराधार है। दूसरी बात मैं यह कह दूं कि श्री परिपूर्णानन्द जी के मुकाबले में अपने को लड़ाना पसन्द नहीं करता, क्योंकि शायद वह बड़े आदमी हैं। मगर मैं अपने क्षेत्र से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं और माननीय मुख्य मंत्री चल करके चुनाव लड़ लें इसी बात पर या वह बरेली से इस्तीफा दे दें और हम वहां से लड़ने के लिये तैयार हैं।

*श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)—मान्यवर, आज के विवाद को माननीय विरोधी दल के नेता ने वेद वाक्य से प्रारम्भ किया। जब वे वेद वाक्य सुना रहे थे तो मुझको एक चीज का स्मरण हो आया। मैंने अपने बाल्यकाल में एक कहानी पढ़ी थी कि एक राजा राज्यपुत्र को ज्योतिष पढ़ाना चाहता था। उसने एक महान् आचार्य धुरंधर ज्योतिषी को उसके लिये रक्खा। बड़े परिश्रम के साथ पढ़ाई आरंभ हुई। पढ़ाई के समाप्त होने पर एक दिन राजपुत्र राजा के सामने आया। उसने अपने हाथ में अंगूठी लेकर

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

राजपुत्र से पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है? उन्होंने ज्योतिष शास्त्र लेकर कहा कि चक्की का पाट है। श्रीमन्, उसने अध्ययन तो किया लेकिन परिस्थिति का ठीक अध्ययन नहीं किया। परिस्थिति को न समझ कर उसने गोल गोल चीज देख कर कह दिया कि चक्की का पाट है। उसने इस बात को न सोचा कि चक्की का पाट मुट्ठी में नहीं आ सकता। अध्ययन के साथ साथ आवश्यकता है परिस्थिति को देखने की भी। परिस्थिति के प्रतिकूल जो अध्ययन किया जाता है उसका परिणाम खतरनाक होता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यही निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के अध्ययन में विश्वास न रखें।

जहां तक आन्दोलन का प्रश्न है उसके बारे में मेरा यह कहना है कि जब कभी भी हमने स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस बात का प्रयोग किया कि हम अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करें तो सदैव उन देशों की तरफ देखा है जिन देशों में लोकतंत्र पहले से चलता आया है। हमारे विधान में भी यह चीज मौजूद है कि जब कभी हमें आवश्यकता पड़े इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के जो अधिकार हैं उनकी तरफ देखें और जब कभी इस सदन के इधर के सदस्यों अथवा उधर के सदस्यों को कोई आशंका हुई है, इसी चीज का आश्रय लिया है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जब कभी कर्तव्य में विमूढ़ता होती है, जब कभी कोई चीज निश्चय नहीं हो पाती तब हम उन्हीं देशों का उदाहरण लेते हैं। अतः इस विषय में मैं उन्हें इतना बता देना चाहता हूं कि एक बार जब इंगलैण्ड में चुनाव हुआ तो उसमें मजदूर दल विजयी हुआ तो उसने अपने प्रोग्राम के अनुसार राज्य का भार संभालने पर राष्ट्रीयकरण कर दिया। बड़े बड़े उद्योग धंधों जैसे स्टील, कोल और यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पश्चात् जब दूसरा चुनाव हुआ तो कंजरवेटिव सरकार आयी जो कि इस प्रोग्राम से सहमत नहीं थी, उस कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखती थी। उन्होंने उस चीज को बदला। यहां वही हुआ जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मतभेद के अवसर हो सकते हैं, उसका अधिकार हो सकता है, लेकिन उन मतभेदों के रहते हुए भी कर्तव्य किस तरह से निभाना चाहिये यह हमें सीखना है और उसी प्रकार से सफलता प्राप्त होती है। मजदूर सरकार ने जो राष्ट्रीयकरण किया था वह कंजरवेटिव सरकार ने बदल दिया और जो पहली प्रणाली थी उसी को चालू किया। लेकिन न उन्होंने कोई सत्याग्रह किया, न कोई आन्दोलन चलाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में दल विशेष का कर्तव्य यही होता है कि वह अपने प्रोग्राम को रक्खें, अपने मतभेद का प्रदर्शन करें। लेकिन काम इस तरीके से न करें जिस तरीके से यहां कोई आन्दोलन करके शुरू किया गया। यह तो स्पष्ट है कि इंगलैण्ड का मजदूर दल उस बात से सहमत नहीं है कि वहां राष्ट्रीयकरण न किया जाय। लेकिन जब उस राष्ट्रीयकरण को बदला गया तो क्या वहां कोई स्ट्राइक हुई? क्या वहां सारी बसें बन्द कर दी गयीं? क्या उन्होंने वहां की बसों पर पत्थर फेंका और वहां इस प्रकार का प्रदर्शन किया? आज मेरा विश्वास है और इस भवन के माननीय सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे कि वहां मजदूर दल का बड़ा प्रभाव है, वहां का मजदूर दल काफी संगठित है, और यदि मजदूर दल इस तरीके की कोई चीज वहां करना चाहता तो तमाम शासन को संकट में डाल सकता और वहां संकट की अवस्था उत्पन्न कर सकता था। इसलिये कि प्रजातंत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी दल अपने मत का प्रदर्शन कर सकता है। इसके पश्चात् प्रश्न यह आता है कि जब कर्तव्य स्पष्ट है तो हम किस तरीके से व्यवहार करें।

यहां पर एक सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे देश में एक राजनीतिक दल की ओर से एक अजीब गणित शास्त्र की व्यवस्था की जा रही है, और वह अर्थशास्त्र भी अजीब बतलाया जाता है।

विद्यार्थियों से कहा जाता है कि फीस ज्यादा न दो, शिक्षकों से कहा जाता है कि आपको तनख्वाह ज्यादा मिलनी चाहिये, बस ड्राइवरों से कहा जाता है कि आपको तनख्वाह ज्यादा मिलनी चाहिये, किराया कम होना चाहिये, वाटर टैक्स कम होना चाहिये, और सुविधायें अधिक होनी चाहिये। रेल का किराया कम होना चाहिये और रेल की सुविधायें अधिक होनी चाहिये। टैक्स कोई मिलना नहीं चाहिये और छोटे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायी जानी चाहिये, यह तरीका मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरह से यह चल सकता है। मैं तो देख रहा था कि शायद अल्लादीन का चिराग चमकता हुआ नजर आयेगा, जिससे जनता पर कोई टैक्स न लगाया जाय, किसी से कुछ रुपया न लिया जाय लेकिन जनकल्याण के समस्त कार्य होने चाहिये, इस प्रदेश को हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाय और इसके लिये कोई ऐसी चीज बाकी न रहे लेकिन यह किस तरह से होगा यदि उनके अर्थ शास्त्र से चला जाय। इस तरह से कोई भी सरकार चल नहीं सकती है यदि किसी से टैक्स न लिया जाय, किसी से पैसा न लिया जाय और पूरी सुविधायें भी जन कल्याण के कार्य की होती जायं। अगर किसी जनतंत्र में इस तरह का व्यवहार हो जिससे शासन प्रणाली खराब हो, जिससे शासन व्यवस्था खराब हो, जिससे अनुशासन खराब हो तो वहां कुछ न कुछ बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय विरोधी दल के नेता ने बड़े मार्मिक शब्दों में यह बात कही कि माफी शब्द का जिक्र न हो। मैं तो कहता हूं कि यह तो हमारी सरकार की उदारता है जिसके लिये उसकी प्रशंसा होनी चाहिये। यहां काफी निरक्षरता है जिसकी वजह से लोगों को बहकावे में डालकर, उनको भुला कर किसी गलत काम के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सकता है और जब उनको वास्तविकता मालूम हो कि वे बेचारे बे पढ़े लिखे होने की वजह से किसी सुविधा की आशा में किसी राजनीतिक भावना में पड़ कर आन्दोलन में पड़ गये थे तो अपनी भूल मालूम होने पर जब वे महसूस करते हैं कि यह हमारी भूल थी तो फिर उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिये? हम सभी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य से भूल होती है और उन्होंने भी भूल की है और जब उसे स्वीकार कर लिया है तो हर उदार व्यक्ति का और उदार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनसे कहे कि हम आपको मुक्त करते हैं, हम आपको छोड़ते हैं। इसमें तो सरकार की उदारता है। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी लोकतांत्रिक देशों के इतिहास में यह पाया गया है कि किसी भी सदन के अल्पमत दल के विचार बहुमत और उसकी भावनाओं के प्रतीक होते हैं। आज के वाद विवाद के अवसर पर सिंचाई कर के बढ़ने के सम्बन्ध में और स्पेशल पावर्स ऐक्ट के सम्बन्ध में उसी तरह से इस सदन के अल्पमत के विचार इस प्रदेश के बहुमत की भावनाओं के प्रतीक हैं। श्री परिपूर्णानन्द जी ने सूत्र रूप में मंत्री जी की बात को ही पृष्ठपोषण के रूप में हमारे सामने रखा। उन जैसे कांग्रेसी मित्रों का तो यह फैशन सा हो गया है कि इधर से जब भी कोई बात कही जाय तो ट्रावंनकोर-कोचीन की गोली या गिरफ्तारी की बात को दोहरा दें। मैं कहता हूं कि अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी और कांग्रेस पार्टी को वहां की घटना से इतना गहरा धक्का लगा था तो जब एक सरकारी वकील के मामले में वहां की कांग्रेस पार्टी वहां की पी० एस० पी० सरकार को 'डाउन' कर सकती थी तो क्या 'फायरिंग' के मामले में वह कुछ नहीं कर सकती थी। क्या वह गोली कांड के मामले को लेकर वहां की सरकार को नहीं गिरा सकती थी? अगर इस सरकार को और उधर की पार्टी को प्रजातांत्रिक परम्पराओं का कुछ भी ध्यान होता तो उनकी ओर से मथुरा कांड और अरदाया कांड का भी उसी प्रकार विरोध किया गया होता जिस प्रकार माननीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने जेल में होते हुए भी उसका विरोध किया और उस पर जोर के साथ इम्पार्शियल इन्क्वायरी की मांग की।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सन् १९२३ की बात कही गई और बताया गया कि उस समय इस प्रदेश का बजट केवल १३ करोड़ का ही था। यह तो ठीक है कि श्री परिपूर्णानन्द जी बड़े एकनामिस्ट हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि सन् २३ में रुपये की क्या वेल्यू थी और आज उसकी वेल्यू क्या है। यह भी कहा जाता है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी कमेटी की आवश्यकता क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि कहीं किसी भी जनतांत्रिक देश में इस चीज का विरोध किया जाता है? मैं माननीय गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या दूसरे देशों की ऐसी परम्परायें नहीं हैं कि अगर कोई खिलाफ बात भी होती है तो भी सरकार कमेटी या कमीशन स्थापित करने की मांग को स्वीकार करती है। क्या अगर हाउस आफ कामन्स में श्री एटली किसी कमेटी बिठाये जाने की मांग करें तो क्या श्री चर्चिल ऐसी कमेटी नहीं बैठायेंगे? यहां तक कि हाउस आफ कामन्स में १८वीं शताब्दी तक में वारेन हेस्टिंग्ज का इम्पीचमेंट हुआ लेकिन आज जब कि यहां लोकतांत्रिक सरकार से इम्पार्शियल इन्क्वायरी कमेटी की बात कही जाती है तो उसकी समझ में वह चीज नहीं आती और लोकतंत्र को मानने वाले हमारे साथी हमारी कमेटी की मांग को ठुकराते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम हमारी सरकार के एक माननीय सदस्य श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम हमारे साथ अवश्य होंगे। मैं सदन का ध्यान ५ नवम्बर सन् १९३२ की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिस वक्त श्री जे० एन० क्ले ने स्पेशल पावर्स बिल पेश किया था इस सदन के सामने। उस वक्त माननीय हाफिज जी ने भी वही भावनायें प्रकट की थीं जो आज प्रजासोशलिस्ट पार्टी कर रही है।

माननीय हाफिज जी बैठे हैं, उन्होंने उस जमाने में इसी स्पेशल पावर्स बिल पर क्या कहा था वह मैं सुनाता हूं :—

"Well, Sir, if a law which is so vague, if a law which confers so wide powers on the executive, is allowed to be promulgated in any country, we must remember that there is always the danger of its being grossly misused by that very executive upon which such wide powers are conferred."

आगे उन्होंने व्याख्या की है कि—

"The power that this Bill purports to confer on the executive is such a power that under it the honour of any respectable person cannot be safe. If one has got any quarrel on account of any other cause—domestic cause, social cause, any cause—with any constable of the police he can be arrested by him."

और आगे चल कर हाफिज जी ने फरमाया कि—

"The effect of this will ultimately be that among the people of this provinces hatred will be generated and more disaffection created against the Government. If at present there are 5 per cent. of people in favour of the civil disobedience movement and the non-rent campaign, such laws will increase the number of such persons and there may be 60 or 80 per cent. of such people in future."

अब माननीय वित्त मंत्री जी इसको हार्मफुल समझते हैं इरीगेशन रेट्स के मूवमेंट को हार्मफुल मूवमेंट समझते हैं। इसलिये जो हाफिज जी ने उस समय कहा था वह माननीय सदन के सामने, उनके सामने और उनकी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमान्, समय कम है, नहीं तो मैं इस बात को साबित करता कि इरीगेशन रेट्स को जिन सिद्धान्तों के ऊपर बढ़ाया गया है वह किसी भी कमेटी, किसी भी योजना यानी पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट की सिफारिशों के विरुद्ध हैं और कोई भी उस रेट के बढ़ाने को स्वीकार नहीं करता। यह कहा गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो हर टैक्स का विरोध

करती है मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इन्कम टैक्स के विरुद्ध कब आन्दोलन चलाया, क्या हमने कभी डेथ ड्यूटी के खिलाफ आन्दोलन चलाया, क्या ऐग्रीकल्चर इन्कमटैक्स आदि के विरुद्ध हमने कभी आन्दोलन चलाया। तो फिर इस बात का कहना गलत है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विकास को रोकने के लिये करों को रोकना चाहती है और विरोध करना चाहती है। हम तो उसी कर को रोकना चाहते हैं जहां समझते हैं कि जनता में उसको देने की क्षमता नहीं है। यह कहा जाता है कि धन प्राप्ति कहां से हो और हम तो धन की प्राप्ति करेंगे। तो मैं समझता हूं कि गांधीवादी लोकतंत्र में, सर्वोदय लोकतंत्र में यह बात नहीं मानी जा सकती। क्योंकि धन प्राप्त करने में हमें किन नैतिक तथा मौलिक नियमों का पालन करना होगा यह अवश्य देखा जाना चाहिये। अगर धन वहां से प्राप्त किया जाता है जहां देने वाले की क्षमता नहीं है तो वहां हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। इस प्रजातंत्रवादी लोकतंत्र में यह बात नहीं मानी जा सकती। अगर धन प्राप्त करने की ही बात होती तो क्या हम नमक टैक्स का अबालीशन करते, तो क्या हम एक्साइज से जो रुपया शराबबन्दी से गवर्नमेंट के खजाने में आता है तो क्या हम उसको रोकते, क्या हम शराबबंदी करते। हम शराबबन्दी नहीं करते और हम उस रेवेन्यू को अपने फंड्स में लाते और जो रुपया हमको अमेरिका से कुछ शर्तों के साथ मुफ्त मिलने वाला था उसको न ठुकराते। तो सवाल यह है कि धन प्राप्त करने के लिये क्या हम ऐसे नियमों का पालन करेंगे, ऐसे सिद्धान्तों का पालन करेंगे जो जनता के हित के विरुद्ध जाता हो। आप अपनी ही सिफारिशों को देखिये। पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट क्या कहती है कि वाटर रेट्स वहीं बढ़ाने चाहिये जहां बहुत सालों से वाटर रेट न बढ़ाया गया हो और वाटर रेट्स बढ़ाये जायं तो स्लाइडिंग स्केल पर बढ़ाये जाने चाहिये। जिस तरह से अनाजों की कीमत में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होती रहे उसी तरह से उस घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी को देखते हुये स्लाइडिंग स्केल पर वाटर रेट्स बढ़ाये जाने चाहिये। लेकिन क्या यह किया गया, नहीं। उत्तर प्रदेश में सन् १९४८ में वाटर रेट्स बढ़े तो यहां जिस प्रकार से वाटर रेट्स को बढ़ाया गया है क्या उसमें कीमतों या पैदावार के फर्क को ध्यान में रखा गया है, क्या किसी स्लाइडिंग स्केल पर ऐसा किया गया। जो कमेटी १९३९ की थी उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बटा दस हिस्सा ग्रास प्रोडयूस का हो तो वह रेट जायज है। यह भी कहा गया है कि हम उसका भी आधा हिस्सा अर्थात् १ बटा २० इरीगेशन रेट्स के जरिये से ले रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, सरकार का ध्यान, और सदन का ध्यान उसी कमेटी की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कभी भी किसी भी हालत में सूबे के बसने वालों के इस्टेबिलिटी के इंटरेस्ट्स को देखते हुये पांच साल तक प्राइसेज के रेट्स जब तक न बढ़ें तब तक रेट्स में इन्क्रीज नहीं होना चाहिये और वह इन्क्रीज भी तब होना चाहिये जब प्राइसेज का इंक्रीज १५ परसेंट हो गया हो। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि जिस कमेटी की वह बात करते हैं क्या उसके अनुसार सन् १९४९ में जो गेहूं की कीमतें थीं उससे १५ प्रतिशत दाम उसके बढ़ गये हैं, क्या गन्ने की कीमत १५ प्रतिशत बढ़ गई है।

पंडित कमलापति जी त्रिपाठी ने बड़े मार्मिक शब्दों में अभिव्यंजना की और कहा कि जब हमारी विधान सभा ने बजट पास किया तो उसने इरीगेशन रेट्स को मंजूर कर लिया। मैं तो आज इसके लिये इस सरकार को दोषी ठहराता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर इस विधान सभा के सदस्यों की राय नहीं ली गई। जो कमेटी बनाई गई थी वह पिछली विधान सभा ने बनाई थी। जो सारी कमेटीज पिछली विधान सभा ने बनाई थीं उसको उसने बदला है। फ्लड्स कमेटी को उसने रिकन्स्टीट्यूट किया और भी कमेटियों को उसने रिकंस्टीट्यूट किया लेकिन इरीगेशन रेट्स कमेटी को रिकन्स्टीट्यूट नहीं किया। सन् १९४८ में वह कमेटी बैठी थी। नये हाउस की कमेटी नहीं बनाई गई। वह पुराने हाउस की कमेटी थी लेकिन उसने भी जो रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट है कहां? वह रिपोर्ट सन् ४८ की

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कमेटी की रिपोर्ट है वह कहां है? हमारे सामने वह अभी तक आई नहीं। सरकार का अगर उसको छिपाने का मंशा होता तो अब तक वह छप कर सदन के सदस्यों के सामने आ गई होती। वह अभी तक छपी नहीं, वह छपेगी। उसमें भी एक सिद्धान्त था। उसमें स्पष्ट लिख दिया गया था और उसको भी बजट भाषण में हाफिज जी ने सुनाया कि उस कमेटी की राय थी कि समिति ने यह भी निश्चय किया है कि शरहों को जो अब तजवीज की गई है पैदावार की कीमतों के साथ इस तरह जोड़ दिया जाय कि पैदावार की कीमतें एक मुकर्रर सीमा से घटें बढ़ें तो इसके साथ साथ खुद ब खुद आबपाशी की शरहों में भी घटाव बढ़ाव होता जाये। तो उनको मालूम है कि यह सरकार की कमजोरी तो कमेटी की रिपोर्ट में ही मौजूद है तो इसको मैं क्या कहूं?

अब श्रीमन् मैं आपसे क्या कहूं कि यह जो रेट्स हैं उनमें एक ही ध्यान रखा गया है कि ग्रास प्रोडक्ट्स क्या है? लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि किसान को केवल नहर रेट ही नहीं देना है, उसके ऊपर नाना प्रकार के टैक्स आपने लाद दिये हैं और वह सब उसको देना है। इन टैक्सेज की बैकग्राउण्ड में अगर इस बढ़े हुए नहर रेट को देखा जाय तो यह बात साबित होगी कि यह नहर रेट एक्सेसिव हैं किसी प्रजातांत्रिक कानून के विरुद्ध हैं। श्रीमान्, मैं सिर्फ एक मिनट और लेना चाहता हूं। इस सिलसिले में जो स्पेशल पावर्स ऐक्ट का प्रयोग हुआ मैं उसमें गवर्नमेंट के दो रूप मुझे दिखाई दिये हैं। ग्रीस में किसी जमाने में एक देवी थी मेड्सा नाम की जिसके दो रूप होते थे। एक तो बहुत कुत्सित और वीभत्स रूप था और दूसरा बड़ा सुन्दर रूप था; उसी के समान हमारी सरकार के इस नहर रेट के आन्दोलन के सम्बन्ध में दो रूप देखने में आये हैं। एक तो गिरफ्तार न करने वाला, लाठी चार्ज न करने वाला रूप जो हमने लखनऊ आदि बहुत से जिलों में देखा और दूसरा कुत्सित रूप और वीभत्स रूप जो अरदाया तिजलापुर आदि में हमें देखने को मिला। लेकिन मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक अटमास्फियर को लाने के लिये कम से कम एक इंपारशियल इंक्वायरी कमेटी का बैठना जरूरी है और शान्तिलर कायम करने की, लाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है। यदि एक इम्पारशियल इन्क्वायरी कमेटी बैठे तो हमारा आन्दोलन वापस हो सकता है।

*श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के समक्ष प्रश्न केवल इतना है कि जो नहर रेट्स बढ़ाया गया है वह उचित रीति से बढ़ाया गया है या नहीं। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है और सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है और उसकी आड़ में दोनों एक दूसरे को वह बातें जिनका इस मसले से कोई सरोकार नहीं है ताल्लुक नहीं है, कहते हैं। देखना यह है कि आया यह आन्दोलन करने का जो तरीका अख्तियार किया गया है वह कहां तक उचित है। मैं तो उसको अनुचित ही कहूंगा, परन्तु अगर सरकार के दिल में, हृदय में यह बात आये कि चूंकि यह आन्दोलन उनकी ओर से चलाया गया है इसलिये उनको जेल भेज दें, तो वह भी बुरी बात है। आज कल तो प्रायः यह होता है कि ज्यादातर चीजें जात-पांत के आधार पर हुआ करती हैं। अभी यहां उसके बहुत से उदाहरण हैं। मैं एक चीज यह कहूंगा कि जैसे बद्रीनाथ टेम्पिल के बारे में रूल बना हुआ है कि उस कमेटी के लिये एक वही एम० एल० ए० चुना जाय जो हिन्दू धर्म का पीक हो....

श्री अध्यक्ष—यह आपने कौन सा विषय छेड़ दिया?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—अध्यक्ष महोदय, मैं एक्सप्लेनेशन के रूप में कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को किस कदर बदनाम करती है और किस तरह से दूसरी के साथ बर्ताव करती है, अपनी सरकार की नीति को इस समय एक्सप्लेन कर रहा था। वह अगर केवल इस नाते कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फलां व्यक्ति हैं जो कि सत्याग्रह कर रहे हैं, उनको जेल में बन्द कर देती है, तो यह कदापि नहीं होना चाहिये तो उसका एक उदाहरण मैं दे रहा था। मैंने उसके लिये अपना नाम भी भेजा और भेजा कहां जहां बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं ही अकेले हिन्दू महा सभा के नाम से इस सदन में आया हूं और मैं समझता था मुझको ही अधिकार वहां जाने का है और किसी जगह किसी कमेटी में न अधिकार हो पर तु वहां तो मेरा ही था। परन्तु मैंने उस समय चिट्ठी लिखी जब कि मेरे यहां.....

श्री अध्यक्ष—आप क्या असंगत होने का उदाहरण पेश कर रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—तो मैं अब उस बात को नहीं कहूंगा हमें यह सुनकर दुःख हुआ कि यहां यह कहा गया कि इंगलैण्ड में यह होता है, अमेरिका में यह होता है यह नहीं देखते हैं कि हमारी सभ्यता कब से कायम है। एक अरब ९७ करोड़ से अधिक वर्ष हुए जब कि दूसरे देशों की सभ्यता को दो हजार वर्ष भी पूरे नहीं हुये हैं। माननीय राजनारायण जी जोकि विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने अपनी स्पीच ऋग्वेद के एक मंत्र से आरम्भ की थी, जिस पर बड़ी कड़ी आवलोचना की गई। गीता के एक श्लोक का अर्थ है कि "अन्न ही से प्राणी जीता है और अन्न वर्षा से होता है" तो अगर वर्षा न हो तो वर्षा यज्ञ करने से होती है। तो यज्ञ का नाम लेना इस वक्त पाप ही है, क्योंकि उसको कोई पसन्द नहीं करता है। तो मैं कहूंगा कि पानी से अन्न का होना आवश्यक है। इसलिये पानी की सुविधा करना बहुत ही सुन्दर बात है। हमारे मंत्री महोदय अगर यह समझें कि विरोधी दल के नेता इस बात को अनुचित समझते हैं कि पानी की कोई सुविधा न की जाय तो यह बिल्कुल गलत खयाल है। यह व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिये। परन्तु देखना यहहै कि जो कर की बढ़ोत्तरी कर दी गई है वह कहां तक उचित है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक आपके जरिये से मंत्रीगण से यह कहूंगा कि जितना वह अपने ऊपर खर्च करते हैं अगर उसका आधा करके जनता के ऊपर खर्च करने लगें, इसके अलावा जो रुपया यहां विधान सभा के हिसाब में ८,००० के करीब खर्च होता है तो उसी को अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाय और जनता का उद्धार किया जाय तो इससे बढ़ कर कोई दूसरी चीज नहीं होगी।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)— माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रश्न सदन के सामने है वह सत्याग्रह और आबपाशी का है। इस प्रकार से इस प्रश्न को इस राज्य में और इस राज्य में ही नहीं सारे देश में इस देश के दो प्रमुख दलों ने, कांग्रेस ने और प्रजा समाजवादी दल ने जो स्थान दिया और जिस प्रकार इस प्रश्न पर कांग्रेस और प्रमुख नेता पं० जवाहरलाल नेहरू और प्रजा समाजवादी दल के नेता आचार्य कृपलानी ने अपने विचार प्रकट किये हैं उसने इसकी गम्भीरता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। इसलिये यह देखना है कि हम इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें और यदि हम पाते हैं कि हमारी ओर से कोई खामी है तो हम इसको अपने अन्दर देख कर उस पर विचार करें। मैं अपील करूंगा कि हमारे विरोधी दल के लोग स्वयं अपने दल को प्रभावित करें कि यदि कोई गलत कदम उन्होंने उठाया था तो उसे वापस ले लें। मैं समझता हूं कि सदन में दोनों ओर से महात्मा गांधी के नाम पर विश्वास प्रकट किया गया है, उनके सिद्धान्तों पर भी सब का एक सा विश्वास है। उनके नेतृत्व में चल कर हमने इस देश को आजाद किया है और उस आजादी में मैं मानता हूं कि दोनों तरफ के लोगों का बराबर हाथ रहा है। इन सब बातों को देखते हुये

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

मेरी समझ में कोई वजह नहीं है कि जो महात्मा गांधी का सिद्धान्त था कि अगर कोई ग़लती हमसे हो जाय तो हम उसको वापस लें उसको हम न मानें। मैंने इस सवाल पर सोचा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्याग्रह का जहां तक ताल्लुक है अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में जो सत्याग्रह हो रहा है वह सही है या ग़लत तो उसके उद्देश्य के पीछे जाना पड़ेगा। इस सत्याग्रह के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह कि प्रजा समाजवादी दल इस राज्य और सरकार को उलटकर उसके स्थान पर दूसरा राज्य स्थापित कराना या जो आबपाशी-कर बढ़ाया गया है उसको दूर करके उसके स्थान पर दूसरी चीज़ कराना यानी जितना पहले टैक्स था उतना लगवाना। जहां तक मैं समझता हूं आबपाशी दर बढ़ने के अलावा और सवाल भी थे। यहां पर इससे पहले जो टैक्स लगाये गये थे उनमें बहुतों का प्रजा समाजवादी दल ने विरोध किया था और उस विरोध में इस कदम को वह उस समय भी उठाते जिस समय वे कर लगे थे, लेकिन तब उन्होंने वैसा नहीं किया। यह बात सोचनी होगी और साफ है कि बहुत दिनों से जब समाजवादी दल कांग्रेस के अन्दर था सन् १९२४ से सन् १९४८ तक तो मुझे भी यह फक्र हासिल था कि मैं भी उसके अन्दर था।

सन् ४८ में हमारा और उनका मतभेद हुआ। उन्होंने समझा कि कांग्रेस के बाहर जाने में श्रेय है और देश का हित कर सकेंगे और हमने समझा कि कांग्रेस के अन्दर रहने में ही देश का हित है। देखना यह है कि जब वे बाहर गये और बाहर जाने के बाद जो हालत आई वह क्या है। मैं आज उनकी मिसाल देना चाहता हूं। हालांकि वे अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, मेरा मतलब है आदरणीय आचार्य नरेन्द्र देव जी से, उन्होंने इस देश के अन्दर एक ऊंचा नैतिक स्तर स्थापित किया। जब वे कांग्रेस के एलेक्शन पर चुने गये थे तो कांग्रेस से बाहर जाने के बाद वे इस सदन के सदस्य नहीं रह सकते थे जब तक वे दोबारा जनता का विश्वास न प्राप्त करें। इसलिये उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया और एक नये सिरे से चुनाव लड़े। चुनाव का नतीजा कुछ भी हुआ हो लेकिन देश के अन्दर उनके लिये एक ऊंचा नैतिक स्तर स्थापित करने के लिये आज भी आदर है। इसके बाद मैं आपसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव का जिक्र करता हूं। उस चुनाव में प्रजा-समाजवादी दल से बड़ी भारी भूल हुई और वह भूल यह हुई कि जब वे चुनाव में सामने आये तो अपने सिद्धान्तों को लेकर नहीं, अपनी बात बड़ी करके नहीं बल्कि केवल यह लेकर आये कि कांग्रेस में ये खराबियां हैं, ये बुराइयां हैं। तो कोई जनता किन्हीं लोगों को इसलिये पसन्द नहीं करती कि वे गाली देना अच्छा जानते हैं। जनता यह देखती है कि आया यह काम को अच्छा संभाल सकते हैं या नहीं। वह भूल उस वक्त से लगातार होती चली आ रही है और यह आबपाशी-कर के विरोध में जो सत्याग्रह हो रहा है वह भी उसी भूल का एक और बढ़ावा है।

इस देश में दो प्रमुख प्रजातंत्रात्मक पार्टियां हैं, एक पार्टी इस तरफ बैठी हुई है और एक के नेता हमारे राजनारायण जी हैं। तीसरी पार्टी विश्वास नहीं करती प्रजातंत्र में जिसके एक मात्र प्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा, हमारे झारखंडेराय जी हैं।

कुछ सदस्य--दो हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--अब दो हो गये होंगे। तो जहां तक उस दल का ताल्लुक है उस दल के लिये तो हो सकता है क्योंकि प्रजातंत्र में उनकी आस्था नहीं है और वे इस देश में डिक्टेटर-शिप कायम करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक इन दो दलों का ताल्लुक है, हो सकता है कि आज हम लोग इधर हैं तो कल आप लोग आ जायं और उस समय हम लोगों को बड़ी खुशी होगी कि हम उधर बैठ कर प्रजातंत्र के सिद्धांतों को कायम रखें, उन सिद्धांतों को जो

सिद्धांत किसी देश को आगे बढाने में सहायक हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्याग्रह का हथियार केवल इसलिये उठाया गया है संसार में और उसको सत्याग्रह नहीं कहना चाहिये बल्कि आपके इस सत्याग्रह को तो सिविल डिसओबीडियन्स कहना चाहिये। गांधी जी का सत्याग्रह तो बहुत ही वसीय था। वह तो पिता का पुत्र से हो सकता था, स्त्री का पति से हो सकता था। लेकिन यह तो वही सत्याग्रह जिसे अंग्रेजी में सिविल डिसओबीडियंस कहा गया है और अंग्रेजी जनता ने राजा के विरुद्ध किया था। जब कहा गया था "नो रिप्रेजेन्टेशन नो टैक्सेशन" जिस समय देश की आजादी का सवाल था उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हमारा देश समुद्र में भले ही चला जाय लेकिन हम गुलामी मानने को तैयार नहीं हैं। गांधी जी ने इस संबंध में कहा था कि "करो या मरो" और हमारे आचार्य कृपलानी जी ने कहा था कि अब तो अरहर की दाल खाते खाते ऊब गये हम तो उर्द की दाल ही खाना चाहते हैं।

मैं प्रजा समाजवादी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी दो वर्ष हुये जनता ने कहा था कि कांग्रेस के लोगों में उनको विश्वास है और देश ने कांग्रेस को ही चुना तो क्या आज उनसे देश की आस्था हट गई और क्या वह समझते हैं कि अब वह स्थिति आ गई है कि बेहतर है कि हिन्दुस्तान की आजादी खत्म हो जाय, बेहतर है हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का बलबला हो जाय लेकिन हम कांग्रेस की वजारत मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपने यह फैसला कर लिया है तब तो ठीक है। जो कदम आपने उठाया है वह बिलकुल ठीक है। किन्तु यदि वह सोचें कि उनकी नीति से कम्युनिस्ट पार्टी से विरोध है, अराजकता से विरोध है तब तो उनको कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे अराजकता को कुछ सहायता मिले। आपकी जो सरकार बनी हुई है उसका अगर विरोध होता है तो लाभ किसको होता है, प्रजातंत्र शक्तियों को लाभ होता है या अराजकतावादी शक्तियों को लाभ होता है। यदि आप ऐसे तरीके काम में लायें जिससे मुल्क में गड़बड़ होने का अंदेशा हो तो फिर आप सोचें कि किस को उससे लाभ होगा, उनको जिनके लिये आपने फैसला किया है या उनको लाभ हो सकता है जो दूसरे सिद्धांतों को मानने वाले हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने जो आज यह सत्याग्रह उठाया है, यह उसी प्रकार से है कि जो आदमी जिस वृक्ष पर बैठा हो उसी को काटता हो। जो आज आप बो रहे हैं उसी को आपको आगे चलकर काटना होगा। लिहाजा आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी इस प्रजातांत्रिक पद्धति को नुकसान पहुंचे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस सिद्धांत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं जिसे आगे चलकर आपको भुगतना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल या परसों हमने कुछ कार्य देखे हैं और कार्य देखे उससे हमें बड़ा दुख और खेद हुआ और हमें के साथ कहना पड़ता है कि इसमें विरोधी दल के नेता . . . . . .

श्री अध्यक्ष—यह विषयांतर हो रहा है। कल और परसों की बात यहां नहीं आनी चाहिये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—प्रजातंत्र की रक्षा के लिये इस बात की आवश्यकता है कि यह सत्याग्रह जो अभी कहा गया है उसको हमें दूर करना होगा हमारे साथियों ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथियों ने कई बार इस सदन में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की ओर ध्यान दिलाया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि जनता में अहिंसात्मक भावनाओं का प्रचार हो? जनता में सेवा और संयम का आदर हो? यदि आप एक के बाद प्रत्येक नियम के तोड़ने की भावना लोगों में फैला दें और फिर यह चाहें कि ऐसा समाज स्थापित हो जैसा गांधी जी चाहते थे कि कोई भी दूसरे का काम में बाधा न डाले, समाज अपने आप चलता रहे और राज्य की आवश्यकता न रहे, तो क्या आप उस ओर बढ़ रहे हैं? या सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की ओर जा रहे हैं?

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

इर्रीगेशन के प्रश्न पर केवल एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्रीगण से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनका कहना यह है कि यह कर जो उन्होंने लगाया है वह इस आधार पर है कि यह कैपिटल एक्सपेंडीचर हमने लगाया है और वह रुपया इसलिये लगाया है कि आबपाशी हमारा व्यवसाय है और जितना हम पानी देते हैं उतना रुपया लेते हैं तो मैं समझता हूं, क्यों न हम सारा झगड़ा ही बन्द कर दें। यदि हम एक बार यह कह दें कि जो हमें इस आबपाशी के कर को दें, हम उसी को पानी देंगे तो इसमें क्या हर्ज है? जो हमको पैसा देंगे उसको हम पानी देंगे। बजाय इसके कि हम बाद में पेमेंट लें, यदि पानी देने के पहले ही लें लें तो यह सवाल उठता ही नहीं कि आपके सामने कोई उसका विरोध हो कि इस कर को तोड़ दीजिये। हमारे भाई हम से सहमत हों या न हों, मैं समझता हूं कि इस सुझाव पर मंत्रिमंडल को गौर करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय आज सदन में जो वाद विवाद उपस्थित हुआ है उस संबंध में पूर्व वक्ताओं का भाषण मैंने सुना और विरोधी दल के नेता के भाषण पर मैंने गम्भीरतापूर्वक विचार किया। यह बात सही है कि जनतांत्रित प्रणाली या लोकमत में किसी राज्य में किसी भी कोने में कोई पत्ता खड़के या आवाज आवे तो वहां पर सरकार को विचार करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यह भी बात सही है कि किसी भी कोने में किसी प्रकार का गलत तरीके से प्रचार करके जनतांत्रिक सरकार को या लोक मत को निन्दा के लास्ते पर ले आना इसपर भी हम और आपको सोचना है।

हम आज ट्रावंनकोर कोचीन की समस्या के बारे में जब अखबारों के पन्ने उलटते हैं तो यह मिलता है कि एक तरफ तो जनता के जनतंत्र या लोक मत की बराबर दुहाई देने वाले राजनारायण सिंह जी हैं और दूसरी तरफ ट्रावनकोर कोचीन का वह समाजवादी राज्य, जहां की जन-संख्या को जब हम देखते हैं तो वह हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिवीजन से भी कम है लेकिन वहां पर १४४ धारा और वहां की जनता पर गोलियों की बौछार की गई। साथ ही साथ उनके दल के, पार्टी के नेता डा० राम मनोहर लोहिया साहब जेलो से अखबारों में आवाज देते हैं कि हम इस्तीफा देंगे या वहां की सरकार को इस्तीफा देना होगा। हमारे सामने वह दृश्य आता है हिटलर और मुसोलिनी का। ठीक उसी तरह से वह कहा करते थे। एक तरफ तो आप जनतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता, एक ही व्यक्ति, इस बात की धमकी देते हैं हम इस्तीफा देंगे या यहां की सरकार को इस्तीफा देना होगा, जबकि वहां की सरकार और वहां की कैबिनेट में इस बात की चिन्ता तक नहीं है। लेकिन आप अकेले ही इस बात के लिये जोरदार शब्दों में गरज रहे हैं। यह सिद्ध हो जाता है कि आपके सिद्धांत और उसूल किस हद तक जनतांत्रिक हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे पास इसके ज्वलंत प्रमाण हैं कि आप डिक्टेटरशाही चाहते हैं, जनतंत्र का हनन करना चाहते हैं और जनतंत्र के परदे में जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि फर्रुखाबाद में आपका सत्याग्रह चल रहा है, उस सत्याग्रह में वहां की स्थानीय जनता ने कितना भाग लिया है? मैं देखता हूं कि गोरखपुर बस्ती, आजमगढ़, देवरिया में जो वहां के वर्कर हैं वह उतारे जा रहे हैं।

मैंने अखबारों में पढ़ा और वहां के जिम्मेदार आदमियों ने कहा है कि जो भूल भटक करके अशिक्षित किसान उनके पास जाता है तो उसमें पहले ही भावना भर दी जाती है कि तुम्हें पोलिटिकल सर्टीफिकेट मिलेगा, तुम्हें आगे चल कर सुविधायें मिलेंगी, इसलिये सत्याग्रह में जाना आवश्यक है। इस तरह से जनतंत्र और लोकतंत्र की बात करने वाले अपने सिद्धांतों को अमल कर रहे हैं। यह तो धुएं की टट्टी है। एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से निकल कर समाप्त हो जाती है। इसलिये आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। हमारे लिये आवश्यक हो गया है कि राज्य के विकास कार्यों में जनता से सहयोग लें और बढ़ते हुये राष्ट्रीय कार्य में हम अपना सहयोग दें। यह हमारा प्रयत्न तभी पूरा हो सकता है जब हम एक कोने से दूसरे

कोने तक समता की दृष्टि से जनता में इसके लिये प्रचार करें और यह तभी हो सकता है जब हम जनता से सहयोग लें। एक तरफ जहां पर कि नहरें है, दूसरी तरफ और नहरों की बात करते हैं। जिस तरह कि हमारे सामने आज सिंचाई विभाग में नहरों का जाल बिछाने की बात चल रही है जगह-जगह पर ट्यूबवेल और कुओं का निर्माण हो रहा है। भिन्न भिन्न स्थानों पर तालाबों और पोखरों का निर्माण हो रहा है। तब आवश्यक हो जाता है कि हम इन तमाम चीजों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं इसको सोचें। इसके लिये यह जरूरी है कि जिन लोगों के यहां इस तरह के साधन है, वह दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी ऐसे साधन पैदा करने में सहयोग दें। इसकी व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था में हमारे सामने आर्थिक समस्या जब आती है तो यह हमें मजबूर कर देता है कि हम उन लोगों से मदद लें? लेकिन आप जो इस तरह की बातें करते हैं तो यह सोचते नहीं हैं कि पैसे कहां से आयेंगे और किस प्रकार इनका निर्माण हो सकता है। आप केवल एक तरफ से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ खड़ा करके नेतागिरी के शौक में आगे बढ़ने की कोशिश न करें। जनहित को ध्यान में रखते हुये आपको यह सोचना चाहिये कि आखिर हम इन विकास कार्यों को जिन्हें कि सरकार आगे ले जाना चाहती है, कैसे पूरा करें। जो सरकार की यह मंशा है कि हम इस प्रदेश के अन्दर ऐसी चीज ला दें कि थोड़े ही दिनों के अन्दर हमारे यहां एक भी किसान, एक भी मजदूर, एक भी गरीब आदमी यह कहने को न रहे कि हमें रोटी नहीं मिली, वह मंशा आखिर कैसे पूरी होगी। यह तो हमारी योजनायें हैं, इस तरफ तो हमारा कदम आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से आप इस कदम को खींचने के लिये पैंतरेबाजी बदल रहे हैं। यह कब तक आपकी पैंतरेबाजी चलेगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज इस बात की आवश्यकता है कि जनता के हित की बात को देखते हुये जनता के कल्याण की बात को देखते हुये, परिस्थिति, आज मजबूर कर रही है, हम गांव गांव में, सड़क सड़क पर, गली गली में, हर जगह एक रास्ते पर आकर के निर्माण के कार्यों में जुट जायं। लेकिन इस तरह की बात करके आप अपनी राजनीति को कब तक जिन्दा रख सकेंगे आप इस बात को सोचें और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। लम्बे भाषणों से अखबारों के बयान दे देने से, अनशन या सत्याग्रह की धमकी दे देने से आपकी आयु कब तक चल सकती है। इस पर भी आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। हमारे सामने यह मूल समस्या है कि जो कार्य इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ावें।

श्री अध्यक्ष--आपस में काफी बातचीत हो रही है। मैं समझता हूं कि सदन में शांति होनी चाहिये।

श्री शिवप्रसाद--हर जगह पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, वह व्यवस्था गांव, गांव में किस तरह से हो सकती है। इसके लिये हम हर तरफ से अपनी शक्ति लगा रहे हैं और आप अड़ंगे लगा रहे हैं। नहर जहां निकाली जाती है, वहां के किसानों को बरगला कर के आप जमीनों का रास्ता बदल देते हैं। चकबन्दी की योजना चलती है तो वहां किसानों को बरगला करके आप दूसरे तरीके की बातें करते हैं। जहां पर ट्यूब बेल लगाये जाते हैं वहां के किसानों को बरगला कर के आप दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह कहां तक आपका रास्ता सही है। ऐसी अवस्था में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सही तरीके से जनता के कल्याण को सामने रखते हुये, इसको सोचें, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुये अपनी नेतागीरी के स्वार्थ को सामने रखकर इस तरह की बातें करें। नेतागीरी के स्वार्थ को आप भूल जायं। हमें और आपको आज कंधे से कंधा मिला करके एक ऐसा रास्ता तय करना होगा एक ऐसे सही रास्ते पर आपको आना होगा जिस रास्ते पर आज हमारा कदम है। उसी रास्ते में आपका सहयोग होना चाहिये। इस तरह से जनता को बरगला करके आप कब तक जीवित रह सकते हैं, तो आप ही जान सकते हैं अध्यक्ष महोदय मैं यह बता देना चाहता हूं कि देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ से लोग वहां सत्याग्रह करने के लिये बुलाये गये हैं और फर्रुखाबाद की स्थानीय जनता ने इसमें कितना सहयोग दिया है, यह वही जानते होंगे। आज गोरखपुर, बस्ती और हर तरफ से इसके लिये वर्कर्स बुलाये जा रहे हैं और वह वर्कर्स भी कहां हैं? जो सही माने में सौ दो

[श्री शिव प्रसाद]

सौ वर्कर्स थे भी वह तो फर्रुखाबाद का रास्ता लिये। तो आज आप हर तरह से मजबूर हो रहे हैं आप अपना रास्ता बदल दें। आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, आपके नेता के पैर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको अपने पैर को मजबूत बनाने के लिये अपने अन्दर शक्ति लाने के लिये तमाम दुनिया की चालबाजियों को छोड़कर के सही रास्ते पर आना चाहिये और सही रास्ते पर चलकर के जनता के कल्याण की बात सोचिये और जनतंत्र को आगे बढ़ाने की बात सोचिये इसी में हमारा और आपका कल्याण है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--बोलने की आज्ञा देने के पहले मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा मेम्बर बोलना चाहते हैं। इसलिये एक घंटे का वक्त और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय रामनारायण त्रिपाठी के भाषण के बाद मैं इस प्रश्न को लूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय! अध्यक्ष महोदय आज एक बहुत ही गम्भीर विषय पर इस भवन में चर्चा हो रही थी और मुझे दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने जितनी गम्भीरता इस विषय पर देना चाहिये उतनी नहीं दी। कितने ही प्रश्न उठाये गये। अध्यक्ष महोदय, बहुत आंकड़े भी पेश किये गये। अब तो समय नहीं है कि मैं किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करूं। कुछ आंकड़े देने के बाद माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसके उत्तर दूंगा मैं माननीय मुख्य मंत्री माननीय राजस्व मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या जमींदारी टूटने के बाद वह हिस्सा जो जमींदार वसूल करते थे, वह सरकार ने माफ कर दिया। अंग्रेजी जमाने में १८ करोड़ रुपये से ज्यादा लगान की रकम जमींदार वसूल किया करते थे परन्तु केवल सात करोड़ सरकार के खजाने में आता था। वर्तमान सरकार ने १८ करोड़ से ज्यादा वसूल करना शुरू कर दिया है लोकल रेट्स बढ़ा कर २०, २१ करोड़ रुपया वसूल किया, अगर यह सही नहीं है तो माननीय राजस्व मंत्री और या माननीय मुख्य मंत्री जवाब देंगे। क्या यह सही नहीं है कि आपने बच्चों की फीस बढ़ाई, रेल और बस का किराया बढ़ाया, रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाई, कचहरियों में कोर्ट फीस बढ़ाई? उसके बाद भी अगर आप सिंचाई का रेट बढाते हैं जो जनता के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी क्या शांत रह सकती है मैं माननीय गोपीनाथ दीक्षित का बहुत ही अनुग्रहीत हूं उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि सत्याग्रह क्यों किया गया और उन्होंने इशारा भी किया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दुनिया दो कैम्पों में बटी हुई है, एक तरफ अधिनायकवादी रूस है और दूसरी प्रजातंत्र के नाम से अधिनायक वाद चलाने वाला अमेरिका है। आज संसार में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज प्रजातंत्र का इम्तहान है और हमें इस बात का फख्र है कि हमने इस इम्तहान को पास कर लिया है। आज माननीय गृह मंत्री की पुलिस ने अर्दाया गांव में आंसू गैस का प्रयोग किया, मथुरा में औरतों की इज्जत लूटी, मिर्जापुर में पार्लियामेंट के मेम्बरों पर लाठी चार्ज किया परन्तु क्या माननीय गृह मंत्री जी एक भी उदाहरण बता सकते हैं जब हमारे किसी सत्याग्रही ने पुलिस के खिलाफ हिंसा की भावना से अंगुली भी उठायी हो। अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि स्वराज्य आने के बाद जनता त्राहि त्राहि कर रही है। उसकी कमर टैक्सेज से टूटी जा रही है। लेकिन इस सरकार की नजर टाटा बिड़ला और डालमियां की तरफ न जाकर किसानों की तरफ माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री की नजर उधर क्यों नहीं जाती? यही समझ कर कि किसानों के पास खजाना जमा है १८० करोड़ रुपया वसूल करना चाहा मुआवजे के लिये उस पर १८० करोड़ रुपया जबरदस्ती लादा गया और जबरदस्ती वसूल करने की कोशिश की गयी। उस पर भी वह असफल रहे। उसके बाद भी, अगर सिंचाई के दर में वृद्धि की जाय तो कैसे चुप रहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि वोटों की सरकार है तो पांच साल तक हम क्या चुप बैठे रहें तो हम सिर्फ सरकार को जगाना

चाहते हैं और पुराने गांधी वादियों को जो सत्य और अहिंसा की बात कर गांधीवाद को बदनाम करते हैं उनको ठोकर देने के लिये हमने यह सत्याग्रह किया है। हमने किसी को गोली नहीं मारी है। हम जेल गये हैं। अपने ऊपर दुख उठाकर इस सोती हुई सरकार को ठोकर दी है। आज प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री अलगू राय शास्त्री जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मदांध सरकार को यदि उन्होंने नियंत्रित नहीं किया तो उनके नेतृत्व में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी को एक बड़ा कलंक का टीका लगने वाला है। आज माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम उस कोटेशन के बाद भी जो माननीय नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया है इस्तीफा देने के लिये तैयार नहीं हैं। मैंने तो माननीय मुख्य मंत्री का उस समय रिऐक्शन जानना चाहा था। गांधी जी का रिऐक्शन तो माननीय विरोधी दल के नेता ने बता दिया

"It is an inalienable right of the people to refuse to pay taxes which are unbearable.".

१९३२ में एक लिबरल श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने कहा था "It is martial law minus the name." उसी कानून का प्रयोग करके आज डाक्टर राममनोहर लोहिया को जेल में डाल दिया गया है। १९४० में जब वह जेल भेजे गये थे तो गांधी जी ने उनके लिये यह उद्गार प्रगट किया था--

"I cannot sit still when I see Ram Manohar Lohia in jail than whom I do not know a man who is more brown and straighter."

गोआ में जब डा० लोहिया गिरफ्तार हुये थे तो गांधी जी के यह शब्द थे कि लोहिया को गिरफ्तार करके गोआ की सरकार ने सारे हिन्दुस्तान को चुनौती दी है। उसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री ने और इस प्रदेश की सरकार ने डा० लोहिया को गिरफ्तार कर प्रजातंत्र को चुनौती दी है। ये उद्गार है किस तरह से माननीय कांग्रेसी सदस्य अपनी पुरानी बातों को निगल जाते हैं। मुझे यह देख कर शर्म मालूम होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से कि एग्रेरियन रिफार्म कमेटी ने अलाभकर जोतों की लगान माफ करने के लिये सिफारिश की थी उस सिलसिले में क्या किया गया जिन किसानों के पास २ एकड़ जमीन है उनका लगान माफ नहीं किया गया, टैक्सेज बढ़ाये गये, माननीय राजस्व मंत्री इसका जवाब दें कि उल्टे जब सिंचाई कर बढ़ा दिया जाय तो हम चुप कैसे रह सकते हैं।

मैं माननीय गोपीनाथ जी को जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस की बदउन्वानियों और बदइन्तजामी से देश और प्रदेश की जनता नाराज हो रही है तो फिर अपने जोश और खरोश का इजहार वह कैसे करे। उस तरह से करे जैसे कि कम्युनिस्ट करते हैं। बम और गोलियां बरसाई जायं जैसे कि बरमा में किया गया और केबिनेट के कई सदस्यों को उड़ा दिया गया। हम उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहते बल्कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता हमें अहिंसा का दिखाया है उसी पर अमल करना चाहते हैं अगर इससे भी उनको ठेस पहुंचती है तो यह हमारा दुर्भाग्य है। मुझे दुख तो इस बात का होता है कि जो देश की आजादी के सैनिक थे उन्हीं ने डाक्टर लोहिया को स्पेशल पावर्स ऐक्ट के मातहत गिरफ्तार किया है। हमारी पार्टी इसके ऊपर चैलेंज स्वीकार करती है और ३५ जिलों में उसे डिफाई किया गया है। लेकिन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि वह लोगों को पकड़ सके और जेल में भर सके। मैं दावे के साथ कहता हूं. कि ब्रिटिश राज्य में सिविल डिस ओबिडियेंस मूवमेंट्स में उत्तर प्रदेश में राजनैतिक कैदियों की संख्या ११ हजार थी लेकिन अगर सरकार में दम हो तो हम एक महीने में १२ हजार आदमी जेलों में भेज सकते हैं और साबित कर देंगे कि प्रदेश में इस कानून के खिलाफ आज जनता की क्या प्रतिक्रिया है। दिन दहाड़े कानून को तोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री के सामने तोड़ा जा रहा हो लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही न जब कि कागनिजेबिल आफेन्स को करते हुए कोई सर कर्मचारी देखे तो और कुछ न कर सके उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। मुझे दुख है कि इतना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

होने पर भी प्रजातंत्र की दुहाई दी जाती है। फिर लुत्फ है कि एक तरफ तो इस तरह का कानून लगाया जाता है और दूसरी तरफ दलील दी जाती है कि कर विरोधी आन्दोलन के बावजूद भी ९१ फीसदी कर वसूल हो गया। इसका क्या कारण है ?

मैं बताना चाहता हूं कि जिस किसान पर दस बीस या पचास रुपया नहर का टैक्स बाकी है और जब उस पर मार्शल ला लगा दिया जाय और कहा जाय कि अगर वह अदा नहीं करेगा तो उस पर स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अनुसार २५० रु० जुरमाना और ६ महीने की सजा हो सकती है तो फिर किसकी हिम्मत हो सकती है कि न दे। उस पर यह कहना कि ९१ फीसदी टैक्स वसूल हो गया, यह शर्म की बात है, इसपर प्रजातंत्र का नारा लगाने वालों का सर झुक जाना चाहिये मैं तो एक नवयुवक हूं। मैंने जो आज शासनारूढ़ हैं इनको देवता समझ कर पूजा था। जब मुझे उनके कार्यों से ठेस पहुंच सकती है जब प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाले एक नवयुवक को ठेस पहुंच सकती है तो फिर जो हमारे गैर जिम्मेदार भाई हैं उनके दिलों को कितनी ठेस पहुंचती होगी। इसे आप ही समझ सकते हैं। यदि हिंसा का रास्ता अपनाया गया तो देश रसातल को चला जायगा। मैं माननीय गृह मंत्री से इसका जवाब चाहूंगा। फिर दलील दी जाती कि गल्ले का भाव बढ़ गया और जब वह दलील थोथी साबित होती है तो सरकार कहने लगी कि विकास की योजनाओं का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री में हिम्मत नहीं कि वह सच्चाई के साथ प्रेस स्टेटमेंट दे सकें।

अध्यक्ष महोदय जहां तक विकास की योजनाओं का सवाल है १९३४ से लेकर १९४४ तक माननीय मुख्य मंत्री की हुकूमत नहीं थी यहां १६५६ ट्यूबवेल्स बनाये गये १९४५–४६ तक कुल २४९६ ट्यूबवेल्स बन चुके थे। जब कि यहां ब्रिटिश हुकूमत थी पंचवर्षी योजना में कुल २,००० ट्यूबवेल्स बनाने की योजना है और अब तक कुल ४७२ बन पाये हैं यह है सरकार की विकास योजनाओं का हाल। हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री की हुकूमत प्रारम्भ होने के पांच साल तक तो कोई योजना ही नहीं थी यह खेद की बात है। उसके बाद अगर कोई योजना बनायी जाय तो उसको फिर दोहराया जाता है। एक वर्ष के भीतर ही नायर डाम की योजना बनी और उसमें ३२ लाख रुपया खर्च कर दिया गया लेकिन बाद में सरकार को मालूम हुआ कि यह डाम बनाने के लिये ठीक जगह नहीं है और फिर उसको खत्म कर दिया गया। इससे जनता के पैसे का अपव्यय होता है यह कोई शोभा की बात नहीं हो सकती है। रिहन्ड डाम आप बाद में बनायेंगे लेकिन पहले गोरखपुर मऊ और सोहावल में १०, १० हजार किलोवाट के थर्मल स्टेशन बना कर जनता का पैसा बरबाद किया जाता है। अगर इस प्रकार से किया जाय और हम प्रजातन्त्र के नाम पर बैठे रहें तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री को पूर्वी पाकिस्तान से सबक लेना चाहिये कि जहां पर मुसलिम लीग का इतना जबरदस्त जोर था लेकिन बाद में उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा कि जब एलेक्शन हुआ तो बाद में वहां पर ७ आदमी ही चुनाव जीत सके। यह जनता की शक्ति का परिणाम है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जनता को धोखा न दें। जनता को नहीं तो आपको ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आपके अन्दर हिम्मत है तो सामने आ जाइये और सामने आकर स्पष्ट रूप में जो कहना हो कहिये इस प्रकार से चुप रहने से क्या लाभ हो सकता है। किन्तु आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको फिर टिकट नहीं मिलेगा। परन्तु आप यह समझिये कि यह जनता को धोखा देना है और जनता के सामने आकर सच्चाई से कहने की आपमें हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी सदस्य हैं जो किसी प्रश्न को पुछवाने के लिये हमारी पार्टी के सदस्यों के पास आते हैं जिनसे मंत्री जी के नाराज होने की बात होती है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे द्वारा यह प्रश्न पुछवाते हैं पता नहीं कि यह प्रतिनिधि इस सरकार को कहां पर ले जायंगे। हमको तो उत्तर प्रदेश में

एक आदर्श स्थापित करना चाहिये था। गांधी जी ने जो हमको मार्ग दिखाया उसी पर चलने के लिये हमने अपना कदम उठाया और उसी के लिये सत्याग्रह किया। हमारे सामने कोई और चारा नहीं था। हमको आठ साल देखते हो गया कि यह सरकार क्या कर रही है। हमारा वह प्राचीन भारत जिसको सारा संसार गुरु मानता है उसमें हमारी सरकार ने यह लूटपाट मचा रखी है। तो फिर हमारे सामने जो कर्तव्य रह जाता है उसी को हमने पालन किया। हम जानते हैं कि आप की सरकार वास्तव में जनता की प्रतिनिधि नहीं है। आप तो यहां पर ४४ प्रतिशत को ही रिप्रिजेन्ट करते हैं हम लोग तो ५६ फीसदी जनता के प्रतिनिधि हैं। आप इस पर वाह-वाह करते हैं मगर आपको स्मरण रखना चाहिये कि इसी लखनऊ में अवध के राजा वाजिद अली शाह भी खत्म हो गये। उनके दरवाजे पर अंग्रेजों की फौज पहुंच गयी लेकिन वह नाच और गाने में ही मशगूल रहे। यही हालत आपकी होने वाली है क्योंकि आपको भी मालूम नहीं है कि बाहर जनता के अन्दर क्या हो रहा है और किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। यह कोई हंसने की बात नहीं है यह तो इतिहास बतलायेगा। हमारी सरकार ट्रावनकोर कोचीन में अगर गोली चलाती है और उसके लिये हमारे डा० लोहिया रिज़ाइन करने के लिए कहते हैं तो यह तो हमारे लिये गौरव की बात है क्योंकि हमारी पार्टी ने तो एक नवीन उदाहरण देश के सामने रखा है। यहां पर गोरखपुर में गोली चलाई गयी लेकिन उसके लिये क्या किया गया। श्री अलगूराय जी शास्त्री को भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ताकि उनको भविष्य में कुछ कहने का अवसर रहे।

इस स्पेशल पावर ऐक्ट की भूलाभाई देसाई ने आलोचना की थी और काले कानून के नाम से इसको पुकारा था लेकिन बहुमत में आयी हुई सरकार आज इसको लागू करने में कोई हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करती है। मैं अलगूराय जी से भी इसीलिये कहना चाहता था कि वह कम से कम इस कलंक को धुलाने की कोशिश करते तो अच्छा था। आज हमको इस बात का गौरव है कि हमने इस आन्दोलन को चलाया। कुछ लोगों ने कहा कि इस आन्दोलन में किसान नहीं हैं। क्या हम लोग किसान नहीं हैं। अगर आपके इस कानून के जरिये फर्रुखाबाद में २, ४ शहरी आदमी गिरफ्तार हो जायं तो इसका मतलब नहीं कि किसान इस आन्दोलन में शरीक नहीं हैं। अधिक आदमी तो नहर क्षेत्र के थे और अगर कोई २, ४ आदमी या २, ४ फीसदी शहरवाले हुये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के किसी आदमी से सुन लिया कि वहां किसान नहीं थे लेकिन उसमें ९५ फीसदी आदमी किसान थे। आज मैं पुराने पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय सम्पूर्णानन्द, राजस्व मंत्री जी तथा कमलापति जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मदान्ध होकर काम करने वालों को बिगड़ते देर नहीं देर लगती। नक़शे उलटते देर नहीं लगती। चांगकाई शेक को आपने देख लिया। हमने अपने ऊपर मुसीबत झेलकर सरकार को ठोकर दी तो कोई बुरा काम नहीं किया। हमने महात्मा जी के सत्याग्रह का परिचय दिया है और जैसी स्थिति में उसका प्रयोग करना चाहिये वह किया।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं और मेरा प्रस्ताव है कि आज का समय बढ़ा दिया जाय, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी बोलना है।

श्री राजनारायण—अगर यह प्रस्ताव पहले ही आया होता तो हमें भी और समय मिल जाता। हमारी बहुत सी बातें कहने से रह गई हैं। लेकिन अब मैं इसका विरोध करता हूं और ५ बजे केबाद हमारी मीटिंग भी है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण ने अपने भाषण को मंगलाचरण के रूप में एक वेदमन्त्र से आरम्भ किया। जहां तक वेद मंत्र की बात है वह तो मेरे जैसे हिन्दुओं के लिये अक्षरशः मान्य है, परन्तु मैं उनको एक चीज़ की याद दिलाऊं और जब वह अर्थ करने लगें तो इसका खयाल रखें। कहा है कि "इतिहास पुराणाभ्यां

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वेदं समुपबं हयेत्" ।। जब वेद के मंत्रों का अर्थ करना हो तो जितने भी प्रासंगिक शास्त्र इत्यादि हों उन सबके प्रकाश में ही वेद के मंत्रों का अर्थ करना चाहिये। "बिभ्येत्यल्य श्रुताद्वेदः" अर्थात् वेद उस आदमी से डरता है जो कि केवल थोड़ा सा जानता है। वेद को डर यह रहता है कि "मामयम् प्रहरिष्यति", यह व्यक्ति मेरी दुर्गति करेगा। वेदन का उनके मन में भी आदर है, बड़ी अच्छी बात है, परन्तु वेद के मंत्रों की व्याख्या करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

जहां तक दुष्ट राज्य को या सरकार को अलग करने की बात है उसका प्रजा को अधिकार है और बल्कि कर्तव्य भी है। इसके लिये वेद तक जाने की जरूरत नहीं थी। इसके लिये तो और बहुत सी किताबें हैं, पोलीटीकल साइंस की बहुत सी किताबें हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं हो सकतीं। रही यह बात कि दुष्ट राज किसे कहते हैं, इसका फैसला कैसे होना चाहिये? इसके लिये मैं केवल एक चीज का जिक्र करूंगा। बार बार ट्रावनकोर का जिक्र हुआ। मैं ट्रावनकोर राज्य की जरा भी निन्दा नहीं कर रहा हूं और न मेरा ऐसा इरादा है। मैं कहता हूं कि एक गवर्नमेंट है और उसके यहां एक आन्दोलन चल रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उसमें एक आन्दोलन के सिलसिले में उस गवर्नमेंट को, जिस आन्दोलन को वह ग़लत समझती थी, गोली तक चलानी पड़ी और इसका निर्णय करने का अधिकार उस गवर्नमेंट को ही हो सकता है। आज किसी भी जगह कोई भी पार्टी पैदा हो जाय या व्यक्ति पैदा हो जायं और इसकी समझ में यह बात आवे कि यह गवर्नमेंट खराब है, उसे उलट दो और उसके उलटने के लिये आन्दोलन शुरू कर दें जैसी कि ट्रावंकोर सरकार तथा और भी सरकारों के सामने दिक्कत हो सकती है। यह दिक्कत अगर आज एक पार्टी के सामने है तो कल दूसरी पार्टी के सामने आ सकती है। इसलिये सरकार के उलटने के विचार को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिये। अगर कभी किसी की समझ में यह आ जाय कि सरकार को उलटना ही है तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि जो कि पुराना तरीका है कि दोनों पार्टीज के लोग दो दलों में खड़े हो जायं और एक दूसरे का सिर तोड़ना आरम्भ कर दें और जो जीते वही राज्य ले। परन्तु डेमोक्रेसी में यह तरीका नहीं अपनाया जाता। उसमें सर तोड़ने के बजाय काउंटिंग आफ हैड्स से शासन के अधिकार दिये जाते हैं, शासन को उलटा जाता है। इसलिये जैसा कि राजनारायण जी ने कहा मेरे विचार से, हो सकता है कि मैं ग़लत होऊं माइनोरिटी को राज्य उलटने की कोशिश नहीं करना है बल्कि हर शांतिपूर्ण उपाय से मैजोरिटी को माईनोरिटी में बदलने का प्रयत्न करना चाहिये। जनता को समझाने बुझाने की कोशिश करनी चाहिये ऐसा अधिकार सब को है। अगर इस अधिकार को न माना जाय तो कदापि लोकतंत्र नहीं चल सकता। राजनारायण जी की ओर से कहा गया कि इंगलैण्ड में माईनोरिटी के कहने-पर कमेटी बिठा दी जाती है। जब कोई मिसाल दी जाय तो उसको आधी नहीं देना चाहिये। अगर इंगलैण्ड में यह कन्वेन्शन चल पड़ा है कि अपोजीशन की मांग पर कमेटी बिठा दी जाती है तो इंगलैण्ड के पिछले १००–२०० वर्ष के इतिहास में क्या कभी एक बार भी ऐसा हुआ है कि वहां सत्याग्रह हुआ हो या वहां की माईनोरिटी की तरफ से यह चीज कही गयी हो कि हम इस बात का पूरी तरह से विरोध करते हैं और उसके लिये आन्दोलन किया हो। उन्होंने सदैव जनमत तैयार करने की कोशिश की, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया कि जब कोई कानून उनकी पार्लियामेंट के द्वारा बन गया हो जिसमें वह भी सन्तुष्ट हों, फिर भी उसका विरोध किया हो। अगर यह कन्वेंशन देश में हो जाय तो जांच के लिये कमेटियां भी बन सकती हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि किसी चीज का एक टुकड़ा, जो किसी वजह से हमें अच्छा लगता हो, वह ले लिया जाय और बाकी बातों को छोड़ दिया जाय। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा यह सौभाग्य है कि हम

व्यवस्थापिका सभाओं में बैठे हैं, अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अच्छी परम्पराओं को डालें। आज खिचड़ी परम्परा नहीं चल सकती कि एक तरफ तो हम कोई कानून बनायें या बजट बनायें और दूसरी तरफ बाहर जाकर उसके विरुद्ध काम करें। हमें एक अच्छा रास्ता अपनाना चाहिये। इंगलैण्ड में बहुत दिनों से लोकतंत्र चला आ रहा है और वहां की परम्परायें हमारे देश में मान्य हो चुकी हैं, हमें उनके अनुसार काम करने का प्रयत्न करना चाहिये और स्वस्थ परम्पराओं को जन्म देना चाहिये। यह आन्दोलन नहीं रहेगा, लेकिन देश रहेगा, हमारी पार्टी रहे या न रहे, और कोई संस्था रहे या न रहे परन्तु देश रहेगा अतः जो भी देश की भलाई चाहते हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे देश में अच्छी परम्परायें छोड़ जायं ताकि जो लोग आगे आयें वे लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकें। कोई भी चीज कितनी ही अच्छी क्यों न हो लेकिन उसको प्राप्त करने के लिये हम ऐसे रास्ते को न पकड़ें ऐसे आन्दोलन न चलायें जिससे प्रचलित कानून का विरोध होता हो। अगर ऐसा होता तो उस हालत में चाहे जो गवर्नमेंट हो, मैं पूछता हूं कि उसका क्या कर्तव्य होगा। ट्रावनकोर में एक आन्दोलन चलाया गया, उनकी राय में वह बिल्कुल ही ठीक होगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहे कोई हो वह कुछ कायदे और कानून के अनुसार ही कार्य कर सकती है। जो भी गवर्नमेंट हो वह इस बात को नहीं देख सकती कि अपने ही बनाये हुए कानूनों को तोड़ा जाय और उनकी अवहेलना की जाय। इरिगेशन के रेट्स के ऊपर जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि उसकी आमदनी ढाई तीन करोड़ रुपये की होगी। तो यहां ढाई या तीन करोड़ रुपये की बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे एक पुरानी कहावत है कि किसी जगह पर ८०, ९० वर्ष की बुढ़िया मर गयी तो उसके घर के लोग रोने लगे। इस पर किसी ने कहा कि वह तो बुढ़िया थी, उसके मरने पर क्यों रोते हो? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि हम बुढ़िया के मरने पर नहीं रोते हैं, बल्कि इसलिये रोते हैं कि यमराज ने घर का रास्ता देख लिया। वही बात यहां भी लागू होती है कि अगर यह परम्परा चल गयी कि आज किसी ने एक टैक्स के विरुद्ध आन्दोलन किया, कल एक दूसरी पार्टी ने किसी दूसरी टैक्स के विरुद्ध आन्दोलन किया और फिर किसी तीसरी पार्टी ने किसी और टैक्स के विरुद्ध आन्दोलन किया और फिर इस तरह से तो शासन का चलना ही असम्भव हो जायगा। आप सोचें कि आज एक गवर्नमेंट जिसका दावा है कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर उसने कुछ विकास का कार्य किया है। अगर आप उसमें से ५० प्रतिशत काट दें या ७५ प्रतिशत काट दें तो भी कुछ न कुछ तो काम हुआ है। ५ हजार कुवें न बनें ५०० ही कुंवें बनें, १०० ही कुवें बनें, जितने मील नहरों के बनने की बात कही गयी उतने मील नहरें न बन कर उससे कम नहरें बनीं, जितने स्कूल बनने की बात कही गयी उससे कम स्कूल बने, लेकिन कुछ विकास का काम तो हुआ। इस किस्म के आन्दोलन चलाने से पुलिस का ध्यान भी चोर डाकुओं की तरफ से हट कर इधर लग जाता है, दूसरे लोग जिनका ध्यान कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ लग सकता था, इधर लग जाता है, और जो भले आदमी नागरिक हैं उनका ध्यान भी इधर लग जाता है। इससे जो विकास का थोड़ा काम है, आपकी दृष्टि से वह पूर्णतया सन्तोष-जनक न हो, थोड़ा बहुत ही सन्तोषजनक हो, लेकिन जितना काम हो रहा है वह काम भी ठप्प हो जायगा। ऐसी हालत में गवर्नमेंट का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस किस्म के आन्दोलन को रोके? अब कैसे रोके, इसके लिये तो कोई न कोई तरीका होना चाहिये।

इस बात की बड़ी शिकायत है कि हमेशा स्पेशल पावर ऐक्ट से काम लिया गया और स्पेशल पावर ऐक्ट की हिस्ट्री भी बतलायी गयी तथा हाफिज जी की स्पीच का भी जिक्र किया गया जो उन्होंने उस समय दी थी। यह मैं नहीं जानता कि वह स्पीच उन्होंने किस अवस्था में दी और क्या दिया लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या आपको शक है कि गलत उद्धरण दिया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, मैं नहीं कहता कि ग़लत उद्धरण दिया गया है, न मैं ग़लत बात कहता हूं और न आशा करता हूं कि कोई सदस्य यहां गलत बात कहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बतलाऊं कि एक विशेष अधिकार कानून में होने से वह डेंजरस भी हो सकता है और उसका दुपरुयोग भी हो सकता है लेकिन जब कि रिस्पांसिबल एक्जीक्यूटिव के हाथ में शासन हो जो जनता के सामने रिस्पांसिबल हो तो उस तरह का कोई डर नहीं रहता। एक बार लेनिन ने रूस में अपनी स्पीच में कहा था कि आरम्भ में ब्यूरोक्रेसी का कुछ आभास हो सकता है लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आगे चल कर वह ब्यूरोक्रेसी इतनी पावर फुल न हो जाय कि असली मंशा को ही खत्म कर दे। इसी तरह से स्पेशल पावर ऐक्ट जिस नियत से बनाया गया हो उस पर कंट्रोल हो सकता है और हम समझते हैं कि उस पर कंट्रोल हमारा है। यह महज इस वास्ते हैं कि जिस जमाने में कोई कानून न हो तो उससे काम लिया जाय। अब यह कहा जाय कि क्रीमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन प्रोसीजर कोड या जितने भी पहले के कानून हैं वह सारे के सारे खत्म कर दिये जायं और जितने टैक्सेज़ हैं वे न लिये जांय जितनी अदालतें हैं वे बन्द कर दी जायं तो फिर कैसे काम चल सकता है? दियासलाई है उससे किसी भले आदमी का घर भी जलाया जा सकता है और उसी से कपूर भी जलाया जा सकता है जिससे हमारे राजनारायण जी भगवान् के चरणों में आरती करके पहुंच सकते हैं। एक ही चीज है उससे बुरा काम भी लिया जा सकता है और उससे अच्छा से अच्छा काम भी लिया जा सकता है। आन्दोलन हुआ, आन्दोलन को रोकने की हमने भरसक कोशिश की। यह कह कर हमारी शिकायत की गई कि यह गवर्नमेंट नालायक है। ठीक है जरूर नालायक गवर्नमेंट है। नालायक की भी कोई परिभाषा हो सकती है। एक परिभाषा तो यह हो सकती है कि गवर्नमेंट बहुत से आदमियों को जेलखाने में भेजे, बहुतों को अपने बाल बच्चों से बिछोह करा दे और बहुतों से लोगों को जेल में या और कहीं तंग करे लेकिन यहां तो शिकायत यह है कि हमने लोगों को जेल नहीं भेजा, लोगों को जेल के अन्दर क्यों नहीं बन्द किया, क्यों नहीं लोगों को उनके बाल बच्चों से अलग किया? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? हमने लोगों पर गोली नहीं चलाई, इसलिये नालायक हैं, नारायण दत्त जी ने अभी लाठी चार्ज न करने का जिक्र किया। हमने लोगों पर लाठी चार्ज न कराया, हमने लोगों को जेलों में न भेजा इसलिये नालायक हैं। हमने लोगों पर गोलियां न चलवायीं इसलिये नालायक हैं? बिना गोली चलाये बिना लाठी चलाये और थोड़े से लोगों को छोड़ कर किसी को जेल भेजे बिना हमने आन्दोलन को खत्म कर दिया और यह तो सारा प्रदेश जानता है कि अब आन्दोलन कहां बाकी रह गया है। जिस तरह से एक कहावत है कि "अगर गुड़ से मर जाय तो जहर क्यों दिया जाय" तो अगर इस खूबी से आन्दोलन खत्म कर दिया गया कि किसी को कोई नुक़सान नहीं पहुंचा तो अगर यह नालायकी है तो यह नालायकी हमें मुबारक और दूसरे लोग अपनी बातें अपने पास रखें।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और कई बातों का जिक्र हुआ, लेकिन दो एक बातों का जिक्र ब्योरेवार करना जरूरी होगा। उनका इन्सीडिन्टली जिक्र कर देना चाहता हूं एक जिक्र हुआ कि मिर्जापुर में श्री रामनगीना सिंह एम० पी० पर लाठी चार्ज हुआ। उनका कहना है कि रामनगीना सिंह जी के पांव में लाठी लगी थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसका डिनायल किया है हालांकि एक दो अखबारों में भी मुखतलिफ बातें इस सम्बन्ध में निकलीं। एक अखबार कहता है कि मिर्जापुर का ही कि ऐसी घटना हुई, दूसरा कहता है कि नहीं हुई। श्री रामनगीना सिंह कुछ कहते हैं लेकिन मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। एक ही तर्क के साथ फैसला हो सकता है कि जिस वक्त उनके पांव में चोट लगी थी उनको उसी वक्त जाकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिये था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई तर्क इस सम्बन्ध में समझ में नहीं आता, जब कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के कुछ अखबार कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यही मानना पड़ता है कि डी० एम० का बयान सही है और श्री रामनगीना सिंह

को इस बारे में भ्रम हो गया है। शरीफों की भाषा में इसके सिवा दूसरी भाषा नहीं हो सकती। तिजिलपुर की घटना का जिक्र किया गया। वहां पर ऐसा हुआ कि १७ जून को एक अमीन वहां २ या ३ चपरासियों के साथ सरकारी लगान वसूल करने के लिये गया। यह तिजिलपुर चमारों की बस्ती है। वहां पर ऐसा हुआ कि अमीन के चपरासियों और गांव वालों में कुछ झगड़ा हुआ और वहां के गांव वालों ने उनमें से एक चपरासी को पीटा जिसका नाम यासीन था और वह पठान था और पास के ही किसी गांव का रहने वाला था। वहां पर यासीन को यह खयाल हुआ कि चमारों ने मुझे मारा है और इसी चीज को लेकर वहां झगड़ा हुआ और उसमें एक आदमी जो चमार था वह मारा भी गया। यासीन अब फरार है और यही साबित करता है कि उसीने शायद उनको मारा है, उस पर ही खून का इलजाम है। अभी मामला चल रहा है और मर्डर का यह मामला है, इसलिए जब तक जांच पूरे तौर से नहीं हो जाती है तब तक हमें राय नहीं देना चाहिये। इस चीज का आन्दोलन से मैं समझता हूं कि कोई सम्बन्ध नहीं है और वह एक बिलकुल अलग घटना है।

एक सदस्य--आप उसकी जांच कराईये तो मालूम हो जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच तो हो रही है क्योंकि यह मर्डर का मामला है, इसलिये जांच तो होवेगी ही और साथ ही यासीन मुजरिम मालूम होता है उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश हो रही है और उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा भी चलेगा।

एक घटना का अर्दया जो आगरे जिले में है, जिक्र हुआ। वहां का ब्योरा इस प्रकार है--अर्दया आगरा के जिले में एक गांव है, बड़ा नामी गांव है। बहुत दिनों की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन पिछले कई वर्षों से वह गांव नाम कमाता रहा है। मसलन सन् ४७-४८ में वहां के निकट एक गांव के मुसलमानों को उन्होंने लूटा पीटा लाठी लेकर उनपर टूट पड़े। दूसरे बगलवाले गांवों में अपने जानवर डाल देना उनके खेतों को चरा लेना इसके मामले तो रोज होते रहते हैं। अभी हाल ही की बात है कि वहां के लोगों ने ३१ दिसम्बर ५३ को नहर की डिस्ट्रीब्यूट्री को काट दिया जिसके लिये ४ सौ रुपया का जुरमाना होता है। इसके माने यह नहीं है कि वहां लोग बहुत बुरे हैं लेकिन वहां एक बहुत बड़े नेता जी रहते हैं स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, हमारे दोस्त उन्हें जानते होंगे और उनके लेफ्टिनेंट श्री सुरेंद्र भारद्वाज। इन नेताओं का यह प्रभाव है कि उस गांव वालों का हमेशा यह ख्याल रहता है कि हर किस्म के सरकारी काम का विरोध करो और जहां तक हो सके लाठी के जरिये से विरोध करना अच्छा होता है। कैनाल ड्यूज की बात चली तो क्या हुआ कि वहां के लोगों ने खुद भी नहीं दिया और दूसरे लोगों को भी देने से रोका। तो फिर इस बात की जरूरत समझी गई कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाय। तो फिर स्वामी जी महाराज और उनके लेफ्टिनेंट अण्डरग्राउण्ड हो गये गायब हो गये। ३१ मई की रात को इस बात का पता लगा कि उस गांव में शायद रात में कोई मीटिंग हुई, जिसमें ये लोग जिनपर वारन्ट थे वे शरीक हुये थे और अब तक उसी गांव में हैं। तो वहां पर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पुलिस वहां पर ४ बजे सवेरे पहुंची। उसमें तहसीलदार थे, सर्किल इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपने को तीन पार्टियों में बांटा और गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसमें तीन पुलिस कांस्टेबिलों को चोटें आई जिनकी मेडिकल जांच हुई। दो पुलिस के आदमियों को पकड़ लियागया दो आदमियों को गिरफ्तार किया जा सका और जिन पुलिसवालों को पकड़ लिया गया था उनको छुड़ाकर वे लोग वापस चले आये और इससे अधिक वे कुछ नहीं कर सके। इसकी जब खबर लगी तो फिर पुलिस की दूसरी पार्टी वहां गई जिसमें असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे, सिटी मैजिस्ट्रेट थे और सर्किल इन्स्पेक्टर और पुलिस के कई आदमी करीब ९/१० बजे पहली तारीख को सवेरे वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां करफ्यू लगाया जो पहली तारीख को १० बजे सुबह से लेकर दूसरी तारीख को सुबह ९ बजे खत्म हुआ। करफ्यू का जो मतलब होता है वह सब जानते हैं। जाहिर सी बात है कि आम तौर पर जो सड़क पर भीड़ लगी होती है उसको खत्म करने के लिये होता है ताकि ला ऐंड आर्डर की सिचुयेशन हलकी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हो जाय। तो करफ्यू लगाया गया, लेकिन ये वीर योद्धा लोग कहां हटने वाले। करफ्यू तोड़ा गया और वहां ४५ आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ४२ पुरुष थे और तीन स्त्रियां थीं। स्त्रियां तो बाद को छोड़ दी गई, लेकिन पुरुष गिरफ्तार रहे। लोग करफ्यू की गिरफ्तारी के बाद भी शांत नहीं रहे और लाठियां लेकर आये और पत्थर फेंकना शुरू किया। तो ऐसी हालत में क्या किया जाता? बन्दूक चलाई जाती, गोली चलाई जाती, जैसे और जगहों में जैसे दूसरे प्रदेशों में चलायी जाती है चलाई जाती, लेकिन न तो वहां लाठी चलाई गई और न गोली चलाई गई बल्कि एक हार्मलेस तरीके से आंसू अश्रुगैस की एक शैल उन पर छूटी। वैसे तो उन पर चार शैलें चलाई गई, लेकिन उनमें से दो तो कम्बख्त झूठी हुई, और एक जो छूटी उसको न दोस्त की पहचान और न दुश्मन की वह उल्टे पुलिस की तरफ आ गई तो फिर जो चौथी शैल चली उससे लोग तितर बितर हो गये, जो अश्रुगैस का मतलब होता है। उसके बाद दूसरे दिन ५ बजे शाम के करीब जो १ हजार रुपया लोगों पर बाकी था वह सब वसूल हो गया सिर्फ १५, १६ रुपये तो बाकी रह गये बाकी सब वसूल हो गये। अब शिकायत इस बात की हुई कि लोगों को करफ्यू से तकलीफ होती है। अब लोगों को आराम देने के लिये तो करफ्यू लगाया नहीं जाता। जो कानून तोड़ते हैं जो विरोध करते हैं जो प्रदर्शन करते हैं उन्हें सुख देने के लिये तो करफ्यू नहीं लगाया जाता। लेकिन शहर के करफ्यू में और देहात के करफ्यू में फर्क होता है। शहर में जब करफ्यू लगाया जाता है तो यह मालूम होता है कि लोगों के घरों में पानी के नल हैं, पाखाने हैं और उनका काम बाहर न जाने से भी चल सकता है। लेकिन देहात के करफ्यू में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वहां घरों में पानी के नल नहीं होते, पाखाने जाने के लिये घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। शहर के करफ्यू में भी थोड़ी देर के लिये छूट दे दी जाती है कि लोग बाहर जा कर अपना काम वगैरह कर सकें। देहात में जो करफ्यू लगाया गया था वह केवल लोगों की भीड़ रोकने के लिये लगाया गया था, उनके आने जाने में और दूसरे कामों में कोई रुकावट नहीं डाली गई, उसमें कोई रोक-थाम नहीं की गई। इस गांव के बाहर एक दूसरी जगह अचनेरा है, वहां लोग गये और महाजनों से रुपया आदि ला कर जमा किया। लोग वहां गये और जा कर रुपया लाये। गांव के बाहर जाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई, हां, भीड़ रोकने के लिये करफ्यू इन्फोर्स किया गया। लोगों को अपनी आवश्यकता के कामों के लिये पूरी छूट मिली।

इसके बाद एक बड़ी बात कही गई और अखबारों में भी कुछ सज्जनों ने लिखा कि इसकी वजह से बहुत सी मृत्युएं हो गई। गांव में, यह कहा जाता है कि चेचक का प्रकोप था और ऐसा कहा गया कि अश्रु गैस के प्रयोग के कारण चेचक का प्रकोप बढ़ गया। कुछ सज्जनों ने अखबारों में भी इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं इस बारे में दो तीन बातों का जिकर करना चाहता हूं मैं खुद तो डाक्टर नहीं हूं लेकिन जब ऐसी शिकायतें आई तो यह जानने की जरूर जिज्ञासा हुई कि इसका असर ऐसा होता है या नहीं? एक तो मैं आपको बता दूं कि जो टियर गैस चलाई जाती है यहां यह वह है कि जो ब्रिटिश आरमी में और ब्रिटिश पुलिस में चलाई जाती है। मेरे पास एक मैनुअल है और उसमें इसके बाबत यह लिखा है कि--

"Tear smoke effects the lining of the eye-lids causing involuntary closing of the eyes. It also irritates the resparitory system and skin, making those subjected to it very uncomfortable. The result is temporary inability to see and a compelling desire to get into fresh air."

श्री राम नारायण त्रिपाठी--कोई ऐसी मिसाल आपके पास है कि जिस विलेज में स्माल पाक्स फैली हो उसमें इस गैस का प्रयोग किया गया हो?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कहा गया है कि इसके प्रयोग से आंसू आते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है लोगों को थोड़ी देर के लिये, लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी प्रकार का कोई असर उन पर नहीं रह जाता। यह कई बरस जांच करने के बाद लिखा गया है ताकि किसी पर किसी प्रकार का बुरा असर न रह जाय।

दूसरे माननीय सदस्यों को मालूम है कि केमिकल एक्जामिनर टु दि गवर्नमेंट का एक दफ्तर आगरे में है। उनके यहां जितने जहर होते हैं और विस्फोटक पदार्थ आदि होते हैं उनकी जांच होती है। हमारे यहां के डाक्टर एम० बी०राव जिनको तीस वर्ष का अनुभव है वह लिखते हैं कि--

"In a village like this, when small pox epidemic breaks out due to lack of sanitary and other conditions, a large number of deaths normally takes place even in the absence of any irritant bombs bursting in the vicinity.

In the past such bombs even used in congested localities of various towns but there have been no reports of their adversity effecting the health of the people or of patients suffering from small pox or any other disease."

उनका कहना है कि इस तरह के जो बम होते हैं उनका प्रयोग उस जगह किया गया जहां मरीज होते हैं लेकिन एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि किसी मरीज पर किसी प्रकार का बुरा असर पड़ा हो। तीसरी चीज जो मेरे पास है वह यह है। आगरा के सिविल सर्जन की राय है। जहां पर शैल छोड़ा गया वहां पर ३५×४० का मैदान है--

"Where the shells had burst, is an open field, and Nauhara's of Panna and Piarey intervene between this field and the nearest living houses. Whatever, smoke could field have gone towards the Abadi, would meet with the obstruction of the walls of these Nauhara's and would therefore have to go up high in the air before it could be blown towards the Abadi and hence there is no likelihood of the gases entering the houses. Besides this the shells were thrown where the adult population had collected and there could be no possibility of small children, suffering from small pox being brought in the crowd. They must have been inside their houses."

तो इससे यही पता चलता है कि मैदान में शैल छोड़े गए। तो दो आदमी पन्ना और प्यारे ने इन्टरवीन किया और यह उधर ही छोड़े गए जिधर कि बड़े लोग थे। वहां पर कोई बच्चा नहीं था और स्मौल पौक्स के बच्चे तो थे ही नहीं। तो मेडिकल रिपोर्ट जो हमें मिली वह यह है कि इससे कोई असर नहीं पड़ता है।

अब एक चीज और रही वह यह है कि राजनारायण जी ने कहा कि ९८ आदमी मरे। मेरे पास लिस्ट है। उस गांव में पहली तारीख को शेल छोड़ा गया टीयर गैस का। पहली तारीख से लेकर ३ जुलाई तक १२ आदमी मरे। ३ से ३१ जुलाई तक एक भी आदमी नहीं मरा। तो जिस तारीख को टीयर गैस छोड़ी गयी उस तारीख से लेकर ३१ जुलाई तक गांव में कुल १२ आदमी मरे। अब इसके अलावा इतने आदमी कहां से मरे, मैं नहीं जानता। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है।

दूसरी चीज है जिसमें कि लोगों को दिलचस्पी होगी वह मथुरा जिले की है। मथुरा से १० मील की दूरी पर बाद गांव के बारे में श्रीमती कृपलानी का बयान है अखबार में। उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। उसमें बहुत सी बातें बड़ी भयानक हैं। अगर सही हैं तो वाकई में बड़ी भयानक हैं। उनका बयान है कि पुलिस वाले गांव में गए। सब से बड़ी शिकायत की बात यह है--

"They came to the village with a crowd of about 300 collected from the neighbouring villages. They instigated the villagers to loot the houses along with them. Half the number did not want to work against their own comrades and went away. The other half along with the police ransacked the houses of the villagers and took away everything they could lay their hands on.

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

The women made bitter complaints about the treatment meted out to them by the police. They said they were thrown on the ground and their bangles, anklets and necklaces were forcibly taken from them. Some of them were threatened at the point of pistol and coerced to give up all their belonging. Three women were brought to me who said that their saris were taken off their bodies by the police. They sat naked till other women gave them their torn saris to wear."

श्रीमती कृपलानी का कहना यह है कि वह बाद गांव में गयीं, तीन स्त्रियां उनके सामने आयीं और कई एक शिकायतें उनसे कीं जिसमें से एक के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी साड़ी उतरवा ली गयी वह गांव में नंगी छोड़ दी गयीं और फिर औरतों ने आकर उन्हें साड़ी दी। फिर उन्होंने कहा कि औरतें वहां पटक दी गयीं और उनके गले से जेवर और हाथों से कंगन वगैरह जबरदस्ती उतार लिये गये। अगर यह बात सही है तो उसमें कोई शुबहा नहीं है कि यह बहुत कमीनापन है और जिस किसी ने किया हो वह हर तरह की सजा के काबिल है। यह न केवल भारतीयता के खिलाफ है और सरकारी आदेशों के खिलाफ है, बल्कि मनुष्यता के खिलाफ है। जिस दिन उनका यह स्टेटमेंट निकला था उसको पढ़ने के बाद ही मैंने एक बयान दिया, प्रेस वाले मुझसे मिलने आये थे कि इसकी मैं जांच कराऊंगा। एस०डी०एम० को जांच करने के लिये मैंने कहा। उसमें एक खास बात है। जितने लोग हैं उन सब लोगों का बयान ओरिजनल में मेरे पास है। जो पढ़े हैं उनके दस्तखत हैं और जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनके अंगूठे का निशान है और मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से उनमें से कुछ बयान पढ़ देना चाहता हूं जिनका खासतौर से इस मामले से सम्बन्ध है। जो औरतें उनमें मुख्य हैं उनमें मुसम्मात गोपी, जौजे पूरन सिंह हैं। पूरनसिंह जेल में थे। वह कहती हैं मेरे दरवाजे पर सुबह जब हम सो रहीं थी तो २०० आदमी आ गए थे। उनमें ५०-६० पुलिस के लोग थे और मौजे के प्रधान थे और लटूर था, नौरंगाबाद के बदले व बदले का लड़का आया, अगनपुरा का सांवलिया व उसका लड़का। वे उस गांव के आदमी थे। सिपाहियों ने किवाड़ उतारे फिर धोती उतरवा ली और फटी धोती दे दी कि इसे पहन ले। मेरी लड़की अंगूरी जिसकी उम्र १८ साल है उसकी धोती भी उतरवा ली और फटी धोती पहनने को दे दी। मैंने अपनी धोती में लड़की को छिपा लिया। यह तो उनकी माता जी की शिकायत है। अब जरा अंगूरी जो लड़की है उसकी शिकायत सुनिए। वह कहती है मैंने कमरे में जाकर धोती बदली। कमरे में कोई और आदमी नहीं था। आंगन में और आदमी खड़े थे। मेरी मां ने भी कमरे में जाकर धोती बदली। पहली बात यह कि मां और बेटी के बयान में इस तरह का फर्क है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह बयान किसने लिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- एस० डी० एम० ने।

अब आप देखें कि जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है गवाही में वे क्या कहती हैं। उसकी मां ने कहा है कि जौहरी ने देखा। जौहरी कहता है कि मैं सोशलिस्ट पार्टी में हूं। मैंने नहीं देखा कि पुलिस ने मुसम्मात गोपी और मुसम्मात अंगूरी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैंने किसी और के घर पर ज्यादती देखी न मुझे पता है। यह तो जौहरी साहब कहते हैं। इसके बाद प्रीतम सिंह पंचायत की अदालत के सरपंच। वह कहते हैं कि पुलिस ने गांव के किसी आदमी या औरत के साथ ज्यादती किसी प्रकार से नहीं की। किसी औरत के बदन में पुलिस ने हाथ नहीं लगाया, न जेवर उतरवाये और न धोती खींची।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)--क्या आप किसी निष्पक्ष आदमी से भी जांच करायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरी मुश्किल यह है कि आप सबको झूठा समझते हैं जहां कि मैं आप सबको सच्चा समझता हूं। अगर मैं आपकी ही तरह से समझने लगूं तो बड़ी मुश्किल हो जायगी।

इस औरत ने तीन चार आदमियों के नाम लिये थे कि उनकी मौजूदगी में ऐसा हुआ उनके बयानात आप लोगों के सामने हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि समय थोड़ा रह गया है। ब्योरा अगर कुछ कम हो जाय तो अच्छा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहुत अच्छा। बदले और प्रधान कहते हैं कि हम लोग उस दिन गांव में हो नहीं गए जिन तीन चार आदमियों के नाम लिये जाते हैं वह कहते हैं कि हम वहां मौजूद हो नहीं थे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी या कृपलानी जी गलत बात कहते हैं। उनके सामने जो बात कह दी गयी वह उन्होंने लिख ली। लेकिन जब इसकी ठीक तरह से जांच हुयी और जब ३०--३५ आदिमयों के सामने यानी सरपंच और गांव के मुखिया वगैरह के सामने यह हुआ और वह मौजूद थे तो वह बयानात गलत साबित हुए। इसके माने यह हैं कि यह सब बातें गलत थीं। एक श्री लक्ष्मणदास जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने बयान दिया है कि इन बातों की मुझे खबर थी। उनसे कहा गया कि आपने मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन चलाने में लगा हुआ था दूसरे मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, इसलिये नहीं कहा, जिस दिन यह वाकया हुआ उसके दूसरे दिन एक औरत की तरफ से उन्होंने मैजिस्ट्रेट के ऊपर सेक्शन ३९५ में डकैती का मुकद्दमा दायर किया। जिस वक्त उन्होंने मैजिस्ट्रेट के ऊपर ३९५ का मुकद्दमा डकैती का दायर किया तो इन वकील साहब को इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन इससे भी ज्यादा संगीन मामले में इनको इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। इसके माने यह हैं कि यह बातें गढ़ दी गयीं। जब देखा गया कि कोई खास बात नहीं है तो यह कहा गया और इस तरह से श्रीमती कृपलानी को धोखे में डाला गया। मैं नहीं समझता हूं कि इन कलमबंद बयानों के होते हुए किसी और किस्म की जांच की जरूरत हो सकती है।

मैं फिर कहता हूं कि इस किस्म के आंदोलन को दबाने के लिये कई तरीके हो सकते हैं। हमने जहां तक कम से कम फोर्स का इस्तेमाल हो सकता था उसको काम में लाये हैं और फिर भी इस आंदोलन को खत्म कर दिया, गिरफ्तारियां भी ऐसी क्या ज्यादा हुयीं। गिरफ्तारियों की संख्या कई जिलों की यानी आगरा वगैरह की १,०१० हैं, उनमें ३१० ऐसे आदमी थे, १२६ दूसरी किस्म के और ५२६ लैंडलेस लेबरर्स थे। लेकिन कहा यह जाता है कि २,७०० आदमी गिरफ्तार हुए हैं, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास अगर कोई प्राइवेट जेल बनी हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हमें तो जेल में भोजन वगैरह का प्रबंध करना पड़ता है। स्पेशल पावर्स ऐक्ट (second phase) में १,४५१ गिरफ्तारियां हुयीं। अगर मिर्जापुर और इटावा वगैरा की गिरफ्तारियां भी जोड़ दी जायं तो टोटल २,२६५ पर पहुंचता है। अब इसके अलावा जो यह कहा जाता है कि ३ हजार आदमी गिरफ्तार हुए हैं तो इसके लिये मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आंदोलन तो खत्म ही हो चुका है और उसमें अब कुछ दम बाकी नहीं रहा है, लेकिन मुझे अपने दोस्तों से कहना है कि इससे क्या उनकी पार्टी की शोभा बढ़ती है और इस स्टेट की, जिसकी भलाई में उन्हें भी उतनी ही दिलचस्पी होगी जितनी किसी और को होगी। उसका भला वह कहां तक कर रहे हैं? क्या सर्विस कर रहे हैं और क्या आगे के लिये वह सर्विस कर रहे हैं। यह शिकायत हमारे मित्रों को जरूर है कि लखनऊ में हमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जोकि बाहर से वालंटियर बुलाये गये। तो उसके लिए हमें अफसोस है। यहां तो रुपया वसूल हो गया। किसी को इरिगेशन टैक्स का रुपया देना नहीं है। अगर यहां लोगों को अपना दिल खुश करने का शौक होता हो तो हम क्यों

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

रोकना चाहें ? हमारे दोस्तों को एक बात की नाराजगी है कि बहुत से बाहर से यहां वालेंटियर्स लाये गए और उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया मंशा यह था कि उनको जेल में रख कर खिलाने पिलाने और घर पहुंचाने में खर्चा गवर्नमेंट का होगा। वह हम नहीं कर सके। इसकी तकलीफ हमारे दोस्तों को होगी। हमें पूरी हमदर्दी उनके साथ है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय, क्योंकि अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे इतना निवेदन करना है कि मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को सुनूं, मगर ५ बजे के बाद मैं नहीं रह सकूंगा। माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में जनता आंदोलन नहीं करना चाहती है। तो यह आंदोलन किस गति-विधि को लेगा इस सम्बन्ध में ५ बजे के बाद मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि कल के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर गति-विधि का सवाल है तो आज जो बहस हुयी है उसका भी कुछ परिणाम निकलना चाहिये। यदि मुख्य मंत्री का भी अंतिम भाषण सुनने के बाद मीटिंग करें तो ठीक होगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि हमको मौका दीजिए। रामनारायण जी बैठे हुए हैं। मैं गोपाल नारायण जी जो आये हुए हैं उनसे बात कर लूं। माननीय मुख्य मंत्री को सुनने के साथ साथ हमारे माननीय गेंदा सिंह जी और मदनमोहन जी हैं उनको भी बोलने का समय मिलेगा। तीन आदमी हमारी ओर से बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष---हां, मौका मिलेगा।

श्री राजनारायण---तो जाऊं, मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष---जी हां, पूछ लीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मुझे निवेदन करना है कि हमको समय कम मिला है। डेढ़ घंटा हमारा और आधा घंटा संयुक्त दल का इस तरह से सवा दो घंटा था। तो अभी हमारा भी २० मिनट बाकी है। तो अब इसका कौन सा जस्टीफिकेशन है ? अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को समय दिया जाता है तो उसके जवाब में उतना ही समय हमको और दिया जाना चाहिये और २० मिनट हमारा और रहेगा।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये। मैं साफ किये देता हूं। यह जो कुछ समय का नियंत्रण मैं करता हूं इसमें बहुत कुछ सदस्यों का सहयोग भी होता है। अगर एक एक दो दो चार-चार मिनट हर सदस्य ले ले तो फिर उसमें निश्चित प्रकार से नियंत्रण नहीं हो पाता। मुझे पहिले विरोधी दल के नेता ने ही कितना समय उन्हें दिया जाय यह कहा था जब वह बोलने के लिये खड़े हुए, और आखिर में जब मैंने लाल रोशनी जलाई तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा समय चाहिये मैंने अधिक समय दिया इसी प्रकार कुछ समय दूसरों को भी कुछ अधिक समय तो मैं दे देता हूं। तो इस तरह से यह होता है। अब रहा यह सवाल कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलना चाहते हैं किसी खास वजह से और वह भी बात सही ही होती है। उदाहरण के लिये परिगणित जाति के सदस्य भी बोलना चाहते हैं। यह भी एक विचार सामने आता है तो उनको भी थोड़ा समय दे दिया जाता है। तो किसी तरह से भी अगर मैं समय का नियंत्रण नहीं कर सका तो इस वक्त

यही उचित होगा कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय। मैं गेंदा सिंह जी को मौका दे दूंगा। थोड़ा सा उपाध्याय जी को भी मौका दे दूंगा और फिर मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी बोल लें। इसके बाद विवाद खत्म हो जायगा। दस मिनट का टाइम मैं उन लोगों को दे दूंगा और फिर उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोल लें।

एक सदस्य--पन्द्रह मिनट और दस मिनट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष--तो पन्द्रह और दस २५ मिनट यह हो जायेंगे और उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोलेंगे और उसके बाद यह मीटिंग समाप्त हो जायगी। मैं समझता हूं कि यह सदन की राय होगी कि तब तक हम बैठें जब तक कि तीनों भाषण हो जायं। बस यही राय रहेगी।

श्री झारखंडे राय--मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे आज समय मिलेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष--आज नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, इसलिये मैं सीधे सीधे जो बातें माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखी हैं, उनके बारे में ही कुछ कहना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इतनी हिम्मत की है कि वहां की उन औरतों के बयान और कुछ सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के बयान भी इस हाउस के सामने रखे हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वह बयान झूठे हैं पर अगर माननीय मंत्री जी को यह हिम्मत है और वह यह समझते हैं कि ये बातें सब सही हैं और सुचेता कृपलानी जी ने जो बातें कही हैं वे गलत हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि एक इम्पार्श्यल कमेटी बिठा दी जाय इन्क्वायरी के लिए और उसके सामने इन कागजों को भी रखा जाय और वह तहकीकात करे। माननीय मंत्री जी ने जो इन्क्वायरी करायी है वह एक सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से करायी है। अध्यक्ष महोदय, हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों का जो तजुर्बा प्राप्त है वह बहुत बुरा है और वह बहुत पुराना है। एक दफा सन् १८९५ ई० में दिल्ली में एक पुलिस बिल आया था वाइसराय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल में और उस समय हमारे सर फीरोज शाह मेहता वाइसराय की कौंसिल के मेम्बर थे। वह बिल ऐसा था कि प्यूनिटिव टैक्स लोगों पर लगाया जाय और उसका सारा अधिकार निर्णय करने का वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया जाय। तो बहस के बीच में जो हमारे उस समय के होम मेम्बर थे सर ऐंटौनी मेकेनडोनेल, उन्होंने जो इस बारे में कहा वह मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने पढ़ता हूं। सर ऐंटौनी मैकडोनेल ने कहा था--

"My Lord, the Hon'ble Member may give credit to our District Magistrates to be human beings."

इसके जवाब में सर फीरोज शाह मेहता ने जो कुछ कहा था वह भी मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा था--

"My Lord, my only complaint is that so many of your District Magistrates so often forget that they are human beings."

इसी लिये अध्यक्ष महोदय, ...

एक सदस्य--वह तो अंग्रेज थे उस समय .....

श्री मदनमोहन उपाध्याय--पर आप तो उन अंग्रेजों से भी बदतर हैं। अंग्रेज तो फिर भी इंसान थे, उनमें तो कुछ इंसानियत भी थी। मगर जिस तरह से आज जेलों में हमारे सत्याग्रहियों को रखा जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह व्यवहार तो अंग्रेजों ने भी हमारे साथ नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा इरीगेशन रेट्स वगैरह के बारे में न कहकर केवल थोड़ा सा स्पेशल पावर्स ऐक्ट के बारे में कहना चाहता हूं इस प्रांत के अन्दर जो आज खलबली मची हुयी है वह इस ऐक्ट के कारण है कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट यहां क्यों लागू किया गया ? यह स्पेशल पावर्स ऐक्ट सन् ३२ का बना हुआ है और अंग्रेजों का बनाया हुआ है । यह उस वक्त बना था जबकि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में नो टैक्स कैम्पेन शुरू किया था, उस वक्त यह कानून बनाया गया था । मैं आज जानना चाहता हूं कि दुनियां के किस कोने में यह ऐक्ट आज है, हिन्दुस्तान के किस प्रांत में ऐसा ऐक्ट बना है जो कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर बना हुआ है । कहीं मिसाल बता दें कि ऐसा कानून बना हुआ है और उस कानून में ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सौंप दिये गये हैं । उस समय जबकि यह कानून पास हुआ था तब न तो हमें कोई मौका था और न माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई मौका था कि वह उसमें शरीक हो पाते । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय वहां होते तो शायद वह और भी ज्यादा तेज बहस करते । उस समय सी० वाई० चिन्तामणि कौंसिल में मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो दफा ७ के मातहत पावर दे दी गयी है उस वक्त सी० वाई० चिन्तामणि ने जो इस सम्बन्ध में कहा था वह मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं--

"I desire to state with all the clearness and all the emphasis of which I am capable that nothing in the world can reconcile me to the concession to the executive of a power so wide, so value as this; it is perilous to do so and no non-official member who cares anything for the liberty of the subject can vote for a clause like this in any Bill before the Council. It is only those who disbelieve in principle in liberty who only believe in strong or autocratic government who can conscientiously vote for this and who may even reproach the Government for being so very moderate as to be content with this power instead of asking for much more dangerous powers."

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री ने यह सवाल उठा दिया कि हम उसको एनफोर्स कहां कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि अगर ऊपर के आदमी भले हैं तो नीचे के चाहे जितने बुरे हों, बुरे से बुरे कानून भी अच्छी तरह से लागू किये जा सकते हैं । ब्रिटिश पार्लियामेंट में एडमंड वर्क को जब उसके विरोधी यही जवाब दिया करते थे कि हम कानून कहां लागू कर रहे हैं तो एडमंड वर्क ने कहा था--

"That the plea that a law would be seldom used or would not be abused was not a valid defence of law if it was bad in itself and the possession of that bad law in its hands by any authority is a constant temptation to that authority to exercise the powers given under that bad law in a bad manner."

चाहे जितना अच्छा कानून हो उसकी लीगलिटी या इल्लेगेलिटी पर मैं यहां नहीं जाना चाहता हूं । मुझे तो यह कहना है कि इस काले कानून को स्टेट्यूट बुक से हटा दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९३२ के अन्दर जो टैक्स कम्पेन चलाया गया था उस समय भी सब से टैक्स वसूल हुए । माननीय श्री प्रकाश जी और नरेन्द्र जी जो जमींदार थे, उनसे टैक्स वसूल हुए । जिस तरह से सरकार वसूल करती है उस तरह से टैक्स वसूल किये गये, लेकिन यह किसी ने नहीं माना कि नो टैक्स कम्पेन नाकामयाब रहा जब कि अंग्रेज यही नारा लगाते थे कि नो टैक्स कम्पेन नाकामयाब रहा । आज वही शब्द माननीय गृह मंत्री के मुख से सुन कर बड़ा दुःख हो रहा है । मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारण थे कि जिनकी वजह से स्पेशल पावर्स ऐक्ट को लगाया गया, कौन सी मुसीबत पड़ गई ? क्या आर्डिनरी ला आपके पास नहीं था जिसके मातहत आप गिरफ्तारियां कर सकते थे, कुर्की कर सकते थे ? फिर इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी ? फिर आप कहते हैं कि ९५ फीसदी लगान वसूल हो गया । जब ९५ फीसदी लगान वसूल हो चुका

तो फिर इसे क्यों लागू किया है ? जब आपने यह कानून लागू किया तो इसको एनफोर्स क्यों नहीं करते ? जब लालेसनेस बढ़ी तो कानून को एनफोर्स करना चाहिए था। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया था वह यही था कि जब यह कानून पास किया गया तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया। जब लोग कानून शिकनी कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जाता। ला लेसनेस बढ़ रही है और उनको पकड़ा नहीं जाता तो उनको यह इम्प्रेशन होगा कि कानून तोड़ने से कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो फिर कानून को लागू करने की क्या आवश्यकता थी ? मैं माननीय गृह मंत्री जी की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। माननीय कमलापति जी ने बड़ा सुन्दर भाषण विकास के ऊपर दिया। अगर जैसा भाषण प्लेटफार्म के ऊपर दिया होता तो हम पर भी शायद कुछ असर होता। मैं भी विकास के ऊपर उनसे सुन्दर भाषण दे सकता हूं, अगर १५ मिनट का समय मिल जाय, लेकिन समय न होने की वजह से नहीं दे सकता। हम तो खामियां बताएंगे। हम माननीय गृह मंत्री जी से कहेंगे कि हमें आप पकड़िये, और अगर आप डिफायंस आफ ला करने पर हमको नहीं पकड़ते तो आप इस कानून को वापस ले लीजिये।

दूसरा प्रश्न जो हमारे लोग पकड़ लिये गये हैं उनके साथ सलूक का है। हम लोग डरते नहीं, जेल में जाने से। हिन्दुस्तान में आज इतनी ज्यादा बेकारी है कि माननीय रामनारायण जी ने १२ हजार कहा मैं तो कहता हूं कि एक जिले से मैं १२ हजार ला कर दे सकता हूं। पढ़े लिखे लड़के बहुत से बेकार पड़े हुए हैं वह जेल जाना चाहते हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि अगर कोई जेल खाना जाय तो लड़ाई झगड़ा न करके जाय। हमारे २७ सौ आदमी जेल के अन्दर हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछूंगा कि कोई एक भी मिसाल वह बतला सकते हैं जिसमें हमारे किसी सत्याग्रही ने किसी पर हमला किया हो। शान्तिपूर्वक झंडा ले कर सारे लोग जेलखाने के अन्दर जा रहे हैं। क्या ऐसा सत्याग्रही कहीं हो सकता है ?

माननीय परिपूर्णानन्द ने चैलेंज दिया। उन्होंने जो चैलेंज दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने उसका स्वागत करता हूं और अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी इस्तीफा दे कर चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी इस सदन से इस्तीफा दे कर फिर से चुनाव लड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष--(एक आवाज आने पर) सावधान।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--हमारे विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जी भी इस बात पर तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी गोरखपुर से जीत गये तो मैं इस सदन के सामने उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी इस्तीफा दे कर फिर से चुनाव लड़ूंगा। हमारे यहां तो वह फटक नहीं सकते। लेकिन मैं गोरखपुर की बात कह रहा हूं। इस तरह से हाउस में चैलेंज देने से कोई बड़ी भारी तारीफ की बात नहीं हो जाती। आज इस प्रान्त के अन्दर एक आन्दोलन है और इस बात का है कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट जो १९३२ में अंग्रेजों ने बनाया था वह हमारे स्टेट्युट्स में नहीं रहना चाहिये। मेरी यही प्रार्थना है कि अगर वह उसको लागू नहीं कर सकते तो उसको वापस ले लें नहीं तो हम लोगों को गिरफ्तार करें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर काफी बहस हो चुकी है और मैं समझता हूं कि तीन चार बातों की ओर सदन का ध्यान जाना चाहिये।

(इस समय ५ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

पहली बात तो यह है कि यह एक बड़ा विवादास्पद विषय बन गया है कि इस प्रजातंत्र में सत्याग्रह का स्थान है या नहीं। मैं सत्याग्रह के स्थान के लिये दुहाई नहीं देता हूं।

[श्री गेंदा सिंह]

अगर हमें यह विश्वास होता कि जो आज की सरकार है इस मुल्क की सारी समस्याओं को हल कर देगी तो कम से कम मैं ऐसा समझ कर खामोश बैठ जाता और खामोश न बैठता तो शायद इस सरकार के पीछे पीछे होता। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि सरकार इस मुल्क की समस्याओं को हल करने में नाकामयाब रहेगी। अगर नाकामयाब रहेगी तो खूनी क्रांति होने से कोई रोक नहीं सकता। जिन समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं वह हल होकर रहेंगी चाहे वह शांतिपूर्ण ढंग से हों या अगर हम उसमें नाकामयाब होते हैं तो फिर खूनी ढंग से हल हों। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यह जरूर चाहती है कि वह खूनी ढंग से हमारे मुल्क में न हल हो और इसलिये हम सत्याग्रह शस्त्र को समझते हैं कि रहना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर गांधी जी के कुछ शब्दों को कह देना चाहता हूं और मैं समझता कि इस सदन को उससे संतोष हो जायगा।

"Democracy finds its ultimate and invincible sanction in Satyagraha; without it democracy can easily prostitute itself into a tyranny of the majority or of dominant class or clique."

(इस समय ५ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं समझता हूं कि इससे जोरदार शब्दों में ज्यादा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि न मेरे पास उतनी बुद्धि है और न शक्ति है जितनी उक्त बातों को कहने वालों में थी कि सरकार को मनवा सकूं।

दूसरी बात स्पेशल पावर्स ऐक्ट के सिलसिले में कहनी है। जब माननीय गृह मंत्री उस कानून की वकालत करते हुये देखे जाते हैं तो मैं क्या कहूं, मैं तो शर्मा जाता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह स्पेशल पावर्स ऐक्ट किस लिये बनाया गया था और उसके बनाने वाले कौन थे। मैं यह समझता हूं कि अब इस स्पेशल पावर्स ऐक्ट की खबर माननीय गृह मंत्री ने सुनी होगी कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट हमारे इस आन्दोलन को कुचलने के लिये, हिन्दुस्तान के स्वतन्त्र आन्दोलन को तबाह करने के लिये पास किया गया और लागू किया गया तो उनको क्रोध अवश्य आया होगा और उनको तकलीफ हुयी होगी। मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूं गृह मंत्री जी को और बहुत ज्यादा जोर इस बात पर नहीं देता हूं कि शायद स्पेशल पावर्स ऐक्ट के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन कितने लोग कांग्रेस के उस वक्त गिरफ्तार किये गये थे? अगर मेरी याददाश्त सही काम करती है तो उस समय ३, ४ आदमी से ज्यादा उसमें नहीं आये थे। उसमें जो बड़े-बड़े लोग आये थे। तसद्दुक अहमद, जवाहर लाल नेहरू और टंडन जी। इनके अलावा और कोई लोग नहीं आये थे और उनके लीडर महात्मा गांधी थे जिनके नेतृत्व में वह काम कर रहे थे। गृह मंत्री जी जानते हैं कि जब ३ आदमी उसके अन्दर आये तो फिर जाहिर है कि यदि स्पेशल पावर्स ऐक्ट जिन्दा रहे और उसका चैलेंज करने के लिये कोई खड़ा हो तो यह कोई अच्छी शिकायत नहीं है। इस बात को कहने के बाद जो तूफानी बदतमीजी हुई है उसके ऊपर इतना ही कहना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि कम से कम यह तो न साहस होना चाहिये कि कोई जुडिशियल इन्क्वायरी बैठायी जाय। उन्होंने कहा कि इंग्लैण्ड में कभी अपोजीशन के कहने पर कोई इन्क्वायरी कमेटी नहीं बैठायी गयी। हमको हर एक मामले पर इंग्लैण्ड की नक़ल नहीं करनी चाहिये। मैं कहूंगा कि हमको इंग्लैण्ड से ऊपर उठना चाहिये। अगर हम मामले में इंग्लैण्ड की नक़ल करेंगे तो फिर माननीय राजनारायण जी का गुरु बनने का दावा करना बेकार है और राजनारायण जी के शिशुपन में भी शक होने लगेगा कि उन्होंने तब क्या सीखा। मैं निवेदन करता हूं कि वह मेहरबानी करके इंग्लैंड की परम्परा से ऊपर उठने की कृपा करें। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और कम से कम एक बार जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा कर देखें कि क्या बात है। किसी डी० एम० या एस० डी० एम० या एस० पी० की

रिपोर्ट पर और दूसरी जनता के भीतर से क्या बात आती है और उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जब मैं देखता हूं कि होम मिनिस्ट्री पुलिस को और सरकारी अधिकारियों को सपोर्ट करती है और उसके शब्दों में कोई हेरफेर नहीं है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। कम से कम इतना तो होना चाहिये और कभी तो होना चाहिये कि अधिकारियों को रिपोर्ट में कुछ हेर फेर हो। मैं चाहता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दें और जिस तरह से श्री परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि वह एक इशु पर इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं कि अगर राजनारायण जी उस पर तैयार हों.....

श्री राजनारायण--मैं तैयार हूं।

श्री गेंदा सिंह--श्री राजनारायण जी तैयार हैं कि वह इस ईशु पर इस्तीफा दे देंगे। सरकार को भी मालूम हो जायगा कि इन्साफ पसन्द और बेइन्साफ पसन्द लोग इसमें आते हैं या नहीं। श्री राजनारायण जी को इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। हम कोई जल्दी में नहीं हैं। हमको अपने काम में तकलीफ भी हो तो हम घबराते नहीं हैं। राजनारायण जी परिपूर्णानन्द जी की चुनौती स्वीकार करते हैं और बेहतर हो कि माननीय सिंचाई मंत्री जी को ही खड़ा किया जाय क्योंकि उनका विषय है और हम जानते हैं कि अपने क्षेत्र में उन्होंने इस क़दर काम किया है कि जिस पर उनको भरोसा हो सकता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता। चाहे माननीय राजनारायण जी के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ हो फिर भी वे फेस करेंगे।

श्री राजनारायण--हम तैयार हैं और बरेली में भी माननीय मुख्य मंत्री के साथ तैयार हैं।

श्री गेंदा सिंह--सिंचाई कर बढ़ाने के साथ क्या सरकार ने कभी यह भी सोचा कि इस कर का बोझ किन लोगों पर पड़ेगा। कच्चा माल पैदा करने वाले को अगर उचित क़ीमत नहीं मिलती तो उसके ऊपर बोझ पर बोझ नहीं डालना चाहिये। क्या इसकी क़ीमत गेहूं पर नहीं गई? अगर नहीं गई तो फिर वही कच्चा माल पैदा करने वाला मरता है और अगर गई तो क्या इसका बोझ अप्रत्यसरूप से कनज्यूमर पर नहीं पड़ता है? अगर कनज्यूमर के ऊपर भी बोझ पड़ा तो सरकार के लिये मुनासिब नहीं है। अगर कनज्यूमर पर नहीं पड़ा तो सरकार प्रोक्योर करके, जो कि वह आज नहीं कर रही है, कनज्यूमर को देती है। तो फिर वही बोझ कच्चा माल पैदा करने वाले पर पड़ता है। अब सोचिये कि इस देश का क्या होगा? हमारे प्रदेश में ६७ १/२ फ़ीसदी लोग ऐसे हैं जो ३ एकड़ से कम खेती करते हैं और उनकी हालत यह है कि जिस वक्त गल्ला पैदा होता है उस समय कुछ तो अपनी मालगुजारी देने के लिये कुछ महाजन और करजा देने के लिए अपना गल्ला बेच डालते हैं और २ महीने के अन्दर ही उनका ग़ल्ला बिक जाता है। उनकी इसके बाद यह हालत हो जाती है कि वे दूसरों से अपना ही गल्लफिर तेज़ दाम पर ख़रीदने के लिये मजबूर होते हैं। अगर वह दबता गया तो कैसे कपड़ा ख़रीद कर पहनेगा और नहीं ख़रीद सकेगा तो कैसे हमारे कारख़ाने चलेंगे? इस तरह की पालिसी सरकार की नहीं होनी चाहिये कि तराजू में एक तरफ एक सेर रख दिया और जब वह पलड़ा नीचे गया तो दूसरी तरफ २ सेर रख दिया और फिर जब वह नीचे गया तो फिर पहले में ३ सेर रख दिया। कोई पलाण्ड इकनामी होनी चाहिये या बैलैंस्ड इकानामी होना चाहिये। ७४ १/२ फीसदी जो खेती करने वाले हमारे यहां के आदमी हैं उनकी हालत ऐसी रखनी चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा शहरों का माल ख़रीद सकें और शहर के लोगों को भी रोज़ी दे सकें। इसके लिये सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक अरब ८० करोड़ रुपया ज़मीदारी उन्मूलन के लिये रखा और ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स भी बढ़ाया। वह रुपया वसूल नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाकर किसान कैसे बिजली लेगा और सेल्स टैक्स बढ़ा कर क्या किसान कपड़ा ख़रीद सकेगा? क्या यह टैक्स कपड़े पर नहीं पड़ता है, जो किसान के घर में निकलता है? और इस तरह से रोज़ टैक्स पर टैक्स बढ़ता जाता है।

[श्री गेंदासिंह]

रामनारायण जी ने बताया कि जमींदरी विनाश के बाद वे समझते थे कि मालगुजारी कम होगी। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था और कराची कांग्रेस में भी कहा गया था कि लगान में बड़ी भारी कमी होगी। यह कहा जा सकता है कि इस वक्त कीमतें बढ़ी हुई हैं। सन् १४ से १८ तक जब लड़ाई हुई थी तो कौन सी मालगुजारी अंग्रेजी गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी और उसके बाद कौन से इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये हैं। यह मैं मानता हूं कि जिस पैमाने पर आज प्लानिंग हो रही है उस पैमाने पर अंग्रेजी सरकार ने नहीं की। मैं यह जानता हूं कि रुपये की जरूरत है और यह बड़ी परेशान करने वाली चीज है। मैं दिखलाना चाहता हूं कि रुपया कहां से आ सकता है। किसानों का कच्चा माल आप सस्ते में न बिकने दें। मैं बता देना चाहता हूं कि २० करोड़ रुपये में से १० करोड़ रुपया मिल मालिकों ने खींच लिया और उसको बचाने में माननीय मुख्य मंत्री जी भी नाकामयाब रहे। और सेंट्रल मिनिस्टर की एक कलम ने सारा फैसला कर दिया। इसी प्रकार ८ करोड़ पिछले वर्ष का रह गया, इस प्रकार से १८ करोड़ रुपया ले कर क्या सरकार अपना काम नहीं चला सकती थी? इसी प्रकार से मैं सरकार को बता सकता हूं कि आमदनी के कौन कौन से रास्ते हैं। आज जो हमारी प्लानिंग है उसमें ७ प्रतिशत खर्च किया जाता है जब कि दूसरे मुल्कों में १५ से २५ प्रतिशत तक खर्च किया जाता है। हमको भी विश्वास है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह २–३ करोड़ रुपया इर्रीगेशन रेट्स बढ़ा कर जो तूफान बरपा कर दिया, इस तरह से नहीं। गाली गलौज की जरूरत नहीं है, जो भी मारपीट हुई, गिरफ्तारियां हुईं उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये कि हमारी प्लानिंग कैसे हो सकती है, नीचे से प्लानिंग कर के किस प्रकार से काम किया जा सकता है।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––जनाबवाला, स्पेशल पावर्स ऐक्ट का मैंने अपोजीशन किया था और इस पर मेरी तीन तकरीरें शुरू से आखिर तक हुई थीं। उसको मैंने किस बिना पर अपोज किया था उसको मैंने आखिरी दो तक़रीरों में साफ कर दिया है। उसमें से अपनी स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा सुना देना चाहता हूं उस जवाब में कि क्या वजह थी जिससे मैंने उसको अपोज किया था। क्योंकि वह अंग्रेजी में है और उसका हिन्दी तर्जुमा भी नहीं है, इसलिये आप की इजाजत से मैं उसको अंग्रेजी में ही पढ़ देना चाहता हूं ––

"Sir, when the Finance Member says that English people will respect such laws and that other countries have passed such laws, I will remind him of what I said yesterday, that in those countries the executive is responsible to the Legislature. There the executive cannot do anything against the wishes of the representatives of the people who come to the Legislatures which pass those laws and arm their executive with certain repressive measures."

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)––अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग एक गम्भीर परिस्थिति में कुछ विषयों पर विचार करने के लिये यहां पर जमा हुये हैं और इस बात की जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि आया गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ किया गया वह ठीक था या नहीं। इसके बारे में जाती बातों को लेने से या उलझन में डालने की कोशिश हो तो उससे कोई फायदा है नहीं। हमको तो इस ढंग से बातों को देखना है कि जिससे हम सही नतीजे पर पहुंच सकें। सवाल एक प्रकार से दो तीन हैं। यह कि सिंचाई की जो शरह इस वक्त है वह मुनासिब है या नहीं और क्या वह सवाल ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई इस तरह का आन्दोलन होना चाहिये या यह कि जिसके ऊपर कोई कमेटी क़ायम होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर कुछ भी बेलाग होकर इस सवाल पर विचार किया जाय तो हर शख्स को लगेगा कि यह सिंचाई की शरह जो इस वक्त है वह हर तरह से मुनासिब है। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात को मान लिया जाय तो इसके बारे में आन्दोलन करना या कमेटी की मांग करना गैर-जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं कि सिंचाई के बारे में हमने जैसा किया है और जिस आधार पर हमने इन सिंचाई की दरों में इजाफा किया है वह यह था कि हमें अपने देश में जो इस वक्त की अवस्था है, ग़रीबी है, भूख है, अविद्या है, उन सबको दूर करने के लिए साधनों की जरूरत है और उनको जमा करने के लिये अपनी ग़रीबी में से ही उन साधनों को और उन हालतों को पैदा करना है जिनसे ग़रीबी दूर हो जाय। यह तो निश्चिय ही है कि हम ग़रीब हैं और हम चाहें तो वैसे ही तो अमीर नहीं हो जायंगे और अमीर होकर ग़रीबी मिटाने के तो कोई माने होते नहीं। सवाल यह है कि गरीब होते हुये भी हमें ऐसे साधन निकालना है कि जिनसे गरीबी दूर ही जाय, बेकारी दूर हो जाय और हम अपने ग़रीब मुल्क में समृद्धि और सुख ला सकें। अगर ऐसी हालत है तो हम इस रचनात्मक-कार्य के लिये जनता से अपील करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वह हमसे सहयोग करे और मदद करे और फिर जो कुछ इस वक्त उनको कष्ट होगा उसको सह कर वह अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर ले कि जिसमें ग़रीबी नहीं रहेगी और यह जो छोटे-छोटे कर, जो हमें बड़े मालूम होते हैं वह नाचीज हो जायंगे। उसी के लिये कोशिश आज हो रही है और उसी कोशिश में कमेटी की बात कही जाती है, और दूसरी बातें कही जाती हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं इस बात को कि जिन लोगों ने सिंचाई की दर को कायम किया है, उनसे अच्छी कमेटी बन नहीं सकती। कमेटी किस लिये चाहिये? क्या इसलिये चाहिए कि बोझा किसी पर डाला जाय? आप जानते हैं कि अवस्था क्या है, जो भाई इधर बैठे हैं उनके कंधों पर सिंचाई का बोझ है नहीं, उनमें मुश्किल से हैं, जो सिंचाई देते हैं या जिनके जिले पर इसका बोझ है। यह पूछा गया है कि इसका बोझ किन पर है, कौन देता है? इसका बोझ इन पर है जो यहां बैठे हुए हैं, ये देते हैं और देते हैं इसलिये कि उनका भला हो। इससे अच्छी कोई कमेटी ऐसी बन सकती है जिसमें त्याग की भावना पैदा हो? कमेटी दावे का फ़ैसला करने के लिये बन सकती है। कमेटी त्याग करके, कुर्बानी करके, अपनी तरफ से दे करके, भला कर सकती है, गरीबों पर बोझ डाल कर देश का भला करने के लिये कमेटी किसी को मजबूर नहीं कर सकती। यह कांग्रेस पार्टी है जिसमें वे सब लोग हैं, मेरठ के हैं, मुजफ़्फ़रनगर के हैं, बुलन्द-शहर के हैं और अलीगढ़ तथा उन जगहों के हैं जहां कि आबपाशी होती है और जिनके ऊपर आबपाशी बढ़ाने का बोझ पड़ता है। उन्होंने तो त्याग करके अपने जो लोग हैं उनका तथा देश का भला किया है। अगर कमेटी आप बनावें तो वह किसी दूसरे से कह सकती है कि तुम बोझ उठाओ और दूसरे को दो? इसलिये उसकी नवइयत को देखते हुये, उसकी गरज को देखते हुये, जो उससे फायदा उठाते हैं उसको देखते हुये हम यह समझते हैं कि उन्होंने उदा-रता से, देश प्रेम से, देश भक्ति से, गरीबों की आह सुन कर उन कष्टों को उठाने की ग़रज़ से अपने भाइयों, अपने प्रदेश और अपने इलाके से इस बोझ को उठाने का इस तरह से संकल्प किया है। उन्होंने रजामन्दी और उदारता से इस काम को किया है। कोई कमेटी इस काम को नहीं कर सकती है।

श्री राजनारायण--श्री मलखान सिंह और गजेन्द्र सिंह भी हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--वे २६ में १/१३ हैं। ये सबके सब मेरठ, बुलन्द-शहर और मुजफ़्फ़रनगर के हैं जहां ५० फी सैकड़ा आबपाशी होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मलखान सिंह और गजेन्द्र सिंह भी आ जायेंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--आ जायेंगे वे इधर तो वह भी अच्छा होगा।

असल में देखने की बात यह है कि अब तक जो आबपाशी का रेट है वह मुनासिब है या नहीं है। आप जानते हैं कि आबपाशी के जरिये आमदनी ज्यादा होती है, इससे तो कोई इन्कार करता नहीं। पानी जिस खेत में डालते हैं उसकी पैदावार ज्यादा होती है और खेती

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

की क़ीमत भी बढ़ जाती है। आप अगर केवल एक एकड़ जमीन बेचें, जिसमें सिंचाई होती है तो वह तो चारसौ रुपये में बिकेगी, लेकिन अगर वही बगैर सिंचाई वाला खेत हो तो मुश्किल से १०० रु० में बिकेगा। तो यह नफा किस प्रकार से होता है। इस नफा को देने के लिये जो हमारी सरकार की तरफ से सिंचाई होती है उसके लिये यहां की जनता टैक्स देती रहती है और यदि उनकी आबपाशी के जरिये पैदावार बढ़े और जब उन्होंने अपना पेट काट कर दूसरों को यह मौक़ा दिया कि आबपाशी के जरिये उनकी आमदनी बढ़े तो क्या यह मुनासिब नहीं है? जिन लोगों ने इस तरह से मदद की उनकी जमीन में भी आबपाशी होने लगे और उससे पैदावार में इजाफा हो और जिनकी जमीन की क़ीमत बढ़ गयी है वे भी थोड़ा सा उनको दे दें जिनकी आबपाशी नहीं होती है तो उसमें कौन सी गैरइन्साफ की बात है, इसमें कौनसी बेजा बात है? उससे स्वार्थ भी किसी का सिद्ध होता है। जिनकी जमीन में सिंचाई होती है, वैसे तो हमारे यहां सारी जमीन में सिंचाई होती नहीं है, आधे में होती है या किसी की एक-तिहाई में होती है, क्योंकि हमारे यहां कुछ २०-२५ परसेंट के बीच में सिंचाई होती है, तो जब ऐसे गरीबों की पैदावार डेढ़गुनी या दुगुनी हो जाय और जिस जमीन में सिंचाई नहीं होती है उसमें भी सिंचाई होने लगे जिससे पैदावार डेढ़गुनी बढ़ जाय तो यह सौदा भी कोई नुकसानदेह नहीं है। इसलिये चाहे स्वार्थ की दृष्टि से देखा जाय, चाहे परमार्थ की दृष्टि से देखा जाय और चाहे देशभक्ति की दृष्टि से देखा जाय, इस सिंचाई की शरह को हरएक को मंजूर करना चाहिये। आप को भी इस बात को मानना चाहिये। वैसे तो वह राजनारायण जी कागज की बातों को बहुत मानते नहीं, लेकिन आज उन्होंने कागजों की बात कहीं और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिये और कुछ कोटेशंस भी दिये। लेकिन मैं कहता हूं कि आप देखेंगे कि इस सिंचाई की शरह में जो कुछ भी बात हुई है और वह बोझ ज्यादा होता इसको लाये हुये डेढ़ साल हो गये और यह नहीं कि उनसे छिपा कर लाये हों। बजट में डिस्कशन हुआ हर तरह से बहस मुबाहिसा हुआ, उसके बाद में बजट पास होने के बाद ऐप्रोप्रियेशन ऐक्ट पारसाल पास हुआ और अब की बजट में डिस्कशन हुआ और वह पास हुआ और फिर अब की ऐप्रोप्रिएशन ऐक्ट पास हुआ जिसमें कंसालिडेटेड फंड भी हुआ। इसकी आमदनी कूती गयी और उसी आधार पर बजट का खर्चा कूता गया। इस सदन ने उसे मंजूर किया और जब सदन कोई चीज मंजूर करता है तो वह सामूहिक तौर पर मंजूर करता है और सदन का जो फैसला होता है वह सामूहिक फैसला है। उसके खिलाफ कोई इस सदन का सदस्य बाहर जा कर कानूनशिकनी करे यह साधारणतः सिद्धान्त के विरुद्ध कहा जाता है।

मैं सत्याग्रह की इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि यथासंभव हमको इस तरह की कानूनशिकनी नहीं करनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह लोगतंत्र के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। इंगलिस्तान की बड़ी-बड़ी मिसालें हैं। आप जानते हैं कि थोड़ा ही अर्सा हुआ नेशनलाईजेशन का मसला उठा। लेबर पार्टी ने माइन्स का नेशनलाइजेशन किया, ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन किया मगर वहां कंजरवेटिव्ज ने सत्याग्रह नहीं किया, कानून शिकनी नहीं की, बल्कि मान लिया। इसी तरह से जब कंजरवेटिव्ज आये उन्होंने उस कानून को रद्द कर दिया, जो नेशनलाइजेशन के बारे में लेबर पार्टी ने किया था उसको खत्म कर किया। लेबर वाले अपने किये हुये पर हड़ताल फिरते हुये देखते रहे। यह उन्होंने बरदाश्त किया और पांच साल तक किसी तरह से बरदाश्त किया करेंगे, लेकिन यहां तो जो आप कहें वह किया जाय और न हो तो फिर सत्याग्रह या कोई न कोई ऐसी चीज करेंगे फिर तो लोकतन्त्र कहां रह जाता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में सत्याग्रह की बात कहां है। आप जानते हैं कि लोहिया साहब जेनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि हमको तो अब यह पालिसी और यह नीति बरतनी चाहिये कि हर जगह जो भी मौका मिले उसमें डाइरेक्ट ऐक्शन करें, उसमें ऐसे तरीके पर आन्दोलन करें और फिर सारे मुल्क में इस तरह की वातावरण पैदा करें, ऐसा मौक़ा बनावें कि अन्त में हम जनरल तरीके से इस काम को कर सकें।

श्री राजनारायण--जहां अन्याय हो।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--ठीक है, वहां जहां वह अन्याय समझते हों वहां उसको करें न्याय जहां उनकी समझ में हो वहां तो मैं भी नहीं कहता कि वे करने के लिये कहते हैं, मगर उसका उपाय उन्होंने यही बताया है कि सत्याग्रह हर जगह और इस तरीके से किया जाय और फिर सारे भारत में एकदम कोई न कोई सत्याग्रह किया जाय तो यह जो नीति है।

श्री राजनारायण--कोई कमेटी बना दें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कोई कमेटी भी बन जावे अगर आप कोई भी बात मानलें, और फिर दूसरी न हो तो कहा जावे। अभी आपका यह कहना है कि बिजली का मसला है और आप उस पर सत्याग्रह करेंगे और फिर उसके बाद कोई तीसरा आंदोलन करेंगे और आज तक पांच या छः और शायद छठा या सातवां होगा, तो इस तरह से एक के बाद दूसरे करते जावेंगे। अगर यह भी हो कि अब इसके बाद आंदोलन नहीं होगा, कोई सत्याग्रह की चर्चा नहीं होगी तब भी बात समझने की हो सकती है। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी कमेटी के सामने अगर इस आबपाशी के मसले को रखा जाय तो उसका फैसला इसके सिवाय और कुछ हो नहीं सकता कि आबपाशी की दर बहुत मुलायम है और किसी तरह से सख्त नहीं है।

विरोधी दल के कुछ सदस्य--तो फिर कायम कर दीजिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मगर आप यह तो नहीं कहते कि आइंदा सत्याग्रह नहीं होगा। वह कहे कोई तो सुनो।

श्री राजनारायण--इसमें भी कहे तो जाने दीजियेगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--देखिए तो, ट्रावनकोर कोचीन में आजकल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत है। वहां ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा, वहां उन्होंने सेल्स टैक्स लगाया, लेकिन उसके लिये उन्होंने कोई कमेटी नहीं मुकर्रर की कि ऐसा करें या न करें। उन्होंने टैक्स लगा दिया और कहा कि तुमको देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बातें हुयीं। कमेटी की मांग भी वहां की गयी।

एक सदस्य--कमेटी की मांग नहीं की गयी।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कमेटी की मांग अगर नहीं की गयी तो इसके माने यह हैं कि लोग वहां देना चाहते थे और उनको अब तक मौका नहीं मिला था कि टैक्स उन पर लगे। मेरी यह समझ में नहीं आता। मैं अखबार में देखता रहता हूं कि वहां पर भी दफा १४४ की बीच में कई बार सैकड़ों आदमी पकड़े गए। मैं समझता हूं कि वहां पर भी कई दफा यह मसला हाउस में आया कि पुलिस की तरफ से यह तो बहुत बूटल एट्रोसीटीज हुयी हैं, मगर चीफ मिनिस्टर ने आकर कहा कि यह सब गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, यह तो कह सकता हूं कि पुलिस ने बहुत रेस्ट्रेन्ट से काम लिया। मैं नहीं जानता कि वहां की पुलिस कैसी है और यहां की पुलिस कैसी है। वहां जो बात की जाती है। वह न्यायोजित होती है और यहां नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता। वहां किसी ने यह भी कहा कि नान आफिशियल इन्क्वायरी हो। मैं यह नहीं कहता कि उसकी जरूरत थी या नहीं, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि चाहे उस गन्वर्नमेंट ने उसकी जरूरत समझी हो या न समझी हो, लेकिन उन्होंने उस डिमांड को माना नहीं और कहा कि यह नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जब एक छोटी सी रियासत में, जहां कि हाल ही में यह काम शुरू हुआ, वहां इतने आदमी मारे गए और पकड़े गए और उन्होंने इन्क्वायरी की बात को माना नहीं, तो हमारे ऊपर भी आपको रहम व करम करना चाहिये।

श्री राजनारायण--हमने वहां भी इसकी डिमांड की है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह तो मैं भी देख रहा हूं । इसी के साथ अब सवाल यह आता है कि आया यह रेट ठीक हैं या नहीं हैं । आखिर यह एक बुनियादी बात है और मैं चाहता हूं कि इस पर सब लोगों का दिमाग साफ हो । यहां कुछ आंकड़े दिये गये और मैं उन्हीं आंकड़ों को मान कर जिनको कि राजनारायण जी ने या जो उनके चेयरमैन ने दिये , उनके आधार पर भी यह कहने को तैयार हूं कि जो रेट लगाये गये हैं उन पर कोई उंगली नहीं लगायी जा सकती । आप जानते हैं कि पहले भी यहां पर इस किस्म के मसलों की काफी तहकीकात हुयी है और लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिंचाई के अनुपात से पैदावार में बढ़ोतरी हुयी है । कहीं कहीं तो पैदावार दुगुनी और डेढ़ गुनी तक हुयी है और मैं समझता हूं कि यह बात सही है । वह तो दुगुनी या डेढ़ गुनी होती है लेकिन कम से कम क्या होती है उस चीज को अगर लिया जाय जो और जो आंकड़े श्री राजनारायण जी ने दिये हैं उनके हिसाब से भी देखा जाय तो यह रेट ठीक हैं । आप जानते होंगे कि जो हिन्द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की वायल्यूम में छपते हैं वह सन् १९४७–४८ के बाद के छपे रूल हैं । मगर जितने छपे हैं उनसे ऐसा लगाता है कि करीब करीब ४० परसेंट और ३० परसेंट के बीच कम से कम इजाफा इर्रीगेशन रेट से होता है पैदावार में । अनइरीगेटेड और इर्रीगेटेड के बीच राजनारायण जी ने जो हिस माने हैं और जो वह कहे हैं कि वीट (गेहूं) तो इर्रिगेटेड १३.४ अनइर्रिगेटेड ९.१५ राइस (चावल) इर्रिगेटेड १२.८ अनइर्रिगेटेड ९.७५ यानी जो वीट है उसमें तो करीब करीब ड्योढ़ी पैदावार होती है और जो चावल है उसमें ९.७५ के बदले १२.८ यानी करीब-करीब ३ मन ज्यादा चावल पैदा होता है । अब आप यह देखें कि कम से कम ४ मन गेहूं ज्यादा पैदा होता है और तीन मन कम से कम चावल सिर्फ आबपाशी होने से । तो यह जो तीन मन चावल है और ४, साढ़े चार मन गेहूं है वह अनअर्न्ड इन्क्रीमेंट है और उसका एक ही कारण है वह है पानी का आना । तो उस पानी के आने से जब ४ मन और साढ़े तीन मन के फायदे की गुंजाइश है तो फिर आप देते क्या हैं ?

त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि जो आबपाशी ली जा रही है वह २६ परसेंट है जो कि एडिशनल प्रोडक्शन होता है इर्रिगेशन से । तो अब देखना यह है कि २६ परसेंट अनइर्रिगेटेड लैन्ड के मुकाबिले में सिर्फ उस पैदावार का जो आदमी को देना पड़ता है वह एक-चौथाई है और तीन-चौथाई उसको बचता है । उस तीन-चौथाई की देन उस पानी की है जिसके लिये उसे कुछ देना नहीं पड़ता । कैसे यह इजाफा है अनअर्न्ड इन्क्रीमेंट में से एक-चौथाई ले लेना कौन सी बुरी बात है ? तो जो एक बटे चार उसको देना पड़ेगा उसको देने से आप क्यों रोकते हैं जबकि तीन बटे चार उसकी जेब में जाता है । हम सूखी जमीन में आबपाशी करना चाहते हैं । जिनके पास जरिया आबपाशी नहीं है उनकी जमीन की आबपाशी करना चाहते हैं यह आपको कोई फायदेमन्द नहीं है ? वह चार में से तीन मुनाफा अपनी जेब में रखता है । वह चार किसकी बदौलत होता है । स्टेट की तरफ से, यानी आम लोगों से, इस देश के तमाम एग्रीकल्चरल कल्टीवेटर्स ने जो रुपया दिया उसकी बदौलत यह चार रुपया मिलता है और उन चार में से अगर एक रुपया दे दे और तीन जेब में रखे तो क्या बुरी बात है ।

आज क्या हालत है । पीछे देखने से कोई खास नतीजा नहीं । आगे देखना है । इस मुल्क को बनाना है । इस मुल्क को बनाकर यहां की तमाम मुसीबतों को खत्म करना है । पीछे का जमाना मुसीबतों का रहा है, अब उनको खत्म करने का जमाना है । तो फिर अपनी एक जिद की वजह से उन मुसीबतों को क्यों कायम रखना चाहते हैं । फिर इसमें कमेटी किस बात की बैठायी जाय । आप खुद मानते हैं कि उसको तीन मन और चार मन ज्यादा पैदावार मिलती है, जो पानी की वजह से मिलती है ।

श्री राजनारायण—तो आप इसको मान लीजिये कि यह कमर्शल है ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गैरजरूरी बातों में आपका कीमती वक्त खराब जाय यह मुझे पसन्द नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह से कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि इसमें कोई ज्यादती हुयी है। फिर सवाल उठता है कि कुएं से अगर आबपाशी हो तो कितना हो जाय। कोई इन्कार कर सकता है कि कुयें की आबपाशी में ज्यादा खर्च होता है बनिस्बत उसके जो पानी नहर से मिलता है? यह तो जिसने गांव न देखे हों, कुएं न देख हों वही कह सकता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उनकी हालत आप देखिए कि जिनकी आबपाशी होती है और जिनकी नहीं होती है उसमें कितना फर्क है। उनके पक्के मकान हैं, उनके घरों की हालत देखिए और आज अगर आप सूबे के किसी कोने में जाइए तो पानी की प्यास है और पानी की प्यास जमीन के लिये है, उस प्यास को बुझाना हमारा और आपका सबका फर्ज है। आप उस प्यास को कायम रखना चाहते हैं गलत तरीके से इससे न देश का फायदा है, न हमारा फायदा है और न आपका फायदा है। आप किसी गांव में चले जाइये और पूछिये कि आप क्या चाहते हैं। यही जवाब मिलेगा कि साहब नहर ला दीजिये, ट्यूबवेल्स ला दीजिये। पानी जो वाइटल चीज है हमारी सारी सोसायटी के लिये उसको आप रोकना चाहते हैं तो कैसे काम बन सकता है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें बहुत सीधा सा सवाल है और बहुत सीधा सा जवाब है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ज्यादा उलझन नहीं करना चाहता हूं इसलिये और कौमेंट्स नहीं दे रहा हूं और उनकी मकबूला बात पर आर्गुमेंट्स पेश कर रहा हूं ताकि कोई बहस फिर न रहे।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जिक्र किया गया। मैं तो उन्हीं के फैक्ट को मान रहा हूं फिर फैक्ट फाइंडिंग क्या? क्या वह चाहते हैं कि उनके फैक्ट्स गलत साबित हों? इसलिये इस तरह की बातों से कोई नतीजा नहीं निकल सकता।

राजनारायण जी ने कुछ इरिगेशन रेट्स कमेटी का जिक्र किया और कहा कि इसमें तो लिखा है कि १० परसेंट ग्रास प्रोड्यूस का मैक्सिमम है नहीं तो ५ परसेंट होना चाहिये। मैंने भी वह रिपोर्ट कुछ देखी और मुझे यह मिला कि मामूलन १० परसेंट होना चाहिये वैसे उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसमें लिखा है—

"It is difficult to evaluate exactly the extra income from land due to irrigation. It has been for the sake of simplicity the practice in many countries to base water rates on the total value of the crop produced, e.g., in America water rates being one-fifth to one-sixth of the total value of the crop, in Egypt the ratio is 1:7 and nearer Home in Bombay it is also about 1:7. The factors which determine the fraction in any particular country are the condition of soil, humidity, temperature and the sub-soil moisture, transport and marketing facilities besides the financial condition of the Government. Taking all these factors into account it was decided by the Committee that in the case of the United Provinces the manual rates should not ordinarily exceed 1/10 of the value of the gross produce."

श्री राजनारायण—आगे पढ़ दीजिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आगे का हिस्सा जो है उसे मैं इरेलेवेंट समझता हूं उसका कोई असर हम पर नहीं है नहीं तो मैं पढ़ देता. . . मैं कोई आधा पढ़कर आधा छिपाना नहीं चाहता हूं। मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैंने जो पढ़ा है उससे आप देखेंगे कि उसमें यह लिखा गया है

"Should not ordinarily exceed 1/10 but it can exceed 1/10."

आज हम कम ले रहे हैं। यदि १३ मन चावल इरीगेशन में है तो इसकी कीमत आज भी २०० रुपए से ज्यादा है, इसका १/१० बीस रुपए होता है लेकिन हम तो १४ ही रुपए ले रहे हैं। यह मामूली चीजें होती हैं, जो कही जाती हैं, मगर खास चीज जो ताल्लुक रखती है वह यह है कि किस मकसद से लिया जाता है और कितना लेते हैं। मैंतो आधा भी ले लूं लोगों की भलाई

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

के लिये अगर उससे चौगुनी भलाई हो जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आपने सुना होगा कि बादल जब बनते हैं तो सूर्य की रश्मियां इधर उधर से पानी ले लेती हैं और फिर पानी बरसा देती हैं जिससे सूखी जमीन भी हरी हो जाती है। इसी प्रकार सरकार भी चाहती है कि इधर-उधर से लेकर बादल बरसाये और सूखी जमीन हरी भरी हो जाय। इसको करना किसी भी तरह से बुरा नहीं है।

इसके अलावा इस बात का जिक्र किया गया कि सन् १९२३ ई० में क्या मारकेट रेट्स थे। इसके बाद बहुत से साल गुजरे और इससे पहले भी गुजरे, लेकिन उन्हें सन् २३ ही पसन्द आया। मैं आपको बतलाता हूं कि सन् १९३१ ई० में गेहूं का भाव २.६९८ फी मन था और चावल का ४ रुपए मन था जो पहले १८ रुपए मन था और अब भी १६ रुपए मन है और गेहूं का भाव २ रुपए ९ आने मन था जो आज १२-१३ रुपए मन अब भी है। इस तरह से सन् १९३१ ई० में ३ रुपए मन से भी कम गेहूं का भाव था और चावल का भाव ३ रुपए मन था जो आज १६ रुपए मन है। यह हिन्दसे आपके सामने हैं। सन् १९२३ को मैंने नहीं लिया है। उस वक्त एक बिल बना था उससे आज हम जितना टैक्स लगा रहे हैं, उसे कहीं ज्यादा लगाना चाहिये था। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन गहरे मसलों में हमें एक इस नजर से देखना चाहिये कि जनता का हित किस ढंग से हो सकता है और इसमें हिन्दसे इधर-उधर से ले आने से मुमकिन हो सकता है कि जितने दूसरा हिस्सा न देखा होगा वह धोखे में आजाय, लेकिन जिनका देखा होता है वह जानते हैं कि क्या बात है। इसलिये जब तक पक्की जमीन न हो उसको खोदने से कोई खास फायदा नहीं मिलता है।

इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका मुनासिब होने का अगर इन तमाम दलीलों से इत्मीनान न हो तो इससे तो हो ही जाना चाहिये कि पहले साल लोगों ने दे दिया और करीब-करीब कहीं भी प्रोसेस इश्यू नहीं करना पड़ा। यदि करना पड़ा हो तो बहुत ही कम। इस साल भी ९५ फीसदी वसूल हो चुका है बावजूद इसके कि सत्याग्रह हो रहा है और कहा जाता है कि "मत दो"। लोगों से वह कहने की जरूरत होती है कि भाई दो, मगर मत दो कहकर भी लोग दे रहे हैं। इससे क्या नतीजा निकलता है? "मत दो" कहने की परिपाटी लोगों में जमाई गयी फिर भी लोगों ने दिया। इससे साबित हो गया कि वह जनता की भलाई के लिये देने के लिये तैयार हैं। इससे ज्यादा उनमें देश प्रेम है और वह अपने भाई के लिये मुहब्बत रखते हैं वह अपने भाई के लिये मुहब्बत रखते हैं और गरीबी को उठाना चाहते हैं। इसलिये जो उनकी अदायगी है वह साबित करती है कि वह देना चाहते हैं और दे रहे हैं। वैसे कोई भी टैक्स देना बहुत मुहब्बत से तो होता नहीं, मगर वह देते हैं। क्योंकि वह गरीब हैं और गरीबी को दूर करने के लिये वह अपना हाथ बढ़ा कर तकलीफ उठाने को तैयार हैं। वह भूखे रहते हैं, फसल के लिये बीज बचा लेते हैं, चाहे आधे पेट खावें। वह इस बात को इसी तरह से समझते हैं कि इस चीज को बचाना है, ताकि आबपाशी की भलाई सब को मिले और सब जगह फैल जाय और उसके लिये वह देते हैं और देने को तैयार हैं। सिवाय इसके और इसका कोई सबूत नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कुर्कियां कितनी हुई हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मुझे मालूम है तो आप को तो जरूर मालूम होगा। क्योंकि मुझे मालूम यह होता है कि तमाम कोशिश कर के आप ४ बातें ला सकें, उसके अलावा कोई बात आप को मिली नहीं, जिसमें आप कह सकते कि ज्यादती या जब्र हुआ। इस भारी सूबे में, जहां कि लाखों आदमी इस आबपाशी के देने वाले हैं और जहां घर-घर और हर जगह आपके आदमी मौजूद हैं जो कि देखें कि ज्यादती न हो और वहां सिवाय ४ मिसालों के जो कि आपने पेश कीं, सही या गलत जो आपको इत्तला मिली वह ४ की ही मिली और कोई नहीं मिली।

तो मुझे तो यह ताज्जुब होता है कि आप की इतनी वाचफुल आई होते हुये भी कहीं भी कोई नुक्स दिखाई नहीं दिया। इससे मालूम होता है कि जहां लाखों आदमियों का ताल्लुक़ हो उनमें अगर मान भी लिया जाय कि ज्यादती हुई है तो सिर्फ ३–४ केसेज आप को मिल सकेंगे, कि जिनमें ज्यादती हुई है और उनके बारे में हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने बतलाया है कि असली वाकयात क्या है, जहां कि कोई तहकीकात से नतीजा निकला है।

एक बात मैं आप से कहता हूं कि कहीं भी आप कोई बात देखिये, हम उसको नोटिस लेना चाहते हैं, हम उस चीज से सुबकदोश नहीं होना चाहते हैं। और जो यह कहा जाता है कि कृपलानी जी जाकर के उसे देखें तो मैं आप से कहता हूं कि कृपलानी जी की इज्जत हम भी बहुत करते हैं, मगर इस तरह की तहकीकात के मामलों में जो लोग इसको कर रहे हैं, जिन्होंने तहकीकात करके भेजा है, तो उसको अगर आप गलत कहते हैं तो जब तक वहां सामने मौके पर किसी ने देखा नहीं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोई दूसरा आकर यह कहे कि हमने ऐसा देखा है, कृपलानी जी ने और मिसेज कृपलानी जी ने तो देखा भी नहीं, सुना ही था अगर वह कहते कि हमने देखा तो बाज वक्त देखने में भी फर्क हो जाता है। मसलन राजनारायण जी ने कल कहा कि मेरी तो मौजूदगी में वहां फर्रुखाबाद में जब प्रदर्शन जनता ने किया मेरी कार के आगे और उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा। मुझे तो दो आदमी अपनी कार के सामने आते हुये दीखे। कोई कुर्बानी तो नहीं दी गई। सिर्फ थोड़े से वालंटियर्स आ रहे थे और उनमें से दो वालंटियर्स कार के सामने आ गये। उनसे कहा गया कि जरा हट जाओ, उनको हटा दिया गया और मेरी कार चली गयी। राजनारायण जी कहते हैं कि मैंने खुद देखा। वह खुद सोच लें कि जब सामने मौजूद होते हुये भी.....

श्री राजनारायण---आपकी मोटर का शीशा बन्द था।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मुझे आज मालूम हुआ कि शीशे में से दीखना भी बन्द हो जाता है।

इस तरीके पर एक बात यह भी कही गयी कि बिजनौर के जिले में ढाई रुपये से १० रु० टैक्स लगाया गया। मुझे उसे सुन कर तसल्ली हुई, क्यों कि कहा जा रहा था कि बिजनौर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने को बचाने के लिये बिजनौर में टैक्स लगाया ही नहीं। आज मालूम हुआ कि ढाई से दस वहां टैक्स लगा, सब से ज्यादा। तो कम से कम तरफदारी का जो चार्ज लगाया गया था उसके लिये तो गलती कबूल करना ही चाहिये। इसी तरह से मैं समझता हूं कि और भी बातें और साफ हो जातीं तो मालूम होता कि कितनी गलतफहमी आप को रहती है और अगर आप ज्यादा देखते तो असलियत क्या है यह भी आप को मालूम हो जाता। इसलिये जहां तक इन बातों का ताल्लुक़ है हम भी चाहते हैं कि कोई शिकायत न हो। मगर इस बात की शिकायत क्यों, कि आप को पकड़ते क्यों नहीं हैं? अगर पकड़ते हैं तो वह शिकायत कि उस कानून के जरिये क्यों पकड़ते हो, अगर नहीं पकड़ते हैं तो यह शिकायत कि उस कानून का निफाज क्यों नहीं करते हो? हमने अगर आप की बात को यहां तक माना कि आप को पकड़ा नहीं, तो आधी बात तो आपकी मानी। उसके लिये आप को खुश होना चाहिये, नाखुश होने की क्या बात है? जहां तक उस कानून का सवाल है वह तो उस वक्त एक अदालत के सामने है और मैं समझता हूं कि उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिये मुनासिब नहीं है चाहे और लोग कहें। मगर यह एक ऐसी बात है, "चाहे वह कानून हो या कोई और हो, मैं आप से कहता हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को पकड़ना।" किसी वर्कर को पकड़ना मैं नापसन्द करता हूं। मगर वह कानून न हो तो क्या हम पकड़ नहीं सकते। ट्रावनकोर-कोचीन में कौन कानून है? कोई कानून इस तरह का नहीं है। किसी हिस्से के लोग अगर यह कहें कि हम लोग तामिलनाद में जाना चाहते हैं तो यह कोई जुर्म नहीं है। लेकिन बगैर किसी कानून के होते हुये यह हुक्म दिया गया और १४४ के अन्दर उनको पकड़ा गया। उसमें मेम्बर पार्लियामेंट भी थे, मेम्बर असेम्बली भी थे, उन सबको पकड़ा गया और सजा दी

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

गई। हमें भी कोई दिक्कत न होती। १४४ लगा देते और यह कहते कि जो इरीगेशन टैक्स न दे उसे पकड़ लो। वह पकड़ लिया जाता और उसे सजा हो जाती तो यह कोई ऐसी बात नहीं है। बगैर ऐसे कानून के लोग पकड़े जा सकते हैं। मगर एक बात इससे सीखनी चाहिये और उसे मैं सबसे कहना चाहता हूं। नतीजा क्या हुआ? इसे चाहे आप सत्याग्रह लफ्ज कहें या कुछ कहें मगर उस कानून शिकनी का जो इस तरह पर किया गया, नतीजा क्या हुआ? मैं वहां की गवर्नमेंट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता और मैं, यह नहीं कहता कि उन्होंने ठीक नहीं किया। इस पर इसका नतीजा क्या हुआ कि आखीर में ४ आदमी मारे गये। पुलिस को फायर करना पड़ा। इस क़िस्म की बातें ऐसी परिस्थिति पैदा करती हैं जिनमें क्राइसिस हो और फोर्स इस्तेमाल करना पड़े। हमने तो अपने को बचाया। मेरी कार के सामने आकर लेट गये। मैंने देखा कि कोई कोना हो, कहीं से छिप कर निकल जाओ, उनकी जिद भी पूरी हो जाय और मैं निकल भी जाऊं। रात को मकान में घुस आये। मैंने कहा, कुछ मत करो, चले जायेंगे। इस तरह का व्यवहार किया गया जैसे कोई एक मरीज़ को उठा कर ऐम्बुलेंस कार में लिटा देता है। इस तरीके पर पुलिस ने व्यवहार किया। तो फिर शिकायत किस बात पर? लाठीचार्ज क्यों नहीं किया गया और लोगों को पकड़ कर डाल क्यों नहीं दिया गया। पुलिस ने रेस्ट्रां आबजर्व किया। इसके लिये बजाय इसके कि उनकी तारीफ की जाय यह शिकायत हो कि लाठी चार्ज क्यों नहीं किया गया, वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा कि ट्रावनकोर कोचीन में किया गया। हम तो अपने यहां उन चीज़ों को करना नहीं चाहते। मैं तो आपकी मदद चाहता हूं। हम लोग ठंडे दिल से देखें कि किस तरीके पर हम देश को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे यहां करीब ५६ लाख एकड़ जमीन स्टेट कनाल्स से सींची जाती है। अब ७१-७२ लाख एकड़ हो रही है। और हमारा इरादा है इन पांच सालों के भीतर ५६ लाख एकड़ से करीब दूना, एक करोड़ से ज्यादा हमारे यहां आबपाशी होने लगे। आप जानते हैं कि रोज़ क्या बातें हो रही हैं। देवरिया में क्या हालत है। गोरखपुर में क्या हालत है। इन सब के लिये कुछ न कुछ करना है। सूबे में और जगह करना है। हमें मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर में मैं भी कुछ खिदमत करनी है। इन सब बातों के लिये हम सबको एक होकर काम करना है। एक मुद्दत के बाद मौक़ा मिला है कि मुल्क को बनायें अपनी कूव्वत लगायें। इस मौके से हमें चूकना नहीं है। खामखा अंग्रेजों की नकल करके हमारे यहां इस तरह से खींचातानी हो, जो उनकी बुराई थी वह हम ले लें और जिस डेमोक्रेटिक कांशसनेस को उन्होंने अपने यहां कायम रखा है वह भूल जायं। कोई डेमोक्रेटिक स्टेट ऐसा नहीं कर सकती कि ला ऐन्ड आर्डर में गड़बड़ी हो। इस तरह के कानून और जगह भी हैं। मगर हमें तो ऐसे चलना है कि हम बगैर कानून के इस्तेमाल किये हुये काम कर सकें। मगर हर हालत में सब यह चाहेंगे कि अमन कायम रहे और सदन के जो फैसले हैं उन पर पूरा-पूरा अमल हो। हर तरह से इस बात की ख्वाहिश रखते हुये कि हम उन्हीं बातों को करें जो सब को हरदिलअजीज हों, उसके लिये भी फर्ज का तकाजा होता है और वह बातें करनी पड़ेंगी जो किसी को नापसन्द हों।

जहां तक उन केसेज का मसला है जो पुलिस के जुल्म और ज्यादती के कहे गये हैं मैं कहता हूं कि गेंदासिंह जी जाकर यह सर्टिफाई कर दें कि ९८ जानें मरी हैं तो मैं तो कुछ कायल हो जाऊंगा। मैं कहता हूं कि वह जाकर कह दें कि ९८ जानें गयी हैं या १५-२० से ज्यादा नहीं मरे, तब तो यह बात मालूम होगी कि कितना फर्क रहता है सुनी हुई बात है और असलियत में। वहां रजिस्टर रहता है। उसमें मौतें और पैदाइशें दर्ज की जाती हैं और उधर आगरे में काफी सोशलिस्टों का जोर रहा है। इसी से बहुत सी बातें पैदा भी हुईं। तो फिर वहां रजिस्टर में नाम न दर्ज हों, इतना फर्क हो १२ और ९८ का, इस तरीके पर आठगुना बता कर एक फर्जियाबाद बन सकता है। मैं तो कहता हूं कि हम सब को मिलजुल कर देश को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सत्याग्रह तो दुश्मनों के लिये होता है। हम तो आप पर भरोसा रखते हैं। आपसे मदद चाहते हैं। आपसे मिल कर काम करना चाहते हैं। फिर इस सत्य

सिद्धांत को ले कर चलें जिससे देश की ग़रीबी दूर हो। उसके लिये हम सबको मिल कर एक दूसरे से कंधा मिला कर काम करना होगा ताकि जल्द से जल्द हम अपने मुल्क को दुनिया के सारे मुल्कों से ऊंचा बना सकें।

श्री राजनारायण--एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुन कर बहुत ठेस लगी है। फर्रुखाबाद में जब माननीय मुख्य मंत्री जी की कार रोकी गई तो मैं उनकी कार के दरवाजे से ढाई हाथ पर था। श्रीमन्, कोई बात अच्छी हो या बुरी हो यह दूसरा सवाल है। कार उनकी चारों ओर घिरी हुई थी। आगरे का वर्कर उस सिलसिले में गिरफ्तार हुआ। जब वह खिड़की खोलने लगा तो पंजाब के प्रजा सोशलिस्ट नेता और एशियन सोशलिस्ट कान्फ्रेंस के सेक्रेटरी प्रेम भसीन जी ने उसे रोका तो उसने उन्हें झटक दिया क्योंकि वह उन्हें पहचानता नहीं था। तो मैं दौड़ा गया और उससे कहा कि जब यह आज के लीडर हैं तो तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते और कार को उससे छुड़ा दिया। मुख्य मंत्री के पी० ए० साहब ने बयान निकाला उसे देख कर दुख हुआ। वहां पत्रकार भी मौजूद थे, उन्हें मैं घसीटना नहीं चाहता।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--राजनारायण जी वहां रहे होंगे इससे मुझे कोई इन्कार नहीं। मैं यह कहता हूं। मेरी आंखें कमजोर होंगी या जो बात हो। मुझे वालेंटियर्स के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया, जिनकी तादाद ४०, ५० के करीब होगी।

श्री राजनारायण-२०० के ऊपर थी।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--२०० ही सही लेकिन दो आदमी सामने आये थे। कार रोकी गयी वह भी मानते हैं। तो फिर मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अगर आप दाढ़ी अलग कर दें तो शायद साफ नजर न आने लगे।

राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--मेरे पास उपसचिव की तरफ से यह सूचना आयी है कि जो बहस बाढ़ के सम्बन्ध में होने वाली थी उनका यह सुझाव है कि कल पहले वक्त में उस पर बहस हो जाय। यहां पर यह तय हुआ था कि प्रश्नोत्तर के बाद बाढ़ के सम्बंध में बहस हो। इस पत्र में उन्होंने यह लिखा है "उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद-विवाद होगा"। इसमें शब्द "पूर्वी भागों" को मैं काट दूंगा क्योंकि और भागों में बाढ़ें आई हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई भाग जो बाढ़ग्रस्त हैं उससे उत्पन्न परिस्थिति पर वादविवाद इस तरह से हो जायगा। तो कल प्रश्नोत्तर के बाद इसे लिया जायगा। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह तय हुआ था कि प्रश्नोत्तर के बाद दोपहर में उठने के बाद इस पर बहस होगी यानी लंच के बाद समय रहेगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि लंच के बाद सिंचाई कर का मसला लिया जाय और सबेरे यह हो जाय, लेकिन आज सिंचाई कर पर पूरे दिन बहस हुई, इसलिये यह रक्खा गया कि बाढ़ के मसले को कल प्रश्नोत्तर के बाद ही ले लिया जाय।

श्री गेंदा सिंह--मेरा यह कहना है कि बाढ़ का मसला इतना महत्वपूर्ण है और इतने महत्वपूर्ण बाढ़ के विषय के लिये सवा घंटे का वक्त नाकाफी होगा। सवा घंटे में बड़ा मुश्किल होगा कि उस पर बहस हो सके।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते में आफटरनून किसी दिन रखें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—कल का दिन रख दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कल तो बिजनेस होना है। कुछ बिलों को पास करना है।

श्री अध्यक्ष—अगले हफ्ते में दो तीन घंटे आफ्टरनून में बहस हो सकती है। इसे स्वीकार कर लिया जाय, इसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अगले हफ्ते तक विरोधी पक्ष को भी ज्यादा बातें मालूम हो जायंगी और हमें भी मालूम हो जायंगी।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट को वापस लेने की नीति के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप ने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री को सुनने के बाद विचार करने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह स्पेशल पावर्स ऐक्ट को स्टेट्यूट बुक से हटाने के लिये तैयार हैं या नहीं? हो सकती है या, नहीं। इसके ऊपर काफी काफी विवाद हो चुका और माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में इसका संकेत भी किया है। तो हम उसको कुछ स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—आज तो बहस हो चुकी और अब बहस मुबाहसा खत्म हो गया। अब आप आराम कीजिये और अच्छी तरह से विश्राम कीजिये।

(इसके बाद सदन ६ बज कर २० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ अगस्त, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

वर्ष	बाहरी विभाग	भरती करके	योग
१९५२–५३	६१,२०७	२,८२३	६४,०३०
१९५३–५४	७०,३८२	३,६६७	७४,०४९

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

तहसील बांसी की गांव सभाओं के परसनल लेजर एकाउन्ट में जमा धन का ब्योरा

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र बांसी

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
१	बांसी	३५	१	६
२	मधुकरपुर	३१	१०	०
३	गोल्हारा	१५४	०	०
४	सरांव	१२४	१३	३
५	बरानानकार	१,०१९	३	६
६	रमवापुर	२०३	०	०
७	डड़वा अधीन	३२४	७	६
८	कोल्हई बुजुर्ग	१२७	०	०
९	सेखुई	८३	१३	०
१०	वालेजिनवा	११७	१४	६
११	विमऊवाबुजुर्ग	१६४	३	६
१२	मेचुका	१०५	२	६
१३	मऊ	२००	८	०
१४	तिलौरा	६८	०	६
१५	जाजरगढ़िया	४६	०	०
१६	मुहआबुजुर्ग	१००	१२	६
१७	बरगदवा	३५	६	३
१८	आमामाफी	२००	१२	०
१९	तलपुरवा	२९३	१२	६
२०	बरदहीनानकार	२९६	६	९
२१	बंगला जोत	२०७	२	९
२२	अजगरा	३६	९	६
२३	नरकटहा	४३५	९	३
२४	जनियांजोत	१३	३	६
२५	बसंतपुर	१२	१३	०
२६	गंगुली	४७	३	६
२७	वैदौली बुजुर्ग	१९६	१४	०
२८	प्रतापपुर	४	९	०
२९	मझवन कलां	१३४	१	०
३०	हरैया	१४	११	०
३१	सकतपुर	३५४	४	६
३२	गौरी	१३१	१३	६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
३३	कटसरयांकलां	१०१	११	१०
३४	बचारस्कलां	२९०	१२	०
३५	महोखवा	१४५	१२	३
३६	डड़वार दुबे	४१	६	३
३७	धौली काजी	१३५	४	०
३८	बरगवही	२७९	३	०
३९	बघनीनानकार	१८३	२	०
४०	मिठवल बुजुर्ग	२१	४	०
४१	पथराबाजार	१४४	०	०
४२	सेहरी बुजुर्ग	५०	०	०
४३	सिसवा	३०	०	०
४४	मनिकोरा तिवारी	२७४	५	३
४५	रामभारी	१९३	११	९
४६	कोटियागड़ौरी	९३	९	३
४७	बनगवां	१९९	१५	३
४८	पटखौली	४५४	११	९
४९	छितौनी	१२९	११	९
५०	मसिनाखास	२७३	९	९
५१	बेलभरिया	२३०	१०	३
५२	मैसहा	५४	७	६
५३	भिनकोरानानकार	३	१५	०
५४	बूढ़ापार	२६८	७	६
५५	कवरा	२०४	१३	९
५६	जोगिया बुजुर्ग	२७५	०	९
५७	गौरा	२६७	१४	०
५८	रमवापुर भइया	५४	०	०
५९	डड़वाराजा	१३१	१४	०
६०	सिसई बुजुर्ग	१६४	०	०
६१	रमवापुर दुबे	४७	०	०
६२	डढिया	२४	५	३
६३	बनगवा	३८३	१२	९
६४	पाला	१३७	११	९
६५	कुम्हरिया बुजुर्ग	२९४	०	०
६६	असनारलाल	४०९	२	६
६७	कठभोरवा	३१	१२	९
६८	बनके गांव	२९०	०	०
६९	डडवार भांट	२७०	१२	३
७०	रोहुआ	५०	३	३
७१	सिहावर	२०४	१२	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
७२	सोवर	१०७	४	०
७३	सिकटा	२८२	७	३
७४	दानोकुइया	४४६	७	९
७५	पेड़ी बुजुर्ग	३१०	१४	६
७६	अकसर माझी	३१	४	६
७७	सिलौला	२३८	१३	०
७८	करछी	१२	१२	०
७९	नवांव	२५	११	६
८०	सीहाजी बुजुर्ग	८३	१०	०
८१	भवारी	२०	०	०
८२	कुदारनलाल	४४४	५	२
८३	भरना	११५	२	०
८४	गोखार	१३५	१३	०
८५	समोरा	१२९	८	३
८६	बहवल	२२३	२	७
	पंचायत निरीक्षक क्षेत्र मंखटिया			
१	निधुरी	३७	५	९
२	श्रीपालपुर	१४६	१०	९
३	धोबहा	३२	८	६
४	डबरा	१५	१४	९
५	प्रतापपुर	१४१	१	६
६	परसा शुक्ल	४	१४	०
७	बजही	२८	४	९
८	खजुरी	८२	९	३
९	राजडाड़ा	७४	९	३
१०	रजउर	१२१	१४	६
११	मझेरिया	३५	४	९
१२	बौरब्यास	३७	०	०
१३	अमरहा	८४	१४	०
१४	महादेवानानकार	५५	६	९
१५	धर्मसिहवा	१८९	०	०
१६	मंहूवेपार	३६	८	०
१७	मुसहरवा	१८०	८	०
१८	जमयाताल	७०	८	०
१९	अन्तरी	२५	०	०
२०	कलनाखोर	२०	०	०
२१	महुआपुर	८५	०	०
२२	डारी बुजुर्ग	१७	०	०
२३	कोटिहा	३०	०	०
२४	परोई	३०	०	०
२५	माझापार	६१	१२	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
२६	गेड़ाखेर	१३३	६	६
२७	देवमाह	६२	८	०
२८	केवनपुर	८४	०	०
२९	चमरही	११०	४	६
३०	केसरहा	६	९	९
३१	मखटिया	३१९	१	९
३२	बसडीला	२११	११	०
३३	बनोहिया बुजुर्ग	५३	०	०
३४	लहरी	२००	११	०
३५	मधौरी	३८	८	९
३६	परथरी	९०	१३	६
३७	हिमलनपुरवा	३	०	०
३८	नगवा	३	०	०
३९	मसिना	७४	८	०
४०	पिपरा	२८	५	३
४१	दुरमवा	३	२	३
४२	गोनहावाला	१३	८	३
४३	हसवा पार	९५	०	०
४४	जीवा	१५	८	०
४५	मरहीबुर्जुग	४	१	६
४६	मरथुदा	६१	०	९
४७	मोनहाडीह	२९	१२	०
४८	पटखौली	१६	३	३
४९	मुरिया बुजुर्ग	३०	०	०
५०	पकड़ाहाट	४९	४	३
५१	तिवारीपुर	१२	९	९

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र शोहरतगंज

१	शोहरतगढ़	३११८	६	६
२	गढ़ाकुल	७०७	०	६
३	नीबी	११४	३	०
४	रमवापुरनानकर	२२९	०	६
५	अगया	५१५	१०	०
६	बीबी	२१२	४	९
७	बगुलहवा	३७२	२	३
८	डुहरिया खुर्द	३०	३०	०
९	मथवा	२०७	३	३
१०	नियांव	९८४	१२	९
११	नड़ौरा	४९४	१	०
१२	छतहरा	२४६	१०	०
१३	पकरी	४४	१५	०
१४	टेकनार	३७७	११	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र. संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
१५	डकरमानक	१७५	१२	६
१६	कोइरीडीहा	६२	०	३
१७	जमुनी	२६२	०	६
१८	मेहदौली	७३	१२	३
१९	पकड़ी	५८	३	०
२०	चिहिल्या	३३८	१३	६
२१	कपियाग्रान्ट	१२०	१२	६
२२	बड़ेगो	३५३	४	६
२३	महदेवा	४०२	१४	३
२४	कनवां	४९०	१०	६
२५	करौती	१६	०	०
२६	बरगदवा	३१०	६	०
२७	पकड़ी	२६	९	६
२८	धनसानानकार	२१५	१	९
२९	पारानानकार	४४	५	३
३०	सेमरियागांव	१४५	७	३
३१	साहा	५२	२	३
३२	बूड़ीगुइयां	१३९	८	०
३३	मजजिदिया	२५	०	०
३४	सुकरौली	५५	०	०
३५	बेतिया	७४७	१०	६
३६	तीबर	४४१	४	१०
३७	सुकराती	९	०	६
३८	रेहरा	१४५	२	६
३९	दूल्हादरध्यानी	३६१	६	९
४०	दूल्हाबमूदी	७२	१४	०
४१	दूल्हाजबूबी	८३१	१३	९
४२	बड़ेपुर नं० ४	९५	१	३
४३	बड़ेपुर नं० ५	७१	०	६
४४	बड़ेपुर नं० ६	३६०	०	०
४५	ऊंची	०	१०	९
४६	रमदापुर	१	४	६
४७	खलीलपुर	१	०	०
४८	शिपलिनगर	१४	६	३
४९	रोहिला	१	२	६
५०	बड़पुर नं० १०	३५०	०	०
५१	बड़ेपुर नं० ९	३३०	०	०
५२	रपसेल	३०	२	०
५३	मटोली	५४	७	०
५४	चमहा	१११	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
५५	जमोवा	१०१	८	९
५६	पल्टादेवी	१८८	१०	९
५७	सूरमकुड़िया	८०	१५	०
५८	रसवापुर	१९८	९	०
५९	सीतारामपुर	६	१३	३
६०	छितरा	७५	०	०
६१	कमिला सालसा	२७४	४	९

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र उसका बाजार

१	बेलोजीबुजुरुग	२५	०	०
२	परसनेना	६६	२	३
३	सोहास जनवा	१५२	१५	३
४	सोहास दरम्यानी	१५३	१२	०
५	वसनवनपुर	४२	५	३
६	सोहास खास	१६३	७	९
७	सोहांशुमाली	१८७	५	६
८	मदनपुर मान्ट	५३	२	६
९	जगदीशपुर ग्रान्ट	१०२	११	६
१०	पठनी जंगल	३	१०	३
११	सरौली	२	८	६
१२	बरदहा	३०	२	०
१३	बगही	१३	१४	३
१४	सेमरहना	१४७	३	६
१५	उटिया	१६४	३	६
१६	कोल्हुआ	२६	१४	०
१७	गंगाधरपुर	१५	९	२
१८	गौरा	३	१५	६
१९	मिटिया	५५	१३	३
२०	मधवापुर	१७	१४	३
२१	मदनपुर	८१	१३	०
२२	तेतरी बाजार	६३०	४	६
२३	मीमापार	२४१	१	६
२४	पिठनी खुर्द	१५	०	०
२५	रेहरा	१३५	४	६
२६	खुजुरिया	३०	१३	३
२७	जगदीशपुर	१४२	११	०
२८	कपियामिश्र	४८	७	६
२९	पिपरानायक	३६०	१३	०
३०	जगदीशपुर राजा	११२	१४	६
३१	महदेवानानकार	१३१	५	०

उत्तर प्रदेश संग्रहालय

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	धन जो जमा है		
२	१	३		
		रु०	आ०	पा०
३२	देवरा	१२६	१२	०
३३	बेलवा	०	३	६
३४	करूमावलि कलां	६८	९	३
३५	नेतवर खास	१५५	१	९
३६	हरगांव	२६०	४	३
३७	खीरीडोहा	६९	११	६
३८	आजन	८४	१३	०
३९	दूल्हा खुर्द	१९४	०	०
४०	बड़पुर नं० १३	२८०	०	०
४१	बड़पुर नं० १४	३०८	८	०
४२	नौगढ़ बाजार	९२	०	०
४३	कोड़राग्रान्ट	५०६	११	६
४४	बड़पुर नं० ८	३७५	०	०
४५	अहिरौली	१	१५	०

बांसी तहसील को नीचे लिखी गांव सभाओं ने अपना रुपया निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे तथा उन पर की गयी कार्यवाही उनके समक्ष लिखी है :—

क्र० सं	नाम गांव सभा	जो कार्यवाही की गई
१	शोहरतगढ़	चेक पंचायत निरीक्षकों को धन निकालने के लिये दिया गया।
२	सेखुई	
३	कोल्हुई बुजुरुग	
४	तिलौला	
५	सिसई कला	
६	रूधौली काजी	
७	डडवाअधीन	
८	बरवानानकार	
९	गौरा	
१०	जोगियाबुजुरुग	
११	बालेजिनवा	
१२	मेचुका	
१३	भैंसहा	
१४	छितौनी	
१५	मसिना खास	
१६	राहुवा	
१७	गंगली	
१८	दानाकुइंया	

संसद्यान पदेश्यान

क्रम संख्या	नाम गांव सभा	जो कार्यवाही की गई
१९	सिक्टा	चेक पंचायत निरीक्षकों को धन निकालने के लिये दिया गया।
२०	असकरा	
२१	पेड़ीबुजुरुग	
२२	पथरा बाजार	
२३	मनिकौरा तिवारी	
२४	कुम्हारिया बुजुरुग	
२५	सीहाझूड़ी बुजुरुग	
१	बांसी	रुपया खाते में नहीं है।
२	करही	
३	सेखुई	
४	सेहरी बुजुरुग	
१	नरकटहा	नियमानुकूल मांग न होने के कारण रुपया नहीं दिया जा सका।
२	शोहरतगढ़	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१५ पर)

Recommendations of the U. P. Orphanages and Widows' Homes Committee.

(1) Child Beggars—For this type of beggars, children's 'Rescue Homes' should be opened for children below 12 years of age. To begin with such homes should be opened at the headquarters of each of the 10 Divisions of the State except that additional homes should be attached to the homes for lepers for those children whose parents or relatives are inmates in such homes. It was also considered desirable that children of disabled beggars may be allowed to live with them.

(2) Disabled beggars—To begin with municipalities in 10 big towns should open and manage Work Houses' for disabled beggars. These work houses should be subsidized by Government. Each district should recommend and send inmates through the local Municipal Board and each should contribute their share of expenses according to their resources. If the experiment succeeds, such work houses should be opened at each district headquarters. The Committee, however, recommends that separate work houses should be opened for men and women respectively.

(3) Lepers—Leper homes are reported to exist at Almora, Dehra Dun and Allahabad run by foreign Missions. Before tackling the question of opening additional leper asylums the Committee recommends that Government should assist in the expansion of existing ones and effort should be made to co-ordinate their work.

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

सन् १९५३–५४ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से खोले गये जच्चा-बच्चा केन्द्रों की सूची

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	खुलने की तिथि
आगरा	१—होलीपुरा	२६–३–५४
	२—बछनेरा	१–२–५४
	३—अकोला	२२–२–५४
अलीगढ़	४—छर्रा	९–३–५४
	५—तरौली	२०–२–५४
	६—इगलास	१८–२–५४
एलाहाबाद	७—डानिया	२४–७–५४
अल्मोड़ा	८—कपकोट	२६–३–५४
बहराइच	९—रुपैथिया	२५–६–५४
बलिया	१०—रतसंद	१५–१–५४
	११—रतनपुर	२२–३–५४
	१२—लक्ष्मनपुर	२२–३–५४
बस्ती	१३—हरैया	४–१–५४
	१४—नागर	२४–३–५४
बनारस	१५—सयदराजा	मार्च, १९५४
	१६—चन्दौली	२०–३–५४
देहरादून	१७—प्रेम नगर	४–१–५४
	१८—चकराता	सूचना नहीं आई
देवरिया	१९—सलेमपुर	२४–३–५४
	२०—कासिया	२२–३–५४
एटा	२१—अलीगंज	सूचना प्राप्त नहीं है
इटावा	२२—भारयनगर	७–२–५४
फर्रुखाबाद	२३—मोहम्मदाबाद	२९–३–५४
गढ़वाल	२४—जोशीमठ	२८–३–५४
मिर्जापुर	२५—राजगढ़	१–१–५४
नैनीताल	२६—जोश्यरा	२३–३–५४
	२७—ज्योली कोट	२३–३–५४
	२८—खटीमा	७–४–५४
रायबरेली	२९—बेहता कलां	७–४–५४
सुल्तानपुर	३०—खादीपुर	५–२–५४
	३१—खेरेबहार	३१–५–५४
लखनऊ	३२—बक्सी का तालाब	७–१२–५४
बिजनौर	३३—नेहतौर	३१–३–५४
बाराबंकी	३४—फेसी	५–६–५४
बांदा	३५—बबेरू	१७–६–५४

उत्तर प्रदेश सभा

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	खोलने की तिथि
बरेली	३६—रिच्छा	१६–६–५४
फतेहपुर	३७—हयगम	२७–३–५४
गाजीपुर	३८—कासीमाबाद	सूचना प्राप्त नहीं है।
हरदोई	३९—पाली	२९–३–५४
हमीरपुर	४०—कुलपहार	२५–३–५४
जौनपुर	४१—मछलीशहर	२२–३–५४
झांसी	४२—गोध	१७–४–५४
खेरी	४३—पालिया	सूचना प्राप्त नहीं है।
मेरठ	४४—पिलाना	३०–३–५४
मुरादाबाद	४५—सुरजनगर	सूचना प्राप्त नहीं है।
मुजफ़्फ़रनगर	४६—माज	अप्रैल, १९५४
	४७—गढ़ी पुख्ता	जुलाई, १९५४
मैनपुरी	४८—जसराना	१२–३–५४

सन् १९५३–५४ में खुलने वाले १७ रिक्त स्थानों की सूची

जिले का नाम	केन्द्र
एलाहाबाद	१—फुलपुर
आजमगढ़	२—घोसी
बहराइच	३—भिगां
बदायूं	४—उसांवां
गढ़वाल	५—थराली
टेहरी गढ़वाल	६—भिलनगना
मिर्जापुर	७—दूधी
प्रतापगढ़	८—अमरगढ़
गोरखपुर	९—भटाट
गाजीपुर	१०—सैदपुर
जालौन	११—जगमनपुर
मथुरा	१२—गोवर्धन
रामपुर	१३—बिलासपुर
सहारनपुर	१४—बेहत
शाहजहांपुर	१५—नाहिल
सीतापुर	१६—हरगांव
उन्नाव	१७—सुमेरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

Extract of para 4 and 5 of Food and Civil Supplies (B) Department circular No. 2466/XXIX-B(D-1)—93 BM/1950, dated June 20, 1950.

---

4. For facility of the population in rural areas application forms for house-building will be printed in Hindi also. Applicants from rural areas will not be required to furnish any plans, etc. with their applications but they should merely state their requirements of different buildings material mentioning outlines of proposed construction justifying the demand. They will also not be required to have their demands necessarily certified by a qualified Engineer. The following procedure should, however, be adopted to ensure that no issues are recommended against fictitious or exaggerate demands:—

(a) The applications shoud bear the endorsement of the President of the 'Gram Panchayat' as well as the secretary and the counter-signature of the 'Sarpanch' of the 'Panchayat Adalat' in token of the fact that the estimated demand in the opinion of these persons is correct.

(b) To prevent the possibility of fraud of signatures, such applications from rural areas should be made to pass through the Panchayat Inspector who will verify the signatures and pass on the applications to the D. S. O. who will place the applications before the District Housing Committee.

(c) In case the demand from an applicant in the rural area appears to be exaggerated, the District Housing Committee can direct the applicant to have his estimates checked by a qualified Engineer and then to re-submit the application.

5. Sufficient publicity may be given to this procecure in the rural areas through the 'Gram Panchayats' for the information of the rural population. It may also be mentioned here that the procedure narrated above will not apply in the case of constructions connected with the Rural Development Schemes or with Co-operative Societies of rural areas. In such cases the Development Officers or the Co-operative Societies may forward their requests directly to the Distict Co-operative Officer who will forward the cases to the Secretary of the District Housing Committee. It will be for Committee to accept or not to accept the proposals.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११८ एल० ए०—१९५४—८५० ।